दिनांक 09 फरवरी, 2016 को प्रातः 10:00 बजे, हि0प्र0 सचिवालय शिमला में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की 10 वीं बैठक की कार्यवाही।

बैठक में भाग लेने वाले सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों की सूची **अनुबन्ध 'क'** पर संलग्न है।

सर्व प्रथम बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0प्र0 द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री हि0प्र0 सरकार तथा सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों का बैठक में पधारने पर स्वागत किया गया। तदोपरान्त माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री ने माननीय मुख्य मन्त्री महोदय हि0 प्र0 सरकार एवं सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया तथा सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गो के कल्याण के लिये संचालित विभिन्न योजनाओं तथा सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे इस बैठक में अपने समुदाय के लोगों के विकास एवं उत्थान के लिये अपने बहुमुल्य सुझाव दें तथा उन्होंने चाहा कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं तथा सुविधाओं की जानकारी अपने समुदाय तक पहुचाएं।

इसके उपरान्त माननीय मुख्य मन्त्री हि0 प्र0 ने अपने सम्बोधन में कहा कि सरकार द्वारा इस बोर्ड के गठन का उद्‌देश्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्गो की समस्याओं पर विचार करके उनका समाधान करना है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल जनसंख्या 9,27,542 है जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.27 प्रतिशत है। प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्गों को चिन्हित करने के लिए हि0प्र0 पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित किया गया है। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में अभी तक 51 जातियों को शामिल किया गया है। सरकार ने अन्य पिछडा वर्ग के अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से Creamy Layer में आय सीमा 4.50 लाख रूपये से बढ़ाकर 6.00 लाख रूपये वार्षिक की है। अन्य पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के उद्‌देश्य से सीधी भर्ती में प्रथम व द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए 12 प्रतिशत तथा तृतीय एंव चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 18 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने सम्बोधन में सभी गैर सरकारी सदस्य का आहवान किया गया कि वे अन्य पिछड़ा वर्गो की समस्याओं तथा उनके विकास के लिये अपने सार्थक सुझाव रखें ताकि इन योजनाओं को और अधिक सार्थक और कारगर बनाया जा सके।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरम्भ हुई जिसमें निम्न अनुसार कार्यसूची पर चर्चा की गई :–

दिनांक 23—01—2014 को सम्पन्न हुई आठवीं बैठक की अनुवर्ती मदें ।

मद संख्याः— 15. सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रायोजित योजनाओं में लाभार्थी की वार्षिक आय की सीमा एक लाख तक की जाये ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके।

(श्री ज्ञान चन्द चौधरी गांव डल जिला कांगड़ा)

आठवीं बैठक में मद पर चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए थे कि हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एंव विकास निगम ग्रामीण क्षेत्रों में आय सीमा 1,00,000 तक बढ़ाए जाने बारे मामला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एंव विकास निगम से उठाया जाए।

गत बैठक पर चर्चा के उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा मामला भारत सरकार से पुनः उठाने के निर्देश दिए ।

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में अवगत करवाया गया कि हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एंव विकास निगम कांगड़ा से प्राप्त सूचना अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आय सीमा 1,00,000 तक बढ़ाए जाने बारे मामला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एंव विकास निगम से पत्र संख्याः— वी0सी0सी0/एफ—1/6/99/884—885 दिनांक 23—7—2014 से उठाया गया था जिसके अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एंव विकास निगम ने भी उक्त मामला अपने पत्र संख्या एन0बी0सी0एफ0 डी0सी0/पीआरओजे/एमआईएन—01—2014—15/1935—36 दिनांक 04—08—2014 द्वारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मन्त्रालय से उठाया था। जिसके फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रायोजित योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों की वार्षिक आय की सीमा 81,000/— से बढ़ाकर 98,000/— कर दी है तथा शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों की वार्षिक आय की सीमा 1,03,000/— से बढ़ाकर 1,20,000/— कर दी गई है। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई।**

मद संख्याः—19. तहसील चौपाल के गांव खद्दर में हरिजन बस्ती की जनसंख्या 200 के करीब है हरिजन बस्ती धन्नेवरी से खद्दर तक मोटर मार्ग बनवाया जाये जिससे इस के साथ तितहाड़, हनल बनास, मनचोली व टिकनोल वासियों को भी सुविधा मिलेगी।

(श्री कुन्दन शर्मा गांव खद्दर तहसील चौपाल)

आठवीं बैठक में मद पर चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया गया था कि लोक निर्माण विभाग इस पर कार्रवाई करेगा।

गत बैठक में चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया गया था कि लोक निर्माण विभाग वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत करवायेगां।

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में अवगत करवाया गया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार खद्दर हरिजन बस्ती के लिए वर्ष 2015—16 में RNS में तीन लाख रू0 बजट का प्रावधान किया गया है। स्कीम का नाम इस प्रकार है 307—590 धनेवरी से खद्दर हरिजन बस्ती वाया तितहाड़, हनल,

बनास, मनचोली व टिकनोल। इस सम्पर्क मार्ग में कुछ वन भूमि भी पड़ती है जिसका FCA केस बनाया जा रहा है तथा गांव वालों से भी निजी भूमि दान करने की बात चल रही है। निजी और वन भूमि मिलने पर सड़क बना दी जाएगी।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई है।

मद संख्याः—25 ग्राम पंचायत ट्रोह व गलमा जिला मण्डी हि0प्र0 व ग्राम पंचायत पैड़ी के बीच में रत्ती खड्ड आती है, दोनो ओर से गांव चौहटा तक सड़कें पंचायतों के द्वारा बना दी गई हैं। गांव चौहटा में रत्ती खड्ड पर पुल का निर्माण करवाया जाना अति आवश्यक है, ताकि ग्राम पंचायत गलमा ट्रोह के लोगों को वाया पैड़ी मण्डी तक आना जाना आसान हो जाये।

(श्री गोविन्द राम नायक गांव व डा0 ट्रोह त0 सदर मण्डी)

आठवीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि लोक निर्माण विभाग इस मद पर कार्यवाही करेगा।

गत बैठक में मद पर चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि पहले सड़क बनाई जाए ताकि पुल का निर्माण किया जा सके।

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में अवगत करवाया गया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार ग्राम पंचायत ट्रोह व ग्राम पंचायत पैड़ी के बीच में रत्ती खड्ड पड़ती है जिसके दोनों तरफ पंचायत व स्थानीय लोगों ने कम चौड़ाई की सड़कें बनाई है जो जीप योग्य तथा क्षतिग्रस्त है। इन सड़कों को यदि बस योग्य बनाना है तो इनकी कटिंग करने, अन्य सुधार करने, कलवर्ट व डंगें इत्यादि लगाने पर लगभग 50 लाख रूपये खर्च आने का अनुमान है। इन सड़कों की कुल लम्बाई 2/225 कि0मी0 है। सड़क को दोनों तरफ से चौड़ा करने के लिए अधिशासी अभियन्ता मण्डी मण्डल न0 2 हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग मण्डी द्वारा डी0पी0आर0 तैयार कर दी गई है। रत्ती खड्ड पर चौहटा स्थान पर लगभग 45.00 मीटर स्पैन का पुल बन जाने से मुंदडू, कसौट, चौहटा व बंधूआ गांव आपस में तल्याहड़ पैड़ी रत्ती तथा ट्रोह रंधाड़ा सड़क से जुड़ जायेगें। इन्हें जोड़ने के लिए जो 45.00 मीटर स्पैन का पुल बनेगा उस पर लगभग 2 करोड़ रूपये खर्च आने का अनुमान है। पुल का हाईड्रोलिक डाटा अधिशासी अभियन्ता मण्डी मण्डल न0 2 हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग मण्डी के कार्यालय में तैयार किया जा रहा है।

चर्चा उपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 07—01—2015 को सम्पन्न हुई नौवीं बैठक की अनुवर्ती मदें।

1. **ग्राम पंचायत जुन्गा के ग्राम टंकरेया से अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग गांव के लिए लिंक रोड़ हेतु आवेदन, क्योंकि इस गांव में अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 99 प्रतिशत है परन्तु लिंक रोड की व्यवस्था नही है।**

   (श्री शमशेर सिंह ग्राम जुन्गा तह0 व जिला शिमला)

गत बैठक में चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि पुराने रास्ते की डिमार्केशन करवाकर व अवैध कब्जे हटाकर सड़क का निर्माण किया जाए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में अवगत करवाया गया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार ग्राम पंचायत जुन्गा के टंकरेया गांव के लिए सम्पर्क सड़क जिसकी लम्बाई लगभग 700 मीटर होगी, के लिए सम्बन्धित ग्राम वासियों तथा ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी भूमि इस सड़क निर्माण के

लिए उपलब्ध नही करवाई है तथा अभी तक यह सड़क नव व्यय अनुसूचि के परिशिष्ट (योजना) बजट में कहीं भी शामिल नही है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई ।

4. **ग्राम पंचायत शकराह में बच्चों को खेलने हेतु कोई खेल मैदान नही है यदि जे0सी0बी0 द्वारा काम कराया जाए तो काफलुनाला में लगभग खेल मैदान तैयार हो सकता है तथा कुछ राशि की दिवार लगाने हेतु भी आवश्यकता है जिसे लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जाये।**

(प्रेम दास महन्त गांव धार शकराह तह0 व जिला शिमला)

आठवीं बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया कि जंहा तक बच्चों को खेलने के मैदान का विषय है उसके लिए शिक्षा विभाग से भूमि और धन की उपलब्धता की आवश्यकता है। जैसे ही शिक्षा विभाग से भूमि और धन उपलब्ध करवाया जाऐगा इस विषय में आगामी कार्यवाही की जा सकती है।

गत बैठक में मद पर चर्चा के उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि सम्बन्धित गैर–सरकारी सदस्य स्वयं विभाग को चयनित भूमि विभाग को दिखाए तथा तदानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाऐं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में अवगत करवाया गया कि युवा सेवा एंव खेल विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को ग्राम पंचायत शकराह में खेल मैदान के निर्माण हेतु चयनित भूमि का निरीक्षण कर भूमि की उपलब्धता अनुसार भूमि का ततीमा पर्चा, जमाबन्दी व खेल मैदान निर्माण हेतु आक्कलन व प्राक्कलन बनाकर पूर्ण प्रस्ताव निदेशालय को भेजने बारे आग्रह किया गया है, जैसे ही प्रस्ताव विभाग को प्राप्त होगा तत्पश्चात विभाग द्वारा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार अभी शिक्षा विभाग ने भूमि उपलब्धता नही करवाई है, जैसे ही भूमि उपलब्ध करवाई जाऐगी, इस विषय में आगामी कार्यवाही शुरू कर दी जाऐगी।

शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार उप शिक्षा निदेशक जिला शिमला से उनके निदेशालय पत्र संख्याः शिक्षा–एचई(9)3–22/2015–16 (SC/OBC-Hostel)-L दिनांक 20–11–2015 द्वारा सूचना मांगी गई है। अतः प्राप्त होने पर सम्पूर्ण मामला परीक्षणोपरान्त युवा सेवा एंव खेल विभाग हि0प्र0 को प्रेषित कर दिया जाएगा।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई।

6. **सतसंग भवन ग्राम पंचायत कालीहट्टी तक बनी सड़क शेष बचे 200 मीटर कार्य को पूरी करने हेतु धनराशि उपलब्ध करवाने बारे।**

(प्रेम दास महन्त गांव धार शकराह तह0 व जिला शिमला)

आठवीं बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया कि इस कार्य का निर्माण खण्ड विकास अधिकारी मशोबरा द्वारा किया जा रहा है और शेष कार्य भी खण्ड विकास अधिकारी मशोबरा द्वारा ही किया जाएगा।

गत बैठक में मद पर चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने ग्रामीण विकास विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग तथा उपायुक्त शिमला द्वारा अवगत करवाया है कि मैटलिंग व टाईरिंग का कार्य चल रहा है और कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर दिया जाऐगा।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई ।

16. लोक निर्माण विभाग नालागढ़ द्वारा झूला पुल जगातखाना व झूला पुल कुगनवाल मुरम्मत सही तरीके से न करने बारे। उपरोक्त विभाग द्वारा वर्ष के दौरान उपरोक्त झूला पुल जगात खाना व झूला पुल कंगनवाल की मुरम्मत करवाई गयी थी लेकिन मुरम्मत का कार्य सही नहीं पाया गया है। अतः उपरोक्त कार्यो की छानबीन करवाई गयी। क्योंकि उपरोक्त कार्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों व ठेकेदार के मिलीभगत होने के कारण उपरोक्त पुलों का कार्य सही तरीके से नहीं किया गया है। जिससे आम जनता में भारी रोष है तथा आम जनता चाहती है कि उपरोक्त विभाग से सम्बन्धित दोषियों के प्रति सरकार द्वारा कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये।

(हरपाल सिंह गांव ढांग उपरली तह0 नालागढ़ व जिला सोलन)

आठवीं बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा झूला पुल कंगनवाल व झूलापुल जगातखाना की मुरम्मत वर्ष 2013 में की गई थी जिसके लिए जिलाधीश सोलन कार्यालय द्वारा कंगनवाल पुल हेतु 2.50 लाख रूपये एंव जगातखाना पुल हेतु 1.00 लाख रूपये जमा करवाये गये थे, जिससे झूला पुल कंगनवाल की गली सड़ी चादरें बदली गई थीं तथा झूला पुल जगातखाना की रेलिंग का भाग टूट गया था या पूरी तरह खत्म हो गया था उसकी विभाग द्वारा मुरम्मत कर दी गई थी व बदली गई थी। यह भी सूचित किया गया कि यह झूला पुल पंचायती राज विभाग द्वारा बनाये गये थे तथा यह केवल पैदल चलने के लिए हैं परन्तु प्रायः देखा गया है कि उपरोक्त झूला पुलों के ऊपर से लोग गाड़ियां व ट्रैकटर ले जाते है तथा पुल की चौड़ाई कम होने के कारण प्रायः गाड़ियों से रेलिंग टूट जाती है। जिसके लिए विभाग को दोषी ठहराना उचित नही है मौके पर दोनों झूला पुलों की स्थिति अभी तक बिल्कुल ठीक है। जो गाड़ियों द्वारा रेलिंग तोड़ दी गई थी उसे विभाग ने सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ठीक करवा दिया है।

गत बैठक में मद पर चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि जो दूसरी साईट पर जो पुल बनाया जा रहा है उसका निर्माण शीघ्र किया जाए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में अवगत करवाया गया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार झूलापुल जगातखाना व झूला पुल कुगनवाल की मुरम्मत विभाग द्वारा कर दी गई है तथा इन पुलों की स्थिति अभी तक बिल्कुल ठीक है। दूसरी साईट पर राजपुरा ढांग सड़क पर चिकनी खड्ड पर (Km. 1/040) पुल के निर्माण हेतु प्राथमिकता में शामिल कार्य की DPR तैयार करके नाबार्ड के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु भेजी गई है जिसकी अनुमानित राशि 286.28 लाख रूपये है। स्वीकृति प्राप्त होने पर पुल निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई।

18. ग्राम पंचायत रेड़ली विकास खण्ड संगड़ाह के अन्तर्गत वार्ड न01 बोरली–राईचा में ओलियोंदीद नामक बस्ती के लिए सम्पर्क सडक निर्माण किया जाये।

(राम लाल शर्मा ग्राम व डा0 बोरली तहसील रेणुका संगड़ाह)

आठवीं बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया कि बेरली राईचा में ओलियोंदीद नामक बस्ती के लिए सम्पर्क मार्ग की कुल लम्बाई लगभग 5.00 कि0मी0 होगी। वर्तमान में इस सम्पर्क मार्ग के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं है। उचित बजट प्रावधान होने पर इस सड़क का विस्तृत सर्वे किया जाऐगा तथा भूमि मालिकों

से भूमि विभाग के नाम करने हेतु प्रयत्न किए जायेंगे। इस सड़क पर लगभग मु0 85.00 लाख रूपये खर्च होंगे। यह सड़क प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के core-net work में भी नही आती है।

गत बैठक में मद पर चर्चा के दौरान गैर सरकारी सदस्य ने कहा कि निजि भूमि है, हम दे देंगें केवल 500 मीटर सड़क बननी **है। चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग सर्वेक्षण करवाकर आगामी कार्यवाही करे व उपायुक्त सिरमौर भी मामले में परीक्षण करें।**

बैठक में चर्चा के दौरान लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार इस कार्य का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा नही किया गया है, बल्कि इस सड़क का निर्माण स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है। अगर इस सड़क का निर्माण/सुधार लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है तो सर्वप्रथम स्थानीय लोगों द्वारा जिनकी जमीन इस सड़क में पड़ती है उस जमीन की रजिस्ट्री विभाग के नाम करवानी होगी, उसके उपरान्त बजट प्रावधान के बाद ही यह कार्य शुरू किया जाएगा।

उपायुक्त सिरमौर द्वारा भी सूचित किया है कि अधिशासी अभियन्ता (लोक निर्माण विभाग) संगड़ाह द्वारा ओलियोंदीद नामक बस्ती का Priliminary estimate, जिसकी अनुमानित लागत 102.49 लाख आंकी गई है, तैयार कर लिया गया है। मामला सरकार को स्वीकृति हेतु भेज दिया जायेगा।

अतः चर्चा उपरान्त विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

19. ग्राम पंचायत रेड़ली लोक निर्माण मण्डल संगड़ाह के अन्तर्गत हरिजन बस्ती बोरली से देवधार नामक स्थान के लिए सम्पर्क सडक निर्माण किया जाये।

(राम लाल शर्मा ग्राम व डा0 बोरली तहसील रेणुका संगड़ाह)

आठवीं बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया है कि हरिजन बस्ती बोरली से देवधार के लिए सड़क की कुल लम्बाई लगभग 8.00 कि0मी0 होगी तथा यह सड़क फॉरस्ट एरिया से व माइनिंग एरिया से होकर गुजरती है। इस सड़क पर लगभग 2.00 करोड़ रूपये खर्च होंगे। वर्तमान में इस सम्पर्क मार्ग के लिए कोई बजट प्रावधान नही है। पर्याप्त बजट प्रावधान होने पर इस सड़क का विस्तृत सर्वे किया जायेगा तथा फॉररस्ट केस/डी0पी0आर0 तैयार की जाएगी। यह सड़क भी प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के core-net work में भी नही आती है।

गत बैठक में मद पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने लोक निर्माण विभाग को आदेश दिए कि वे सर्वे करके अपेक्षित भूमि चिन्हित करे तदोपरान्त भूमि विभाग के नाम हस्तांतरित करवाने बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाएं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार इस सम्पर्क मार्ग का सर्वेक्षण किया जा चुका है लेकिन यह सम्पर्क मार्ग वन विभाग के ज़मीन व खनन विभाग की ज़मीन व स्थानीय लोगों की ज़मीन से गुजरता है, तथा इस सड़क का निर्माण खनन विभाग की स्वीकृति, वन विभाग की स्वीकृति के बाद व स्थानीय लोगों द्वारा अपनी–अपनी जमीन जो इस सम्पर्क मार्ग में आती है उसकी रजिस्ट्री विभाग के नाम करवाने के बाद व बजट प्रावधान के बाद ही किया जा सकता है।

उपायुक्त सिरमौर से भी प्राप्त सूचना अनुसार इस सम्पर्क मार्ग में सर्वेक्षण किया जा चुका है लेकिन यह सम्पर्क मार्ग वन विभाग, खनन विभाग व निजी भूमि से होकर गुजरता है। इस सड़क का निर्माण वन विभाग व खनन विभाग की स्वीकृति तथा निजी भूमि की Gift deed प्राप्त होने के पश्चात किया जा सकता है।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

22. गत बैठक में गुम्मा बस स्टैण्ड के नजदीक पुल के कार्य को पूर्ण करवाने हेतु कहा गया था लेकिन वह कार्य अभी तक नही हुआ है। इस पुल का निर्माण शीघ्र करवाया जाए क्योंकि इस पुल से चालीस परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग और 10+2 के स्कूल जाने वाले बच्चे भी लाभान्वित होंगे।

(कौशल राम महन्त गांव गुम्मा बसन्तपुर तह0 व0 जिला शिमला)

आठवीं बैठक में मद पर चर्चा के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा सूचित किया कि गुम्मा बस स्टैण्ड के नजदीक नौटी खड्ड पर पैदल चलने योग्य पुल के निर्माण के लिए 41,02,500/– रूपये की अनुमानित राशि का प्राक्कलन जिलाधीश शिमला को भेजा गया है। प्रस्तावित पुल की लम्बाई लगभग 25 मीटर है। जिलाधीश कार्यालय से अभी तक मु0 6.50 लाख रूपये प्राप्त हुए है और विभाग द्वारा मु0 10 लाख रूपये उपलब्ध करवाए गए हैं। पुल के उपरी भाग (super structure) स्टील–ट्रस आदि बनाने का कार्य विभागीय यांत्रिक कार्यशाला ढली में लगभग पूर्ण हो चुका है और पुल का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।

गत बैठक में मद पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने लोक निर्माण विभाग को आदेश दिए कि इस संदर्भ में लोगों से काफी शिकायतें प्राप्त हो रही है इसलिए मामले की तुरन्त उच्च–स्तरीय जांच करवाई जाए ।

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार इस पुल का कार्य विभाग द्वारा पूर्ण कर लिया गया है।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया।

26. नालागढ़ उप मण्डल में रियासती शासनकाल में एकमात्र मुख्य सपंर्क मार्ग नालागढ–रोपड़ रोड़ हुआ करता था, जिसकी वर्तमान में काफी खस्ता हालत है। उपमण्डल का औद्यौगिक होने के कारण इस मार्ग की महत्वता काफी बढ़ गई है । पंजाब के लुधियाना में कन्टेनर डिपो होने के कारण भारी एवं अति भारी वाहन इसी मार्ग से होकर बी0बी0एन0 औद्यौगिक क्षेत्र को आते जाते है । भारी वाहनों की आवाजाही व सड़क मार्ग संकरी होने के कारण यहां पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रही हैं। नालागढ–रोपड़ सड़क मार्ग (स्टेट हाईवे नंबर–16) का करीब 11–12 किलोमीटर भाग हिमाचल में पड़ता है। बाकी हिस्सा पंजाब में है जो कनौली से रोपड़ तक पहले से नेशनल हाईवे का हिस्सा है । लिहाजा हिमाचल में पहले नालागढ़ से ढेरोवाल तक के 11–12 किलोमीटर लम्बे स्टेट हाईवे को सरकार फोरलेन करने की कृपा।

(जगदीश सिंह सैनी गांव ढांग तह0 नालागढ़ जिला सोलन)

आठवीं बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया कि नालागढ़ ढेरोवाल स्टेट हाईवे–16 की कुल लम्बाई नालागढ़ से ढेरोवाल तक 10.260 किलोमीटर है। यह सड़क इन्टरमिडियट स्टैन्डर्ड (6.00 मीटर चौड़ाई) की है तथा यह सड़क वर्ष 1980 में बनी है। इस सड़क पर औधौगिक क्षेत्र होने के कारण यातायात का भारी दबाव है तथा इसको मध्यनजर रखते हुए विभाग ने इस सड़क को डबल लेन करने एंव मजबूती प्रदान करने हेतु 27.45 करोड़ रूपये की अप्रेज़ल रिर्पोट सरकार को Economic Importance and Inter State Connectivity स्कीम के अन्तर्गत मंजूरी हेतु भेजी है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। इस सड़क को फोरलेन बनाने का मामला अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

गत बैठक में मद पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने लोक निर्माण विभाग को आदेश दिए कि विभाग मामले का परीक्षण करें।

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार नालागढ़, ढ़ेरोवाल State Highway-16 की कुल लम्बाई नालागढ़ से ढ़ेरोवाल 10.250

किलोमीटर है। यह मार्ग इंटरवीडियट स्टैण्डर्ड (6.00 मीटर चौड़ाई) का हैं, तथा यह सड़क 1980 में बनाई गई थी। इस सड़क पर औधोगिक क्षेत्र होने के कारण यातायात का भारी दबाव है तथा इस को मध्यनजर रखते हुए विभाग ने इस सड़क को डबललेन करने एंव मज़बूती प्रदान करने हेतु 9.20 करोड़ रूपये की Appraisal Report सरकार को EL&ISC स्कीम के अन्तर्गत मंजूरी हेतु भेजी गई है। इस वित्त वर्ष 2015–16 में इस सड़क के 6.00 किलोमीटर में recarpeting का कार्य विभाग द्वारा पूरा किया गया है तथा इस कार्य पर 89.25 लाख रूपये की धनराशि व्यय की गई है।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया।

27. **हिमाचल प्रदेश में कश्यप राजपूत जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में दर्शाया गया है किन्तु इस वर्ग के लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अतः अनुरोध किया जाता है कि कश्यप राजपूत जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र जारी करने बारे आगामी निर्देश दिए जाए ताकि इस वर्ग को भी अन्य जातियों की तरह सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।**

(श्री रमेश चन्द भापटा ग्राम खांगटा तह0 रोहड़ू जिला शिमला)

आठवीं बैठक में सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया गया कि जो भी जाति अथवा उप–जाति राजस्व अभिलेख में दर्ज है उसके अनुसार ही प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं।

गत बैठक में मद पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने राजस्व विभाग को आदेश दिए कि विभाग मामले का परीक्षण करें।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान राजस्व विभाग द्वारा सूचित करवाया है कि हिमाचल प्रदेश में कश्यप राजपूत जाति अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 13–7–2001 में सम्मिलित थी और उसी के आधार पर उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र जारी किये जाते थे। परन्तु प्रदेश सरकार द्वारा बाद में जारी अधिसूचना दिनांक 1–12–2001 द्वारा इस जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची से हटा दिया गया है। अतः कश्यप राजपूत जाति को वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र अधिसूचना दिनांक 1–12–2001 के मध्यनजर जारी नही किये जा सकते हैं। किसी भी जाति को सम्मिलित करना व निकालना भारत सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया।

28. **स्वच्छता अभियान के तहत जुन्गा बाजार में भारी कुड़ा–कर्कट इक्कठा होता है। उसके लिए बाजार में कोई व्यवस्था नही है जगह–2 पर कुड़े के ढेर लगे है चारो तरफ दुर्गध ही दुर्गध फैली रहती है राजस्व विभाग द्वारा जगह चिन्हित करवा कर एक टैंक बनवाया जाए ताकि गन्दगी एक जगह ही इक्कठी हो।**

(श्री शमशेर सिंह ग्राम जुन्गा तह0 व जिला शिमला)

गत बैठक में राजस्व विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिए गए कि राजस्व विभाग टैंक बनवाने हेतु जगह उपलब्ध करवाए तथा ग्रामीण विकास विभाग टैंक बनाकर देगें।

बैठक में राजस्व विभाग ने अवगत करवाया है कि जगह उपलब्ध करवाई जाऐगी। ग्रामीण विकास विभाग ने सूचित किया है कि पंचायत को इस कार्य को करने के निर्देश दे दिए गए है। अध्यक्ष महोदय द्वारा भी सुझाव दिया गया

कि सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत यह कार्य एक पंचायत कर रही है जबकि पूरे प्रदेश में इसको स्वच्छता अभियान के तहत जागरूकता जारी करनी है और शहरों के साथ–2 ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस बारे में पग उठाए जाए।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया।

30. शाहपुर विधान सभा के अन्तर्गत धारकण्डी क्षेत्र की दूर–दराज की पंचायतों तथा दरीणी, भलेड, रूलेहड़, कनोल, कुठारना, रिड़कमार तथा बोह पंचायतों के लिए दरीणी में उप तहसील खोली जाये ताकि भौगोलिक रूप से इन दुर्गम पंचायतों के लोगों के लिए राजस्व कार्यों के लिए सुविधा मिल सके।

(अक्षय कुमार ग्राम दरीणी तह0 शाहपुर जिला कांगड़ा)

आठवीं बैठक में राजस्व विभाग द्वारा सूचित किया गया कि उनके पास इस संदर्भ कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

गत बैठक में मद पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने राजस्व विभाग को आदेश दिए कि विभाग सर्वेक्षण करें।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) द्वारा सूचित किया गया है कि जिला कांगड़ा के दरीणी में उप–तहसील खोलने की अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 03–03–2015 को जारी कर दी गई है।

अतः मद को समाप्त कर दिया गया है।

31. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दरीणी के भवन के साथ लगभग 2 कनाल भूमि का रकबा लगता है जिसमें एक जर्जर हालत में पुराना ग्राम सेवक हट भी बना हुआ है इसे स्कूल के कब्जे में दिलवाने की कृपा करे ताकि स्कूल में सांईस ब्लाक बनाने में सुविधा हो सके।

(अक्षय कुमार ग्राम दरीणी तह0 शाहपुर जिला कांगड़ा)

राजस्व विभाग द्वारा गत बैठक में सूचित किया गया कि जैसे ही शिक्षा विभाग से इस संदर्भ में प्रस्ताव प्राप्त होगा भूमि को इनके नाम कर दिया जाएगा।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बैठक में सूचित किया है कि उप–शिक्षा निदेशक द्वारा यह मामला जन शिकायत निवारण समिति की बैठक में उठाया गया था। इस भूमि का पर्चा ततीमा सम्बन्धित पटवारी से लिया गया है जिसमें यह वन विभाग के नाम दर्ज है। अतः कमेटी ने उक्त भूमि वन विभाग हिमाचल प्रदेश के नाम होने के कारण मामला निरस्त कर दिया है।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया।

32. ग्राम पंचायत रामपुर–भारापुर के ग्राम माजरी एंव ग्राम रामपुर के लगभग 100 अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की 500 बीघा से अधिक भूमि जुलाई 2013 में कोंथरी नदी की बाढ़ में फसल तबाह हो गई थी जिसकी सुरक्षा के लिए उपाय कर किसान के भविष्य को बचाया जाए। यह मामला गत बैठक में प्रश्नकाल के दौरान उठाया गया था जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई।

(ज्ञान चन्द ग्राम रामपुर डा0 घौलाकुंआ तह0 पांवटा साहिब जिला सिरमौर)

आठवीं बैठक में मद पर चर्चा के दौरान उपायुक्त सिरमौर द्वारा सूचित किया कि बाढ़ से जो क्षति पहुंची थी सुंका नदी पर चैनलाईज़ेशन का कार्य चला हुआ है जो मार्च, 2016 तक पूरा कर दिया जाएगा।

इस पर सम्बन्धित गैर सरकारी सदस्य द्वारा सूचित किया गया कि कौंथरी नदी अलग नदी है जिस पर कार्य नही हुआ है। 500 बीघा भूमि अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की हैं जो लगभग नष्ट हो चुकी है और आग्रह किया कि किसानों की भूमि बचाने के लिए कम से कम डंगे लगा दिये जाये।

गत बैठक में चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि उपायुक्त सिरमौर मामले का सर्वेक्षण करके प्राक्कलन तैयार करेगें तथा सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग तुरन्त मामले में आवश्यक कार्यवाही करेगा।

मद पर चर्चा के दौरान सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग ने अवगत करवाया है कि ग्राम पंचायत रामपुर–भारापुर के ग्राम माजरी एंव ग्राम रामपुर में कौंथरी नदी में भूमि की सुरक्षा के लिए बाढ़ नियन्त्रण कार्य ठेकेदार को दिनांक 18–11–2015 को आबंटित कर दिया गया है तथा कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर द्वारा भी सूचित किया है कि अधिशासी अभियन्ता सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग मण्डल पांवटा साहिब ने अपने पत्र क्रमांक आई0पी0एच0पी0–डी0बी0 पिछड़ा वर्ग 2015–21461 दिनांक 28–12–2015 के अनुसार ग्राम पंचायत रामपुर–भारापुर के ग्राम माजरी एंव ग्राम रामपुर में कोंथरी नदी में भूमि की सुरक्षा के लिए बाढ़ नियन्त्रण हेतु 88 लाख रू0 का बजट प्रावधान किया गया है तथा कार्य प्रगति पर है जो कि मार्च 2016 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।

34. सिविल अस्पताल जुन्गा में गाईनी स्पैशलिस्ट विभाग की सुविधा अति आवश्यक है और जुन्गा अस्पताल तीन विधान सभा चुनाव क्षेत्र से जुड़ा है, कसुम्पटी विधान सभा, शिमला ग्रामीण व सोलन विधान सभा चुनाव क्षेत्र।

(श्री शमशेर सिंह ग्राम जुन्गा तह0 व जिला शिमला)

आठवीं बैठक में मद पर चर्चा के दौरान निदेशक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण द्वारा सूचित किया गया था कि पूरे हिमाचल में Gynecologist की कमी है तथा तीन डाक्टरों के आर्डर कर दिए गए हैं।

गत बैठक में मद पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग को आदेश दिए कि विभाग मामले में परीक्षण करें।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग ने सूचित किया है कि जुनगा अस्पताल में गाईनी स्पैशलिस्ट को तैनात कर दिया गया है और वर्तमान में 5 चिकित्सक तैनात है। अध्यक्ष महोदय द्वारा विभाग को यह भी निर्देश दिए गये कि जो एक्स–रे मशीन खराब पड़ी है उसकी छानबीन करके आवश्यक कार्यवाही अमल में लाए।

अतः मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

37. जिला बिलासपुर, तह0 घुमारवीं की ग्प्रम पंचायत बरोटा के अन्तर्गत गांव बरोटा में एक आयुर्वेदिक डिसपेन्सरी स्थापित है। इस पंचायत के इर्द–गिर्द की पंचायतों जिनमें, तड़ौन, घन्डालवीं, बरोटा, मरहाणा डंगार तथा लैहड़ी सरेल की कुछ बस्तियां तथा गांव की जनसंख्या 16–17 हजार के लगभग है, इसी डिसपेन्सरी पर आधारित है, यह डिसपेन्सरी इतनी आबादी को स्वास्थ्य सुविधा को पूरा करने में असमर्थ है। लोगों को उपचार के लिये भराड़ी या दधोल जाना पड़ता है जो यहां से 15 से 20 कि0मी0 दूरी पर है। समय तथा धन खर्चने के बावजूद लोगों को समय पर उचित सुविधा नहीं मिल पाती है । लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए इस डिसपेन्सरी को स्तरोन्त करके इसे शीघ्र प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र (PHC) में बदला जाए।

(ज्योती कश्यप गांव व डा0 बरोटा तह0 घुमारवीं व जिला बिलासपुर)

आठवीं बैठक में मद पर चर्चा के दौरान निदेशक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण द्वारा सूचित किया कि इस क्षेत्र के लिए प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र (PHC) का अलग से प्रस्ताव बन सकता है।

गत बैठक में मद पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग को आदेश दिए कि विभाग मामले का परीक्षण करें।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग ने सूचित किया है कि जनसंख्या मानक के आधार पर इसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में नही बदला जा सकता।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।

41. दरीणी, कनोल तथा रिड़कमार पंचायतों की सैंकड़ों एकड़ जमीन की सिंचाई कूहल पिछले 20–25 वर्षो से पी0डब्लयू0डी0 विभाग की सड़क बनने से बन्द पड़ी है। इस कूहल की डी0पी0आर0 भी सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई है। अतः डी0पी0आर0 के तहत राशि मंजूर करके इस कुहल को शीघ्र सिंचाई के लिए सुचारू किया जाये ताकि किसान अपनी फसल समय पर बीज सके।

(अक्षय कुमार ग्राम दरीणी तह0 शाहपुर जिला कांगड़ा)

आठवीं बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि दरीणी रिकड़मार एक निजी कूहल है इस कूहल का रख–रखाव किसानों द्वारा स्वयं किया जाता है। विभाग द्वारा इस कूहल को पक्का करने के लिए डी0पी0आर0 210.00 लाख की AIBP के अन्तर्गत बनाई गई है जिसे विभाग द्वारा स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है।

गत बैठक में विस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग एवं लोक निर्माण विभाग को आदेश दिए कि दोनों विभाग मिलकर कुहल को पक्की करें तथा दो महीने के भीतर पक्की करेंगे।

बैठक में चर्चा के दौरान लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि यह निजी कूहल इस विभाग की सड़क रिड़कमार से शली के भाग आर0डी0 4/0 से 4/250 तक के साथ पड़ती है। कूहल के प्रभावित उपरोक्त भाग की वांछित मुरम्मत का कार्य 8 लाख रूपये में करवा दिया गया है। कुहल के शेष भाग का कार्य सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है।

सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग ने भी सूचित किया है कि मु0 52.89 लाख रूपये का प्राक्कलन लोक निर्माण विभाग को प्रस्तुत किया गया है और मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग धर्मशाला ने विस्तृत रिर्पोट उनके कार्यालय पत्र संख्याः आई0पी0एच0–सी0ई0 डी0 जैड0–9वी मीटिंग ओ0बी0सी0 कल्याण बोर्ड/2014–13363–68 दिनांक 12–2–2015 द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव (आई0पी0एच0) और अन्य को भेजी है। उपरोक्त पत्र के सन्दर्भ में अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग ने उनके पत्र संख्या: 2132–36 दिनांक 9–3–2015 द्वारा सूचित किया कि लोक निर्माण विभाग ने कूहल को क्षतिग्रस्त नही किया है परन्तु आर0डी0 4/050 से 4/350 जो रिड़कमार से सली सड़क के साथ है की मुरम्मत लोक निर्माण द्वारा अपने स्तर पर कर दी जायेगी व शेष भाग के लिए अभी तक कोई राशि जमा नही करवाई है। सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग ने इस कूहल के नवीनकरण हेतु नाबार्ड को डी0पी0आर0 भेजी थी। अब नाबार्ड के पत्र दिनांक 2–11–2015 द्वारा इस कूहल की डी0पी0आर0 220.15 लाख रूपये की स्वीकृत कर दी है और अतिरिक्त मुख्य सचिव (आई0पी0एच0) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः दिनांक 28–11–2015 द्वारा

प्रशासनिक अनुमोदन एंव व्यय स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा इस कूहल का शिलान्यास माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा 18–01–2016 को कर दिया गया है।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।

44. सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग नालागढ़ के क्षेत्र ग्राम पंचायत ढांग निहली के गॉव ढांग ऊपरली जहॉ की 80 प्रतिशत परिवार जो की अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं को पीने के पानी सुविधा उपलब्ध नही है, पानी के लिए नए टैंक बनाए जाये तथा पानी की पाईप की नयी लाईन बिछाई जाये । ताकि सभी स्थानीय निवासियों को पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके । क्योंकि उपरोक्त गांव में पिछले 35 वर्ष के दौरान लगभग कुल 60 परिवार थे। लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 200 परिवारों से अधिक हो चुकी है। लेकिन पानी की लाईन विभाग द्वारा कभी भी बदली नहीं गई है। इस समस्या का समाधान किया जाए ताकि समस्त स्थानीय निवासी लाभ उठा सके ।

(हरपाल सिंह गांव ढांग उपरली तह0 नालागढ़ व जिला सोलन)

आठवीं बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत ढांग उपरली में पेयजल सुचारू रूप से 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस गांव को पेयजल बढ़ोतरी के लिये 70 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति करने के लिए NRDWP के अन्तर्गत Proforma Estimate Process किया जा रहा है।

गत बैठक में मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिए कि गाँव–ढांग ऊपरली के लिए अलग स्कीम बनाई जाये।

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया है कि सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार इस योजना की प्रशासनिक अनुमोदन एंव व्यय स्वीकृति दिनांक 15–7–2014 को रूपये 29.09 लाख की प्रदान की जा चुकी है तथा नलकूप लगाने हेतु कार्य ठेकेदार को आबंटित कर दिया गया है जिसका कार्य शीघ्र आरम्भ कर दिया जायेगा।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।

49. पटवार घर समोह से पानी की सप्लाई लाईन अन्य पिछड़ा वर्ग हज्जाम बस्ती तक बिछाने बारे। इस बस्ती में लगभग 20 व 25 साल पुरानी पीने के पानी की पाईप लाईन बिछी है। उस समय परिवारों की संख्या बहुत कम थी परन्तु अब परिवारों की संख्या ज्यादा होने की वजह से लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी नही मिल रहा है। अतः इस पाईप लाईन के लिए उचित बजट का प्रावधान करके इसे बडी लाईनों में बदला जाए।

(श्याम लाल वैंस गांव व डा0 समोह तह0 झण्डुता जिला बिलासपुर)

आठवीं बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया है कि वर्तमान में उक्त बस्ती को उठाऊ पेयजल योजना समोह भजराई से पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा हैं। हज्जाम बस्ती में लगभग 15 परिवार है जिनकी जनसंख्या लगभग 120 हैं तथा इनके लिए 11 नल लगाए गए हैं। उक्त बस्ती में पानी लगभग 55 लीटर प्रति व्यक्ति की दर से दिया जा रहा हैं इसके अतिरिक्त इस बस्ती में एक हैण्डपम्प भी स्थापित किया गया है जो सुचारू रूप

से कार्य कर रहा है। अतः वर्तमान में उक्त बस्ती में पेयजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा पाईप लाईन को बदलना व्यवहारिक नहीं है।

गत बैठक में मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिए कि साईट बदलकर हैण्डपम्प लगाने बारे आगामी कार्यवाही की जाए ।

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 ने बैठक में अवगत करवाया है कि सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार इस योजना के पाईप लाईन बदलने हेतु दिनांक 4–7–2015 को 51,120/– की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा इस कार्य के लिये टैण्डर किये गए तथा लोगों को पेयजल सुचारू रूप से उपलब्ध करवाया जा रहा है। अतः अतिरिक्त हैण्डपम्प लगवाने की आवश्यकता नही हैं।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।

50. **<u>ग्राम पंचायत मैहल में अन्य पिछड़ा वर्ग आबादी में आज तक कोई भी धनराशि खर्च नहीं हुई पंचायत में जो भी कार्य किया गया है उसकी विजीलैन्स विभाग द्वारा जांच की जाये ताकि लोगो को धन राशि के दुरूपयोग का पता चल सके।</u>**

<u>(जगदीश चन्द गांव व डा0 महल तह0 भोरंज जिला हमीरपुर)</u>

आठवीं बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग आबादी वाले क्षेत्र या ग्राम पंचायत को पृथक से धनराशि आबंटित करने का प्रावधान नही है। यद्यपि ग्राम पंचायत मैहल को अन्य ग्राम पंचायतों की भांति धनराशि आबंटित की गई है। जहां तक विजीलैन्स विभाग से जॉच करवाने का प्रश्न है इस हेतु ग्राम पंचायत मैहल में विकासात्मक कार्यो के क्रियान्वयन में अनियमितता बारे शिकायत दिनांक 31–8–2012 को उप–महानिदेशक, रा0 स0 एंव भ्र0रो0 ब्यूरो शिमला –2 माध्यम से प्राप्त हुआ था, जिस पर जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर द्वारा खण्ड विकास अधिकारी भौरंज के माध्यम से करवाई गई जांच/छानबीन रिर्पोट से पाया गया कि शिकायतकर्ता ने अपने ब्यान में किसी विशेष धनराशि के दुरूपयोग का उल्लेख नहीं किया है अपितु ग्राम पंचायत की वर्ष 2010 की अंकेक्षण रिर्पोट की प्रति उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया जो उसे जिला पंचायत अधिकारी द्वारा दिनांक 31–12–2014 को उपलब्ध करवा दी है।

बैठक में चर्चा के दौरान ए0डी0सी0 हमीरपुर द्वारा सूचित किया गया कि 2012 से लेकर अब तक 32 कार्य हो चुके हैं तथा 7 कार्य प्रगति पर हैं तथा इस प्रकार कुल 39 कार्य हो चुके हैं जिसमें से 15 कार्य 2015 के हैं। ये सभी कार्य मनरेगा के हैं।

गत बैठक में मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग को आदेश दिए कि विभाग इसकी एक स्टडी करवाए तथा इस कार्य के लिए किसी विशेष अधिकारी को नियुक्त किया जाए।

बैठक में सम्बन्धित विभाग ने सूचित किया है कि खण्ड विकास अधिकारी/जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से जांच करवाई गई और कोई भी अनियमितता नही पाई गई जिसकी ऑडिट रिर्पोट भी उपलब्ध करवा दी गई है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।

59. **<u>हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़े वर्ग को अनुसूचित जाति की तर्ज पर विभिन्न विभागों में मिलने वाले बीज, खाद, औजार व लघु उद्योगों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिलवाया जाये ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग को लाभ मिल सके।</u>**

<u>(राम लाल शर्मा ग्राम व डा0 बोरली तहसील रेणुका संगड़ाह)</u>

आठवीं बैठक में मद पर चर्चा के दौरान कृषि विभाग द्वारा अवगत करवाया है कि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति की श्रेणी के किसानों को बीज/खाद/उपकरण/मशीनरी अन्य सामग्री आदि पर 50 प्रतिशत उपदान तथा समय–समय पर मिलने वाली अन्य सुविधाऐं प्रदान की जा रही है परन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के किसानों को यह सुविधाएं प्रदान नही की जा रही है।

गत बैठक में मद पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने कृषि विभाग को आदेश दिए कि अन्य श्रेणियों की तरह अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के किसानों को भी उक्त सुविधाऐं प्रदान की जानी चाहिए। अतः विभाग इस बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाएं।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान कृषि विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि वर्ष 2015–16 से सभी योजनाओं पर सभी श्रेणियों को 50 प्रतिशत अनुदान पर सुविधाएं प्रदान की जा रही है।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया।

72. **गत बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे हेतु विचार विमर्श हुआ जो बढ़ाकर 6 प्रतिशत किया गया उस पर ओ0बी0सी0 वर्ग इस से सन्तुष्ट नहीं है क्योंकि ओ0बी0सी0 की आबादी हिमाचल प्रदेश में 20 से 30 प्रतिशत है उस पर आरक्षण बिल्कुल कम है। इस पर विचार किया जाए।**

(शिवरूप सिंह महन्त ग्राम सवाना तह0 जस्वां जिला कांगड़ा)

आठवीं बैठक में चर्चा के दौरान सम्बन्धित गैर सरकारी सदस्य द्वारा मुद्दा उठाया गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आमदनी के आधार पर आरक्षण दिया जाता है जबकि अनु0 जाति/ अनु0 जन जाति को दिए जा रहे आरक्षण हेतु आमदनी की शर्त नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग को भी इसी प्रकार आरक्षण दिया जाना चाहिए।

गत बैठक में मद पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि माननीय सदस्य द्वारा यह नया मुद्दा उठाया गया है, इस पर वित्त विभाग अपनी टिप्पणी देगा।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान वित विभाग ने सूचित किया है कि आरक्षण का मामला कार्मिक विभाग से सम्बन्धित है। तत्पश्चात कार्मिक विभाग द्वारा बैठक में सूचित किया है कि वैधानिक व संविधान के प्रावधान अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, जिसका चिकित्सा महाविद्यालय में अनुसरण नही किया जा रहा है।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया।

75. **अन्य पिछड़ा वर्ग सर्टिफिकेट की अवधि एक साल से ज्यादा की जाए तथा आय नियमों में भी फेर बदल किया जाए।**

(प्रकाश चन्द कपिल गांव ठप्पर तह0 झडुण्ता जिला बिलासपुर)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता) ने आठवीं बैठक में बताया कि वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की अवधि सरकार द्वारा दो वर्ष निर्धारित की गई है । इस के अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग में Creamy layer के निर्धारण हेतु आय सीमा 7 अगस्त 2013 को 4.50 लाख रू0 वार्षिक से बढ़ा कर 6.00 लाख रूपये वार्षिक कर दी गई है।

गत बैठक में मद पर चर्चा के दौरान माननीय परिवहन मन्त्री महोदय द्वारा चाहा गया कि नोटिफिकेशन की प्रति राजस्व विभाग को भेजी जाए तथा संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी व पात्रता के प्रावधानों की जानकारी प्रदान करने हेतु नियमित तौर पर कैम्प लगाए जाऐं ।

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता द्वारा बैठक में सूचित किया है कि गत बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार अधिसूचना की प्रति राजस्व विभाग को भेजी जा चुकी है। इस के अतिरिक्त सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु जो योजनाएं चलाई जा रही है उन का लाभ जन सामान्य तक पहुंचे, उस हेतु इन योजनाओं का प्रचार, प्रसार समय–समय पर विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले जागरूकता शिविरों के माध्यम से किया जाता है तथा समाचार पत्रों व आकाशवाणी के माध्यम से भी विभाग द्वारा इन योजनाओं का नियमित रूप से प्रसार किया जाता है ।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।

79. हिमाचल प्रदेश में JICA के द्वारा किसानों की कृषि को उन्नत करने के लिए प्रोजैक्ट लगाया जाता है जो गांव में करणधार बनाये जाते है वह अपनी मनमानी करते है और पूर्ण रूप से JICA द्वारा जो सहायता किसानो को दी जाती है उससे वंचित रखा जाता है और मैहल गांव शेर में कृषक विकास संघ (जेसिसाक्शन सोसायटी) के नाम से चलाई गई है जिस द्वारा मनमानी ढ़ंग से कार्य किया जा रहा है किसानो को लाभ से वंचित रखा जा रहा है। इसकी जांच की जानी चाहिए ताकि किसानों को पूरा लाभ मिल सके।

(जगदीश चन्द गांव व डा0 महल तह0 भोरंज जिला हमीरपुर)

गत बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कृषि विभाग को मामले में कार्यवाही के निर्देश दिए गये थे।

मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया गया कि मामले की जांच करवाई गई। जिसमें पाया गया कि किसानों द्वारा आवेदन पत्र दिए गए थे जिसे स्वीकार नही किया गया, क्योंकि इसमें किसानों से मासिक अंशदान का प्रावधान रखा गया था जो किसानों द्वारा नही दिया गया था। वर्तमान में इसे लागू कर दिया गया है। माननीय गैर सदस्य द्वारा बैठक में बताया गया कि कम्पनी द्वारा किसानों को रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाए, जिसमें कृषि विभाग ने उत्तर दिया कि रोजगार का मामला श्रम एंव रोजगार विभाग से सम्बन्धित है।

(कृषि/श्रम एंव रोजगार विभाग)

80. धौलाकुंआ में पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय का अनुसंधान केन्द्र है। जिला सिरमौर में कृषि शिक्षा की सुविधा हेतु कृषि अनुसंधान केन्द्र धौलाकुंआ में कृषि महाविद्यालय खोला जाए।

(ज्ञान चन्द ग्राम रामपुर डा0 धौलाकुंआ तह0 पांवटा साहिब जिला सिरमौर)

गत बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया गया कि चौ0 स0 कु0 हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार जिला सिरमौर में कृषि शिक्षा की सुविधा हेतु कृषि महाविद्याालय धौलाकुंआ में खोलने का मामला अभी विचाराधीन है। Financial Involvement होने के कारण मामला सरकार को भेजा जाएगा।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान कृषि विभाग ने सूचित किया है कि यहां पर पहले ही दो केन्द्र है जिस कारण से प्रक्रिया को लागू नही किया जा सकता, फिर भी महाविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त होने उपरान्त सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाऐगा।

उपरारेक्त के दृष्टिगत मद को समाप्त किया गया।

81. ग्राम पंचायत मुगला वाला–करतारपुर में CCI का सिमेन्ट प्लांट लगा हुआ है जिसमें पूरी पंचायत का जिम्मा ले रखा है परन्तु हालात यह है कि CCI ने जो जिम्मेवारी गांव की ले रखी है उसमें 5 प्रतिशत भी खरी नहीं उतर रही है यहां तक की गांव के लोग अपना ट्रेक्टर लेकर भी CCI की सड़क से नही जा सकते क्योंकि CCI ने अपनी सड़क पर दोनों तरफ गेट लगाए हुए है जबकि गांव के लोग CCI की धूल के कारण छत पर सो नहीं सकते और न ही कपड़े इत्यादि सुखा सकते है।

(तृषा चौधरी ग्राम मुगलावाला डा0 राजबन जिला सिरमौर)

आठवीं बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया गया कि नई मद प्राप्त हुई है तथा मौके पर अधिकारी भेजे गए है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

As per report submitted by concern Department CCI is providing the following facilities to the residents of nearby villages and particularly to Muglonwala panchayat:-

1. Subsidized Bus facilitity the School going children is being provided by us.
2. Time to time Health camps are bing organized where free medicines is also distributed to the needy free consultation and medicines is also provided to residents of adopted village in our Health Centre.
3. Water pipe line has been provided to the village.
4. Water connection has also been provided to Anganwari building and also provided common water connection for the benefit of residents.
5. Post control services are provided to such village.
6. Preference is also given for employment to the resident of village Muglonwala. During recent recruitment three number of candidates belonging to this village have been appointed for regular employment.

As regards allegation that CCI is not allowing Tractors or heavy vehicle inside the colony. It is stated that CCI has already provided concrete Road for going to village. It is further stated that ours is a Government of India Enterprises which has been notified Prohibited Area and as such in view of safety and security measures, the entry commercial vehicles such as Truck, Tempo, Tractors has been banned inside the CCI. Moreover a separate road has already been constructed by the Panchayat for vehicles.

As the allegations made in the meeting are baseless and are beyond the truth.

उपायुक्त सिरमौर ने अवगत करवाया है कि महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र नाहन की सूचना के अनुसार CCI द्वारा ग्रामवासियों विशेषकर ग्राम मुगलावाला के ग्रामवासियों को समस्त मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध करवाई जा रही है। जहां तक आवासीय कॉलोनी में ट्रेक्टर व भारी वाहनों के प्रवेश का प्रश्न है, CCI द्वारा पहले ही गांव में जाने के लिए कंक्रीट रोड़ उपलब्ध करवाया गया है। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा अलग से भी इन वाहनों के आवागमन हेतु सड़क निर्मित की गई है।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।

89. भाखड़ा विस्थापित ग्राम पंचायत बलधाड़ में बहुत जनसंख्या है जिनका मिनी बन्दोबस्त जमीन का होना बहुत जरूरी है।

(प्रकाश चन्द कपिल गांव ठप्पर तह0 झडुण्ता जिला बिलासपुर)

आठवीं बैठक में मद पर चर्चा के दौरान उपायुक्त बिलासपुर द्वारा सूचित किया है कि इस मद की छानबीन जिला राजस्व अधिकारी, बिलासपुर से करवाने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत बलधाड़ के अन्तर्गत पड़ने वाले राजस्व गांव बलधाड़ में भाखड़ा विस्थापितों को रक्बा तादादी 686–2 बीघा रकबा बतौर नौतोड़ मिला हुआ है। शजरा ततीमा के मुताविक जो रकबा लोगों को अलाट हुआ है उस पर पूर्ण रूप से काब्ज नही है अलाटी की जनसंख्या कुल आबादी की जनसंख्या का 70 प्रतिशत है। इसलिए जमीन के कब्जा सम्बन्धी झगड़ों को निपटाने हेतु मौजा बलधाड़ में बन्दोबस्त होना जरूरी है। जिसके लिए सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाना है।

गत बैठक में मद पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस मामले में राजस्व विभाग परीक्षण करे तथा उचित कार्यवाही अमल में लाए।

बैठक में उपायुक्त बिलासपुर से प्राप्त सूचना अनुसार भू–व्यवस्था अधिकारी शिमला मण्डल शिमला के पत्र संख्याः रैव/एस0टी0/एस0एम0एल0/पे0/1–65/13–5835 दिनांक 28–12–2015 द्वारा प्राप्त निर्देशोनुसार तहसीलदार झण्डूता को आगामी कार्रवाई करने हेतु लिखा जा चुका है।

राजस्व विभाग द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि मामला काफी पेचिदा है यह पुरानी नौतोड़ भूमि है बन्दोबस्त से समाधान नही होगा इससे ज्यादा झगड़े बढ़ेंगे फिर भी उपायुक्त के माध्यम से इसका पूरा समाधान कर दिया जाऐगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत मद समाप्त कर दी गई है।

92. गिरीपावर हाउस उच्च विधालय गिरीनगर विद्युत परिषद् द्वारा संचालित है जिसमें ओ0बी0सी0,एस0सी0,एस0टी0 छात्रों को सरकारी उपलब्ध सुविधा नही मिलती इसलिए इस विद्यालय को विद्युत परिषद् से सरकारी शिक्षा विभाग को दिया जाए ताकि जनहित में लोगों को सरकारी सहायता का लाभ उठा सके।

(ज्ञान चन्द ग्राम रामपुर डा0 घौलाकुंआ तह0 पांवटा साहिब जिला सिरमौर)

गत बैठक में मद पर चर्चा के दौरान शिक्षा विभाग द्वारा सूचित किया गया कि इस सन्दर्भ में सरकार को उनके निदेशालय के पत्र संख्याः–END-HE(5)C (8) Misc/2014-15 दिनांक 13-11-2014 द्वारा प्रस्तावना सूचना आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई है।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान राज्य विद्युत परिषद् द्वारा सूचित किया है हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लि0 द्वारा संचालित सभी स्कूलों/विद्यालयों को शिक्षा विभाग को सौंपने हेतु मामला हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग कार्यालय में आगामी कार्यवाही हेतु लम्बित है। अतः उचित कार्यवाही आगामी आदेश आने पर ही तदानुसार की जा सकेगी।

गत बैठक में मद पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि शिक्षा विभाग स्कूल को टेक–ओवर करने बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाएं।

बैठक में मुख्य अभियन्ता हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड (योजना एंव अनुश्रवण) द्वारा सूचित किया गया है कि संचालित स्कूलों/विद्यालयों जिसमें उच्च विद्यालय गिरीपार हाउस भी शामिल है, सरकारी शिक्षा

विभाग को सौंपने के सम्बन्ध में इस मद के समाधान हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार एंव कार्यकारी निदेशक (कार्मिक) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड के बीच दिनांक 05–10–2015 को बैठक हुई है। इस मामले में आगामी कार्यवाही शिक्षा विभाग से निर्देश आने पर ही की जाएगी। इसी सन्दर्भ में निदेशालय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भी सूचित किया है कि मामला सरकार के विचाराधीन है।

उपायुक्त सिरमौर द्वारा अवगत करवाया गया कि अधीक्षण अभियन्ता विद्युत बोर्ड शक्तिनगर के पत्र क्रमांक एस0ई0जी0एन0/ई0–8/2016–2861 दिनांक 01–02–2016 के अनुसार इस वृत के अन्तर्गत आने वाले हि0प्र0रा0विद्युत परिषद द्वारा संचालित सभी विद्याालयों को शिक्षा विभाग को सौंपने का मामला प्रगति पर है तथा शीघ्र ही इस मामले को हि0प्र0 सरकार को सौंप दिया जाएगा।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।

96. राजकीय हाई स्कूल धार धंगड़ को 10+2 किया जाए क्योंकि जंगल का एरिया है। लड़कों और लड़कियों का आना जाना मुश्किल हो जाता है।

(त्रिलोक चन्द गांव धंगड़ डा0 धार तह0 देहरा व जिला कांगड़ा)

आठवीं बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया गया कि निकटतम स्कूल 08 कि0 मी0 की दूरी पर है तथा बच्चों की संख्या कम है, इसलिए स्तरोन्नत करने बारे मापदण्डों को पूरा नहीं करता है।

गत बैठक में मद पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने शिक्षा विभाग को मामला फाईल पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में अवगत करवाया कि उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार राजकीय हाई स्कूल घार धंगड़ को 10+2 के स्तर पर स्तरोन्नत करने बारे पत्र दिनांक 06–02–2015 द्वारा सरकार को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है। अतः मामला सरकार के विचाराधीन है।

अतः मद को समाप्त कर दिया गया है।

98. ग्राम पंचायत ढांग निहली के राजकीय उच्च विद्यालय ढांग को सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने बारे, ग्राम पंचायत के उक्त स्कूल को राजकीय उच्च विद्यालय ढांग को सीनियर सेकेन्डरी स्कूल करने बारे स्थानीय निवासियों द्वारा कई बार सरकार के आगे प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन आज दिनांक तक उपरोक्त स्कूल को सीनियर सेकेंडरी का दर्जा नहीं दिया गया है। जबकि स्थानीय निवासियों को उक्त स्कूल ही नजदीक पड़ता है अन्यथा सभी बच्चों को दूर दराज के क्षेत्र नालागढ़ में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु जाना पड़ता है। अतः निवेदन है की स्कूल को जल्द से जल्द सीनियर सेकेंडरी किया जाये।

(हरपाल सिंह गांव ढांग उपरली तह0 नालागढ़ जिला सोलन)

गत बैठक में शिक्षा विभाग ने सूचित किया किया कि मझौली में 04 कि0 मी0 पर एक स्कूल है। राजकीय उच्च विद्यालय ढांग को स्तरोन्नत करने बारे प्रस्तावना सूचना सरकार को पत्र संख्याः–END-H(6)1-4/2013-14/2015/(Prop. To Govt.) दिनांक 28–11–2014 द्वारा आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई है। अतः मामला सरकार के विचाराधीन है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया कि उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार राजकीय उच्च विद्यालय ढांग को स्तरोन्नत करके वर्ष 2015–16 में कार्यमूलक कर दिया गया है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।

99. ग्राम पंचायत ढ़ाग निहली में राजकीय उच्च विद्यालय ढांग का दर्जा बढ़ाकर जमा दो विद्यालय किये जाने की मांग पिछले 14–15 वर्षो से उठाई जा रही है । मौजूदा सरकार ने ग्रामीण के प्रतिनिधि मण्डल की मांग पर जनवरी 2014 में राजकीय उच्च विद्यालय करने की बात पर अप्रूवल भी दे दी थी लेकिन लोक सभा चुनावों को लेकर आचार संहिता लगने के कारण यह मामला लटक गया और वर्तमान शैक्षणिक सत्र में जमा –2 की कक्षाऐं नहीं बिठाई जा सकी। यह स्कूल वर्ष 1937 में खुला था और तब पूरे नालागढ़ उप मण्डल में सिर्फ 6 स्कूल हुआ करते थे । बाकी सभी स्कूलों को जमा दो हुए 15 –20 साल हो गए है। नालागढ़ विधान सभा क्षेत्र के डोली, मित्तियां,गोयला पभर, नण्ड, वाहना, गुल्लर वाला, भटियां, बघेरी, रतबाड़ी, पंनजेहरा आदि स्कूलों को तो जमा दो का दर्जा प्रदान कर दिया गया , मगर ढांग स्कूल उपेक्षा का शिकार हो गया इस स्कूल में 80% ओ0बी0सी0 एस0सी0 व एस0टी0 की आबादी बहुल ढांग निहली , माजरा व प्लासी कलां पंचायतों के करीब दो दर्जन गांवों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं हाल ही में जब मुख्यमंत्री जी 13 अक्टूबर 2014 नालागढ़ विश्राम गृह में आए थे तो मुख्यमंत्री साहिब ने एक ग्रामीण प्रतिनिधि मण्डल को अप्रैल 2015 से ढांग स्कूल को बढा़कर जमा दो विद्यालय के कक्षाएं बिठाने का आशवासन दिया था। अतः अनुरोध है कि ग्रामीण की इस लंबित मांग को पूरा करने की कृपा करें ।

(जगदीश सिंह सैनी गांव ढांग तह0 नालागढ़ जिला सोलन)

गत बैठक में मद पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्कूल को स्तरोन्नत करने की घोषणा की तथा शिक्षा विभाग को आगामी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 ने बैठक में अवगत करवाया कि उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार राजकीय उच्च विद्यालय ढांग को स्तरोन्नत करके वर्ष 2015–16 में कार्यमूलक कर दिया गया है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।

102. ग्राम पंचायत ढांग निहली के गांव ढांग ऊपरली में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोले जाने की लंबे अरसे से मांग की जा रही है। वर्ष 1996–97 में ढांग ऊपरली में डिस्पेंसरी नालागड़ की बगलैहड़ पंचायत के पल्ली में खोल दी गई थी । पिछले 15–16 वर्षो से ग्रामीण आयुर्वेदिक डिस्पेंस्री की मांग कर रहे है। पंचायत की आबादी भी 4500 के करीब है। लिहाजा ग्राम पंचायत के गांव ढांग ऊपरली में डिस्पेंसरी शीघ्र अति शीघ्र खोली जाए । इस पंचायत में करीब 55% आबादी ओ0बी0सी0 समुदाय , 22 फीसदी एस0टी0 व 10 फीसदी एस0सी0 समुदाय की है।

(जगदीश सिंह सैनी गांव ढांग तह0 नालागढ़ जिला सोलन)

गत बैठक में चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने आयुर्वेदा विभाग को सर्वेक्षण करके मामला प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया कि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार ग्राम पंचायत ढांग में आयुर्वेदिक डिस्पैंसरी खोलने के बारे में विभागीय संस्तुति सहित सर्वेक्षण रिर्पोट सरकार को आगामी कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दी गई है। तदानुसार मामला विचाराधीन है।

नवीनतम प्राप्त सूचना अनुसार आयुर्वैदिक विभाग द्वारा सूचित किया गया कि प्रधान सचिव (आयुर्वेद) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः आयुर–ई(4)1/2014 भाग–3 दिनांक 02–4–2016 के अन्तर्गत वित विभाग द्वारा ग्राम पंचायत ढांग निहली के गांव ढ़ांग उपरली जिला सोलन में नवीन आयुर्वैदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के मामले में असहमति प्रकट की है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।

103. **ग्राम पंचायत में से नालागढ़ उपमण्डल की मुख्य नदी सरसा नदी के अलावा चिकनी नदी (खडड) बहती है और इन नदियों में अवैध खनन के कारण काफी ज्यादा भूमि कटाव हो चुका है। यह नदियां नालागढ़ उपमण्डल की कई पंचायतों को काफी प्रभावित करती है। नालागढ़ उपमण्डल देश –प्रदेश का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। लिहाजा कीमती भूमि को बचाए रखने के लिये यहां की खडडों का स्वां नदी की तर्ज पर चैनलाईजेशन करवाया जाना चाहिए ।**
(जगदीश सिंह सैनी गांव ढांग तह0 नालागढ़ जिला सोलन)

गत बैठक में मद पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने उपायुक्त सोलन को सर्वेक्षण करके मामला प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में अवगत करवाया कि उपायुक्त सोलन से प्राप्त सूचना अनुसार अधिशासी अभियन्ता सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य द्वारा इस मण्डल के अन्तर्गत सीरसा नदी व अन्य खड्डों के चैनालाईजेशन हेतु Preliminary सर्वेक्षण करवाया जा रहा है तथा इसके उपरान्त DPR बनाने हेतु व Model Studies करवाने हेतु Consultancy के लिए टैण्डर किये जायेगें।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।

******

दसवीं बैठक हेतु प्राप्त नई मदें:–

लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मदें

1. **जमथल ग्राम घाट से लेकर अर्पण राम आदि के घर तक 5–6 परिवारों (जॉट) के लिए जिला परिषद् निधि से 300 मीटर सड़क निकाली गई है उसे पक्का किया जाऐ।**

(श्री कृष्ण दास चौधरी,गांव व डा0जमथल,त0सदर,जिला बिलासपुर)

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया है कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार यह सड़क विभाग द्वारा नही बनाई गई है और न ही किसी बजट स्कीम में है यदि यह लोक निर्माण विभाग के निर्धारित मापदण्डों को पूरा करती होगी और पर्याप्त धन राशि का प्रावधान हो तो ही उपरोक्त सड़क को पक्का किया जा सकता है।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को मामले में परीक्षण करने के निर्देश दिए। चर्चा उपरान्त मद को समाप्त कर दिया गया।

2 **ग्राम पंचायत मरहाणा के ग्राम कुठेड़ा के पक्के लिंक रोड़ के डंगें को पक्का करवाने हेतु कई बार विभाग से आग्रह किया गया, कृप्या इसके लिए 2 लाख रूपये स्वीकृत करने की कृपा करे ताकि सड़क को कोई नुकसान न हो।**

(श्री विजय कुमार ,गांव कुठेडा,घुमारवी,बिलासपुर)

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार यह लिंक रोड़ विभाग के किसी बजट स्कीम में नहीं है। इस लिंक रोड़ के डंगे को पक्का करने के लिए लगभग 3.00 लाख रूपये खर्चे का अनुमान है अतः पर्याप्त धन राशि का प्रावधान हो जाने पर उपरोक्त डंगे को पक्का कर दिया जाऐगा।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को मामले में परीक्षण करने के निर्देश दिए। चर्चा उपरान्त मद को समाप्त कर दिया गया।

3 **बिलासपुर जिला की पंचायत बरोटा के अन्तर्गत वार्ड न0 4, व 5 से होती हुई एक सड़क स्वतंत्रता सेनानी जीवन राम के घर तक निकाली गई है । परन्तु यह कच्ची तथा जीर्ण अवस्था में है। सरकार से अनुरोध है कि इस सड़क को पक्का किया जाये।**

(श्री ज्योति कश्यप ,गांव बरोटा ,तह0 घुमारवी ,जिला बिलासपुर)

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार यह सड़क विभाग द्वारा नही बनाई गई है और न ही बजट स्कीम में है। इस सड़क को पक्का करने व 6.00 मीटर स्पैन की एक कलवर्ट बनाने के लिए लगभग 25.00 लाख रूपये खर्चे का अनुमान है। अतः पर्याप्त धन राशि का प्रावधान हो जाने पर ही उपरोक्त सड़क को पक्का किया कर दिया जाऐगा।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने वित विभाग को वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट प्रावधान में इस कार्य को करने के निर्देश दिए। अतः मद को समाप्त कर दिया गया।

4. **टीका भाटनाला को लिंक रोड़ N.H–20 से भाटनाला तक जोड़ा गया है मगर ये लिंक रोड़ एच0पी0पी0डब्लयू0डी0 के अधीन नही है। इस लिंक रोड़ को एच0पी0पी0डब्लयू0डी0 विभाग के पास दिया जाये या प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत डाला जाये ताकि इस लिंक रोड़ की देखरेख समय पर होती रहे। अब इस बार जून 2015 में कोलतार डाली गई मगर वह भी आधी रह गई है। इस लिंक रोड़ की लगभग लम्बाई 500–600 मीटर है और आधे में कोल तार डलेगी या नही । यह लिंक रोड़ भूतपूर्व विधायक चौधरी सुरेन्द्र काकू के समय में 2007 में बनाया। इसे किसी भी विभाग में डाला जाये।**

(एक्स–सूबेदार रोशन लाल , गांव खोली (टीका भाटनाला) तह0जिला, कांगडा,)

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार यह सड़क विभाग द्वारा डिपोजिट फंड के अन्तर्गत बनी है। इसकी कुल लम्बाई लगभग 600 मीटर है। इस सड़क पर 300 मीटर तक टायरिंग हुई है तथा शेष भाग में कुछ सोलिंग और वियरिंग हुई है। इस सड़क को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अधीन करने के लिए भूमि अधिग्रहण करनी होगी तथा इसको माननीय विधायक की संस्तुति के बाद नाबार्ड में डाला जा सकता है या फिर हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग के एम0एन0पी0 में लिया जा सकता है। अतः इसके लिए लगभग 8 लाख रूपये के प्रावधान की आवश्यकता है।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को एम0एन0पी0 में डालने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अतः मद को समाप्त कर दिया गया।

5. **गांव अप्पर डोहगी तहसील बंगाणा जिला ऊना मुख्य मार्ग से गांव तक सड़क निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जाये।**

(डा0 शेर सिंह ,गांव डा0 डोहगी ,तह0 बगाणा,जिला ऊना)

बैठक में लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया कि इस सड़क की लम्बाई लगभग 1.00 कि0मी0 है व यह सड़क ऊना –अग्धार–मण्डी सड़क से विभाजित होती है व यह सड़क के कुछ भाग का निर्माण पंचायत द्वारा किया गया है व आगे निर्माण के लिए 15.00 लाख रूपये की राशि की आवश्यकता है।

माननीय गैर सरकारी सदस्य बैठक में उपस्थित नही हुए, इसलिए बैठक में मद पर चर्चा नही की गई तथा मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

6. **छतरी से 1 किलोमीटर आगे बखालनी नामक स्थान पर वर्षा शालिका बनाई जाए जहां पर ओ0बी0सी0 व एस0 सी0 तथा अन्य लोग बस के लिए इन्तजार करते है। क्योंकि इस स्थान पर वर्षा व धूप से बचने का किसी भी प्रकार का आश्रय नही हैं।**

(श्री वेद प्रकाश वर्मा गांव चौरा डाक घर छतरी तह0 थुनाग जिला मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया है कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार छतरी से 1 किलोमीटर आगे बखालनी नामक स्थान पर वर्षा शालिका का बनना अनिवार्य है, परन्तु इस स्थान पर सड़क के दोनो और लोगों की निजी ज़मीन आती है। यदि स्थानीय लोग ज़मीन विभाग के नाम स्थानान्तरित करते तो विभाग द्वारा शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय गैर सरकारी सदस्य को निजी भूमि विभाग के नाम करवाने व अनापति प्रमाण पत्र देने को कहा तत्पश्चात विभाग को वर्षा शालिका बनाने हेतु निर्देश दिए। **तथा मद को समाप्त कर दिया गया।**

7. **छतरी के समीप शिंगल नाला से शिंगल चौंरा गांव तक ट्रेक्टर रोड़ निकाली जाए ताकि ओ0बी0 सी0 व एस0सी0 तथा अन्य लोग इस ट्रेक्टर रोड़ से लाभान्वित हो सके। इस ट्रेक्टर रोड़ की लम्बाई लगभग एक किलोमीटर है।**

(श्री वेद प्रकाश वर्मा गांव चौरा डाक घर छतरी तह0 थुनाग जिला मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया है कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार छतरी के समीप शिंगल नाला में शिंगल चौरा गांव तक ट्रेक्टर रोड़ का निर्माण कार्य पंचायत द्वारा पहले ही किया जा चुका है और इस सड़क में भी लोगों की जमीन आती है। यदि सड़क को चौड़ा करना है या कोई अन्य कार्य करना है, तो इसके लिए पहले इस सड़क को विभाग के नाम हस्तांतरित करना योग्य व स्थानीय लोगों को ज़मीन विभाग को स्थानान्तरित करते है व बजट का प्रावधान होता है तो विभाग द्वारा शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने गैर सरकारी सदस्य को जमीन विभाग के नाम करवाने उपरान्त विभाग को कार्य को पूरा करने के निर्देश जारी किए। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

8. **छतरी ज़िरो चौक से मगरू महादेव मन्दिर छतरी तक सड़क का निर्माण किया जाए जिसकी लम्बाई लगभग 300 मिटर है।**

(श्री वेद प्रकाश वर्मा गांव चौरा डाक घर छतरी तह0 थुनाग जिला मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया है कि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार यह सड़क लोक निर्माण विभाग के बजट में नही है और इस सड़क की अलाईनमेन्ट में वन व स्थानीय लोगों की भूमि आती है। इसमें बजट प्रावधान करना पड़ेगा व यदि इस सड़क के निर्माण के लिए स्थानीय लोग अपनी भूमि स्वेच्छा से दान करते है,तो विभाग वन विभाग से स्वीकृति की औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर सकेगा।

मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने गैर सरकारी सदस्य को जमीन विभाग के नाम करवाने उपरान्त विभाग को निर्देश दिए कि मामला विभागीय नस्ति पर प्रस्तुत करे।

(लोक निर्माण विभाग)

9. **धंगड़ पंचायत में लिंक रोड़ मिडल स्कूल टिल्ला धंगड़ से लेकर हाई स्कूल धार धंगड़ तक सड़क को नाबार्ड में डाला जाए। सड़क से कई गांव वंचित है। जिसमें 1. धंगड़ खास 2. बस्ती हाली 3. गांव लून्स बाग 4. गांव चतरा तथा गांव कबीर पंथी धार इत्यादि जिसकी आबादी लगभग 700 के करीब है।**

(श्री त्रिलोक चन्द,गांव व डाकघर धार धंगड़,तह0 देहरा, जिला कांगड़ा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया है कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार इस सड़क का पूरा नाम सम्पर्क सड़क धार से लून्सू मदंरेटा है। इसकी कुल

लम्बाई 0/0 से 6/540 कि0मी0 है। यह सड़क विधायक प्राथमिकता में वर्ष 2010–11 में शामिल हुई है। इस सड़क में वन विभाग की भूमि आती है। वन भूमि के स्थानान्तरण हेतु प्रक्रिया मण्डल स्तर पर जारी हैं। वन विभाग से भूमि स्थानान्तरण की स्वीकृति मिलने के उपरान्त ही सड़क निर्माण सम्बन्धित कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जायेगा।

मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को निर्देश दिए कि इसका सर्वेक्षण किया जाए कि कितनी भूमि वन विभाग की है और कितनी सरकारी है तत्पश्चात मामले में आवश्यक कार्यवाही की जाए **तथा मद को समाप्त कर दिया गया।**

10. **धौलाकुंआ से श्री रेणुका सड़क पर कौंथरी रोड़ पर पुल निर्माण की मांग कि थी एक वर्ष से नाबार्ड में लम्बित है कृप्या शीघ्र स्वीकृति दिलवाकर निर्माण कार्य करवाया जाये।**

(श्री ज्ञानचन्द ,ग्राम रामपुर ,पोस्ट ओफिस धौलाकुंआ,जिला सिरमौर)

अधीक्षण अभियन्ता 12वां वृत लोक निर्माण विभाग नाहन ने बैठक में अवगत करवाया कि कौंथरी पुल की स्वीकृति नाबार्ड के तहत RIDF-XXI में मु0 358.43 लाख रूपये की हाल ही में स्वीकृत हुई है।

माननीय गैर सरकारी सदस्य बैठक में उपस्थित नही हुए, इसलिए बैठक में मद पर चर्चा नही की गई तथा मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

11. **सम्पर्क सड़क ग्राम बोरली जिसकी लम्बाई 500 मीटर है व इसका ले–आउट भी लोक निर्माण मण्डल संगड़ाह सिरमौर द्वारा किया जा चुका है। कृप्या सम्बन्धित विभाग से प्राक्कलन तैयार करवाकर प्राक्कलनुसार राशी मुहैया करवा कर कार्य आरम्भ करवाया जाये, जबकि 150 मीटर सड़क बनकर तैयार है व पिछली बैठकों में भी यह मुदा उठाया गया था। इस गांव कि जनसंख्या 500 के करीब है व यही सडक आगे पर्यटक स्थल देवधार को भी जोड़ेगी।**

(श्री राम लाल शर्मा ,ग्राम व डा0 बोरली,रेडली,उप–मण्डल संगडाह,सिरमौर)

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में अवगत करवाया कि लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया गया कि यह मामला ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है। क्योंकि विभाग के पास इस छोटी सी सड़क का कोई सन्दर्भ नही है।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान ग्रामीण विकास विभाग ने सूचित किया कि पहले ग्राम सभा से शैल्फ तैयार करनी जरूरी है। इस पर माननीय गैर सरकारी सदस्य ने कहा कि यह कार्य पंचायत के माध्यम से नही किया जा सकता क्योंकि चट्टान वाली जमीन है इसे लोक निर्माण विभाग के माध्यम से ब्लासटिंग द्वारा किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने चर्चा उपरान्त लोक निर्माण विभाग को इस मामले का सर्वेक्षण करने उपरान्त कार्य में आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिए तथा मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

12. **लिंक रोड़ चम्बी से स्वाणा का लिंक चिन्तपुर्णी से चनौर रोड़ के साथ हो चुका है, अब कई बसों के रूट चम्बी स्वाणा रोड़ से चनौर जाते है । विभागीय कमेटी के द्वारा यह रोड़ पास हो चुका है। लिंक रोड़ चम्बी से स्वाणा, वह–डोटा का एक कि0मी0 रोड़ सांसद निधि द्वारा पंचायत व पी0डब्लयू0डी0 विभाग ने बनाई है, पर यह एक कि0मी0 रोड़ पी0डब्लयू0डी0 विभाग ने टेक ओवर नही किया है। पी0डब्लयू0डी0 विभाग को आदेश दिये जाएं कि इस पर नियमत रूप से बसें चल**

रही हैं ट्रेफिक सूचारू रूप से चलता है, इसे पी0डब्लयू0डी0 विभाग मण्डल देहरा के अधीन की जाए।

(श्री शिवपाल सिंह महंत ,ग्राम स्वाना, तह0 जसवा ,जिला कांगड़ा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया है कि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार इस सड़क की कुल लम्बाई 0/0 से 4/00 कि0मी0 है। इस सड़क पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है । यह सड़क आगे जाकर बढ़ल वैह डोन्टा सम्नोली सड़क से मिलती है । परन्तु दोनों सड़कों के मध्य 1/425 कि0मी0 सड़क का भाग खड्ड के साथ–साथ जाता है जिस पर स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा कार्य किया गया है । लेकिन यह सड़क कच्ची है। इस सड़क पर दो काजवे (X drainage) का कार्य स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है लेकिन लो0नि0वि0 ने इस (कि0मी0 1/425) भाग पर कोई भी कार्य नही किया है । इस सड़क को पक्का करने पर लगभग 25.00 लाख रूपये खर्च आएगा। इस भाग के लिए वर्ष 2015–16 के बजट में भी कोई प्रावधान नही है। स्थानीय लोगों द्वारा सड़क में आने वाली निजी भूमि लोक निर्माण विभाग के नाम करने के उपरान्त ही आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

माननीय गैर सरकारी सदस्य बैठक में उपस्थित नही हुए, इसलिए बैठक में मद पर चर्चा नही की गई तथा मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

13. **चम्बी से गूंलागड़ा रोड़ पी0डब्लयू0डी0 उप–मण्डल डाडा सीबा के लिए बीस वर्ष पहले बजट में प्रावधान किया गया था, जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नही हुई जो बजट इस सड़क को आता है वो दूसरे रोड़ पर खर्च हो जाता है। विभाग को आदेश दिये जाऐ कि औपचारिकताएँ पूरी करके रोड़ के कार्य को शुरू किया जाऐ ।**

(श्री शिवपाल सिंह महंत ,ग्राम स्वाना, तह0 जसवां ,जिला कांगड़ा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया है कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार इस सड़क की कुल लम्बाई 0/0 से 3/00 कि0मी0 है। इस सड़क के लिए वित्तिय वर्ष 2015–16 में 50,000/–रूपये का बजट प्रावधान है । यह सड़क मौका पर 2 से 3 मीटर चौड़ी है। अतः इस सड़क को लोक निर्माण विभाग के मापदण्डों के अनुसार बनाने हेतु स्थानीय लोगों की भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। अगर स्थानीय लोग विभाग के नाम भूमि दान करने के लिए सहमत हो जाते है, तभी इस सड़क पर कार्य सम्भव है। स्थानीय लोगों को विभाग के नाम भूमि स्थानान्तरण करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

माननीय गैर सरकारी सदस्य बैठक में उपस्थित नही हुए, इसलिए बैठक में मद पर चर्चा नही की गई तथा मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

14. **बावड़ी शकराह से ग्राम फरैट–शैहच को सरमाणा काली हट्टी सड़क से जोड़ने बारे। फरैट–शैहच से सरमाणा होती इस सड़क को काली हट्टी में मिलाया जाऐ इस सड़क का सर्वे ही किया जा चुका है ग्राम सरमाणा की आबादी लगभग 90 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग की है और क्षेत्र का बड़ा गांव है इस सड़क को आगे न मिलने से पंचायत क्षेत्र पिछड़ा पड़ा है कृप्या बजट का प्रावधान करने की कृपा करे।**

(श्री प्रेम दास महंत,गांव धार,डा0 शकराह,उप तहसील धामी, जिला शिमला)

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया है कि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार इस सड़क का निर्माण मशोबरा ब्लॉक द्वारा किया गया है। इस सड़क में वन विभाग की

तथा निजी भूमि सम्मिलित है । लोग निजी भूमि देने के लिए तैयार नही है और अभी तक यह सड़क लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित नही की गई है। इस सड़क का ग्रेड भी Steep है तथा यह सड़क मापदण्डों के अनुसार नहीं बनी है।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान गैर सरकारी सदस्य ने आग्रह किया कि 2 कि0मी0 सड़क को शिमला मण्डी रोड़ से लिंक किया जाए। तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिए कि विभाग इसका सर्वेक्षण करके मामले में आवश्यक कार्यवाही करे और मद को समाप्त कर दिया गया।

15. **शिमला मण्डी रोड़ पर घंड़ल छटेरा से ग्राम टूल तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल शकराह तक सड़क बनाने हेतु बजट देने बारे।**

(श्री प्रेम दास महंत,गांव धार,डा0 शकराह,उप तहसील धामी, जिला शिमला)

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया है कि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार इस सड़क का निर्माण मशोबरा ब्लॉक द्वारा किया गया है। इसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए 1.47 लाख रू0 की धनराशि प्राप्त हुई थी। इस सड़क की कुल लम्बाई 1.500 कि0मी0 है जिसमें से 1.000 कि0मी0 सड़क वन विभाग की जमीन पर आती है। यह पैसा पंचायत को वापिस किया गया था, क्योंकि यह सड़क लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित नहीं की गई है।

मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने ग्रामीण विकास विभाग को आदेश दिए कि इसकी जांच करे कि कितनी भूमि वन विभाग की है और मामले में आवश्यक कार्यवाही करे।

(लोक निर्माण/ग्रामीण विकास विभाग)

16. **ग्राम भुटुआ को लिंक रोड़ बनाने हेतु राशि की मांग बारे निवेदन है कि यह ग्राम घनाहट्टी–काली हट्टी मार्ग पर स्थित है इस लिंक रोड़ का सर्वे भी हो चुका है। अधिकतर जमीन जमीदारों की है । कृप्या 4 लाख रूपऐ स्वीकृत करने की कृपा करे।**

(श्री प्रेम दास महंत,गांव धार,डा0 शकराह,उप तहसील धामी, जिला शिमला)

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया है कि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार इस सड़क का निर्माण मशोबरा बलॉक द्वारा किया गया है और अभी तक यह सड़क लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित नही की गई है।

मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को आदेश दिए कि मामले का पुनः सर्वेक्षण करके इसकी जांच करे।

(लोक निर्माण विभाग)

17. **नालागढ़ उपमण्डल की ग्राम पंचायत रड़ियाली के वार्ड न0–9 में सेरी रोड़ (नजदीक हैंडपम्प) से लेकर रामलोक के घर तक के लिंक रोड़ की काफी दुर्दशा है और 100 मीटर लंबे इस लिंक रोड़ पर नई कॉलोनियां बसी हुई है। अतः सरकार द्वारा इस लिंक रोड़ को शीघ्र अति शीघ्र पक्का किया जाये।**

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ)

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया है कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार नालागढ़ उप–मण्डल की ग्राम पंचायत रडियाली के वार्ड न0 –9 में सेरी रेाड़ (नजदीक हैंडपम्प) तक के इस मार्ग का निर्माण स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है लिंक रोड़ हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग के अधीन नही है। इस 100 मीटर लम्बे मार्ग को पक्का करने हेतु करीब 2.00 लाख रू0 की राशि अनुमानित है अगर यह धन राशि Deposit Head के अन्तर्गत विभाग को उपलब्ध करवाई जाती है तो यह कार्य विभाग द्वारा करवा दिया जाएगा।

मद पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने विभाग को मामले में परीक्षण करने के निर्देश दिए। **अतः मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

18. नालागढ़ उपमण्डल की ग्राम पंचायत रड़ियाली के दतोवाल गांव के कालोनी एरिया में नैशनल हाईवे (नजदीक लार्ड महावीरा अस्पताल) से लेकर रिटायर एसडीओ, एसपी धीर के घर तक की करीब 350 लम्बे लिंक रोड़ की काफी दयनीय स्थिति है। इस लिंक रोड़ के पक्का होने से करीब 100 घरों को फायदा मिलेगा। अतः सरकार से प्रार्थना है कि इस लिंक रोड़ को पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग या फिर BBNDA अथॉरटी से पक्का करवाया जाये।

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ)

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया है कि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार नालागढ़ उप–मण्डल की ग्राम पंचायत रडियाली के दतोवाल गांव के कालोनी एरिया में नेशनल हाईवे (नज़दीक लॉर्ड महावीरा अस्पताल) से लेकर रिटायर एसडीओ, एसपी धीर तक के घर तक इस 350.00 मीटर लम्बे मार्ग को स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया है इस मार्ग को पक्का करने हेतु करीब 5.00 लाख रूपये राशि अनुमानित है धन राशि Deposit Head में उपलब्ध होने पर विभाग द्वारा इस कार्य को करवा दिया जाएगा।

मद पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि 1 कि0मी0 से कम रोड़ को ग्रामीण विकास विभाग मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित उपायुक्त के माध्यम से राशि उपलब्ध करवा कर कार्य को पूरा करेंगे। **अतः मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

19. नालागढ़ उपमण्डल के ब्राहमण माजरा गांव को नेशनल हाईवे–105 से जाती करीब तीन किलोमीटर लंबी सड़क की बुरी हालत है। इस सड़क को करीब 15 वर्ष पूर्व पक्का किया गया था। अब इस सड़क में जगह–2 गड्ढे पड़े हुए हैं और लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। अतः नैशनल हाईवे से लेकर ब्राहमण माजरा गांव तक के सम्पर्क मार्ग को नए सिरे से पक्का किया जाये।

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ़)

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया है कि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार नालागढ़ के उप–मण्डल ब्राहमण माजरा गांव को नेशनल हाईवे–105 की ओर जाने वाले सम्पर्क सड़क मार्ग की कुल लम्बाई 1.600 किलो मीटर है इस पक्के सड़क मार्ग का विभाग द्वारा समय समय पर उचित रख –रखाव किया जा रहा है सड़क मार्ग पर पड़े खड्डों को पैच वर्क करके ठीक किया गया है। यह सड़क तारकोल बिछाने हेतु (Re-Carpeting) AMP 2016-17 के अन्तर्गत अनुमोदित की गई है कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने पर सड़क मार्ग पर Re-Carpeting का कार्य कर दिया जाएगा।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

20. **उपमण्डल नालागढ़ की मझौली पंचायत के लखनपुर गांव के बीच के सम्पर्क मार्ग के कच्चा होने के कारण बरसात के दिनो में रास्ते में फिसलन हो जाती है, जिसके चलते इस संपर्क मार्ग पर गाड़ियां फिसलती हैं और लोगों को भारी दिक्कतें आती हैं अतः सरकार से अनुरोध है कि गांव लखनपुर के इस दो किलोमीटर लम्बे सम्पर्क मार्ग को पक्का किया जाये।**

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ)

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया है कि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार नालागढ़ उप–मण्डल की मझौली पंचायत के लखनपुर गांव के बीच के कच्चे सम्पर्क मार्ग को स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया है तथा यह मार्ग हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग के अधीन नही है इस 2.00 कि0मी0 लम्बे मार्ग को पक्का करने हेतु करीब 30.00 लाख रू0 की राशि अनुमानित है, धन राशि Deposit Head में उपलब्ध होने पर विभाग द्वारा कार्य को कर दिया जाएगा।

मद पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि विभाग इस मामले में पुनः प्राक्कलन तैयार करे ताकि पूरा गांव आवरण किया जा सके। **अतः मद को समाप्त कर दिया गया।**

21. **नालागढ़ उपमण्डल की ग्रांम पचांयत मझौली के गांव बेरमपुर, तेलीवाल चंदपुर व घीहड़ आदि गांवो को कोई संपर्क मार्ग नहीं है और यहां के लोग पैदल पगडंडियों व नदी नालो से होकर जाते हैं। इन सभी गावों की 100 फीसदी आबादी अनुसूचित जाति की है और यह सारी आबादी 1947 में भारत–पाकिस्तान विभाजन के समय पाकिस्तान से पलायन करके आई हुई है। आजादी के 68 साल बाद भी यह लोग सम्पर्क मार्ग से महरूम है अतः सरकार से अनुरोध है कि इस सभी गावों को पक्की सडक से जोडा जाये।**

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ)

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया है कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार नालागढ़ उप–मण्डल की ग्राम पंचायत मझौली के गांव बेरमपुर, तेलीवाल चन्दपुर व घीहड़ आदि गांवों को सम्पर्क मार्ग, जिसकी कुल लम्बाई 11.100 किमी0 है, से जोड़ने के लिए विभाग द्वारा विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत डी0पी0आर0 बनाकर जिसकी अनुमानित राशि 561.37 लाख रू0 हैं, नाबार्ड के अन्तर्गत Principal Secretary (Planning) को भेजी जा चुकी है कार्य की स्वीकृति प्राप्त होते ही सड़क मार्ग का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

22. **नालागढ़ उपमण्डल की ग्राम पंचायत मझौली के गांव मझौली में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लखनपुर–मझौली लिंक रोड़ से लेकर मझौली गांव की मस्जिद तक के एक किलोमीटर लम्बे लिंक रोड़ की हालत काफी खराब है और गंदे पानी की निकासी न होने के कारण लिंक रोड़ से गुजरना भी काफी मुश्किल है। अतः गांव में सम्पूर्ण स्वच्छता लाने के लिये इस एक किलोमीटर लम्बे सम्पर्क मार्ग को शीघ्र अति शीघ्र पक्का करवाया जाये।**

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ़)

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में सूचित किया है कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार नालागढ़ उप–मण्डल की ग्राम पंचायत मझौली के गांव मझौली में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लखनपुर–मझौली लिंक रोड़ से लेकर मझौली गांव की मस्जिद तक के सम्पर्क मार्ग को स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया है तथा यह मार्ग इस विभाग के अधीन नही है, इस 1.00 कि0मी0 लम्बे मार्ग को पक्का करने एंव नाली बनाने हेतू लगभग 10.00 लाख रू0 की राशि अनुमानित है धन राशि Deposit Head में उपलब्ध होने पर विभाग द्वारा इस कार्य को कर दिया जाएगा।

मद पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि ग्रामीण विकास विभाग मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित उपायुक्त के माध्यम से राशि उपलब्ध करवा कर कार्य को पूरा करेंगे। **अतः मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

23. नालागढ़ उपमण्डल की ग्राम पंचायत माजरा के माजरा गांव में दभोटा पलासी संम्पर्क से राजकीय मिडल स्कूल माजरा व स्थानीय शमशान घाट तक का एक किलोमीटर लंबा लिंक रोड़ है यह लिंक रोड़ स्थानीय किसानो के खेतों को जाता है वही इस मार्ग पर स्कूल की छात्र–छात्राओं को रोजाना आना जाना होता है लेकिन यह लिंक रोड़ अत्यन्त दयनीय हालत में है। अतः सरकार से अनुरोध है कि स्कूली छात्रों व किसानों की समस्या को देखते हुये इस लिंक रोड़ को BBNDA अथॉरटी या पी0डब्लयू0डी0 विभाग से शीघ्र पक्का करवाया जाये।

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ)

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में अवगत करवाया गया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार नालागढ़ उप–मण्डल की ग्राम पंचायत माजरा के माजरा गांव में दभोटा पलासी सम्पर्क से राजकीय मिडल स्कूल माजरा व स्थानीय शमशान घाट तक लिंक रोड़ का कार्य स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा करवाया गया है तथा यह मार्ग इस विभाग के अधीन नही है, इस 1.00 कि0 मी0 लम्बे मार्ग को पक्का करने एंव नाली बनाने हेतू लगभग 10.00 लाख रू0 की राशि अनुमानित है धन राशि Deposit Head में उपलब्ध होने पर विभाग द्वारा इस कार्य को किया जाएगा।

मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि ग्रामीण विकास विभाग मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित उपायुक्त के माध्यम से राशि उपलब्ध करवा कर कार्य को पूरा करेंगे। **अतः मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

24. नालागढ़ उपमण्डल की ग्राम पंचायत ढांग निहली के गांव निहली में लो0नि0वि0 के लिंक रोड़ के साथ मंदिर की पानी की टंकी से लेकर सुच्चा सिहं के घर तक गदें पानी की निकासी न होने के कारण जहां एक ओर गंदा पानी का आलम है, वहीं गंदे पानी के कारण सड़क पर वाहन के चलते लिंक रोड़ टूट रहा है। इसलिए सरकार से प्रार्थना है कि गंदे पानी की निकासी के लिये पी0डब्लयू0डी0 विभाग को आदेश कर मंदिर की पानी की टंकी से लेकर सुच्चा सिहं के घर तक ड्रेनेज बनाकर गंदे पानी की निकासी की जाये।

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ)

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में अवगत करवाया गया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार नालागढ़ उप–मण्डल की ग्राम पंचायत ढांग निहली के गांव निहली में लोक निर्माण विभाग के लिंक रोड़ के साथ मन्दिर की पानी की टैंकी से लेकर सुच्चा सिंह के घर तक गंदे पानी की निकासी हेतू कच्ची नाली बना कर गंदे पानी को सड़क में आने से रोक दिया गया है इस मार्ग पर 150.00 मीटर लम्बी पक्की नाली बनाने के लिए निविदाऐं की गई है।

मद पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि ग्रामीण विकास विभाग मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से कार्य को पूरा करेंगे। **अतः मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

25. उपमण्डल नालागढ़ की ग्राम पंचायत भाटियां का ब्राहमण माजरा गांव धुंदली खडड के कारण हमेशा पंचायत के अन्य गांवो से अक्सर कटा रहता है और बरसात के दिनो में लोगो का आपस में सम्पर्क बिल्कुल कट जाता है। भाटियां व धुंदली से ब्राहमण माजरा गांव को जो लिंक रोड़ जाता है, उस में धुंदली खडड पर एक पुल निर्मित किया जाना अति आवश्यक है। अतः इस खडड पर एक छोटा पुल निर्मित किया जाये।

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ़)

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में अवगत करवाया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार नालागढ़ उप–मण्डल की ग्राम पंचायत भाटियां में भाटियां गांव से ब्राहमण माजरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण स्थानीय पंचायत द्वारा किया गया है इस मार्ग पर धुंदली खड्ड पर लगभग 30.00 मीटर स्पेन का पुल आपरोच सहित बनाया जाना आवश्यक है जिसकी अनुमानित लागत 1.50 करोड़ रूपये होगी। इसके साथ यह भी सूचित किया है कि ग्राम पंचायत भाटियां का गांव ब्राहमण माजरा NH–105 से विभाग की पक्की सड़क से जुड़ा है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

26. दिनांक 23.01.2014 की बैठक की मद सख्या 5 के सन्दर्भ में जो 10,00,000/– मोहल्ला भोड़ में पार्क बनाने हेतु था। यह दस लाख रूपये मोहल्ला भोड़ लिंक रोड़ के लिए स्वीकृत किया जाये। ज़मीन लोगों ने एच0पी0डब्लयू0डी0 बंगाना डिवीजन के नाम करवा दी है । इन्तकाल विभाग के नाम मंजूर हो चुका है। सड़क को पक्का करने के लिए (सोलिंग,बीएरिंग,टायरिंग) स्वीकृत की जाये। यह धनराशि एच0पी0डब्लयू0डी0 बंगाना डिवीजन के द्वारा खर्च की जाये। जिलाधीश ऊना को उचित निर्देश दिये जाये कि धनराशि एच0पी0डब्लयू0डी0 बंगाणा डिवीजन को उपलब्ध करवाई जाये । क्योंकि लोगों को आने जाने का कोई रास्ता नही है । यह लोगों कि पिछले 50 साल की मांग है।

(श्री मेहर सिंह ,गांव व डा0 समूरकलां ,तह0व जिला ऊना)

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में अवगत करवाया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार समूरकलां में मौहल्ला भोड़ लिंक रोड़ का निर्माण कार्य नाबार्ड के अन्तर्गत बन रही सड़क टक्का छलबड़ हलेड़ के अधीन निर्माणाधीन है। इस सड़क की लम्बाई 1260 मीटर है। इस समय साईड

ड्रेन्स मिट्टी की भरपाई इत्यादि कार्य प्रगति पर है। कार्य जल्द ही पूर्ण कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस सड़क के निर्माण के लिए जिलाधीश ऊना से 2.00 लाख रूपये की राशि भी प्राप्त हुई है, जिसमें से 0.95 लाख रूपये खर्च कर दिए गए है व शेष कार्य प्रगति पर है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

27. **मोहल्ला भौड वार्ड न0 2 ग्राम पंचायत समूरकलां तह0 ऊना, के लिंक रोड़ के लिए 5,00,000/—पांच लाख रूपये मन्जूर किया जाये। यह धनराशि एच0पी0डब्लयू0डी0 बगाणा मण्डल के द्वारा खर्च की जाये। जिलाधीश ऊना को उचित निर्देश दिये जाये ताकि धन राशि उपलब्ध हो सके वार्ड न0 2 कि 100 प्रतिशत आबादी ओ0बी0सी0 की है।**

(श्री मेहर सिंह ,गांव व डा0 समूरकलां ,तह0व जिला ऊना)

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में अवगत करवाया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार इस सड़क को मुरम्मत शीर्ष के अन्तर्गत तारकोल बिछाकर पक्का कर दिया गया है और इसके अतिरिक्त एक पाईप की पुली भी बनाई गई है। इसके अतिरिक्त इस सड़क में नाली निर्माण के लिए जिलाधीश ऊना से 2.85 लाख रूपये की राशि प्राप्त हुई है जिसमें से 1.60 लाख रूपये खर्च कर दिए गए है व शेष कार्य प्रगति पर है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

28. **दरीणी शाहपुर रोड़ के लिए पावर प्रोजेक्टों से धन लेकर रोड़ की हालत सुधारने के लिए माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने आदेश किये थे परन्तु उस पर कोई भी कार्यवाही नही हुई ।**

(अक्षय कुमार गांव व डा0 दरीणी कांगड़ा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा बैठक में अवगत करवाया कि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार विभाग द्वारा दरीणी शाहपुर सड़क की मुरम्मत के लिए पॉवर प्रोजेक्टों से धन उपलब्ध करवाने के लिए पत्राचार व दूरभाष द्वारा आग्रह किया गया परन्तु आज दिन तक कोई भी धन प्रोजेक्ट प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध नही करवाया गया। शाहपुर दरीणी बोह सड़क की कुल लम्बाई 24 कि0मी0 है। इस सड़क की मुरम्मत के लिए लगभग 2.50 करोड़ रूपये की लागत आएगी जैसे ही पॉवर प्रोजेक्टों द्वारा धन उपलब्ध करवाया जाएगा उसके उपरान्त कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि दरीणी शाहपुर सड़क पर निम्नलिखित हाईड्रोप्रोजेक्ट स्थित है।

1. Kholi Power Project by HPSEB.
2. Kholi Project by LANCO Infrastructure.
3. Brahal Khad Project at Boh by Sodhi Brothers.
4. Brahal Khad Project by Padha.

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ने कहा कि विभाग मामले में प्रशासनिक सचिव को लिखे तदानुसार कार्य के लिए राशि उपलब्ध करवा दी जाऐगी।

(लोक निर्माण/राजस्व विभाग)

29. **धबास ऐैक्सचैंज से फैड़ज, कहुला, अन्तरावली की रोड़ मोटर मार्ग का सर्वे हाल में ही किया गया है जिसका काम विभाग अभी तक पूरा नही कर पा रहा है, अतः निवेदन है कि इस कार्य को शीघ्र पूरा किया जाये।**

(श्री कुन्दन शर्मा गांव खद्दर तह0 चौपाल जिला शिमला)

बैठक में लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया कि फेड़ज, कहुआ, अन्तरावली सड़क वर्ष 2007–08 की विधायक प्राथमिकता में सम्मिलित है। इस सड़क की कुल लम्बाई 9.00 कि0मी0 बनती है जिसमें की निजी भूमि व वन भूमि है। Gift Deed विभाग को मिल चुकी है। Forest Case बनकर तैयार है लेकिन जिलाधीश शिमला से FRA Certificate प्राप्त नही हुआ है। Forest Case स्वीकृति होने के उपरान्त इस सड़क की DPR स्वीकृति हेतु भेजी जाएगी। उसके उपरान्त ही इस सड़क का कार्य किया जा सकेगा।

(लोक निर्माण विभाग)

शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मदें

30. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सेडपा (हरनोड़ा) खण्ड सदर जिला बिलासपुर में सांईस व कामर्स के विषय चालू कराए जाएं क्योंकि कोल बांध विस्तापितों के बच्चों के सांईस व कामर्स पढ़ने के लिए 13–14 कि0 मी0 दूर बरमाणा व सलापड़ जाना पड़ता है।

(श्री कृष्ण दास चौधरी,गांव व डा0जमथल,तह0सदर,जिला बिलासपुर)

बैठक में शिक्षा विभाग ने सूचित किया है कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सेडपा, जिला बिलासपुर में सांईस व कॉमर्स के विषय चलाने बारे मामला दिनांक 14–12–2015 को विभागीय नस्ति पर सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।

31 प्रदेश में ओ0बी0सी0 वर्ग की बेटियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान व छात्रवृति दी जाये।

(डा0 शेर सिंह ,गांव डा0 डोहगी ,तह0 बगाणा,जिला ऊना)

बैठक में शिक्षा विभाग ने सूचित किया है कि प्रदेश में ओ0बी0सी0 वर्ग की बेटियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान नही है। परन्तु सरकार द्वारा सभी वर्ग की लड़कियों को विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा शुल्क में छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की राज्य एंव केन्द्र प्रायोजित छात्रवृति योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में ओ0बी0सी0 वर्ग की बेटियों को लाभान्वित किया जाता है। इन योजनाओं की जानकारी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (https:#www.scholarships.gov.in) एंव एच0 पी0 ई0 पास स्कॉलरशिप पोर्टल (https:#www. scholarships. gov.in) से प्राप्त की जा सकती है। प्रदेश की सभी पात्र छात्राएं, छात्रवृति योजनाओं के लिए समयबद्व अवधि के अन्दर उपरोक्त वेबसाईटों के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकती है।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।

32. धंगड पंचायत मिडल स्कूल टिल्ला धंगड को हाई स्कूल का दर्जा दिया जाए क्योंकि बच्चों को दूर दराज जगलों से गुजर कर आना पडता है।

(श्री त्रिलोक चन्द,गांव व डाकघर धार धंगड़, तह0 देहरा, जिला कांगड़ा)

बैठक में शिक्षा विभाग ने सूचित किया है कि राजकीय मिडल स्कूल टिल्ला धंगड़ को स्तरोन्नत करने बारे प्रस्तावना सूचना दिनांक 02–02–2016 द्वारा सरकार को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गई है। अतः विभाग द्वारा यह भी सूचित किया है कि धंगड पंचायत मिडल स्कूल टिल्ला धंगड को हाई स्कूल करना मानक अनुसार सम्भव नही है।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।

33. राजकीय उच्च पाठशाला स्वाणा जो कि लगभग पिछले पन्द्रह वर्षो से उच्च पाठशाला है जो कि जिला कांगडा का अन्तिम छौर है , स्वाणा स्कूल के बच्चों को दूर–2 तक आगे की पढ़ाई करने जाना पड़ता है पहाड़ी क्षेत्र है। लगभग 100 बच्चों से उपर बच्चे पढ़ते है, माननीय मुख्य मन्त्री से अनुरोध है कि अन्य दूसरे क्षेत्रों की तरह इस विद्यालय को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घोषित किया जाये।

(श्री शिवपाल सिंह महंत,ग्राम स्वाना, तह0 जसवां,जिला कांगड़ा)

बैठक में शिक्षा विभाग ने सूचित किया है कि राजकीय उच्च पाठशाला स्वाणा को स्तरोन्नत करने बारे प्रस्तावना सूचना दिनांक 02–02–2016 द्वारा सरकार को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गई है।

सम्बन्धित माननीय गैर सरकारी सदस्य बैठक में उपस्थित नही हुए, इसलिए बैठक में मद पर चर्चा नही की गई तथा मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

34. माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा जिला सिरमौर के धौलाकुआं में 11 जुलाई 2015 को Govt. Polytechnic संस्थान का उद्वघाटन किया था जिस दौरान ग्राम पंचायत रामपुर–आसपुर के ग्राम धुंधलो में नया प्राथमिक विधालय खोलने की घोषणा की थी जिसकी अधिसूचना नहीं हुई है कृप्या उचित कार्यवाही करके उपरोक्त विधालय की अधिसूचना उपलब्ध करवाई जाए ।

(श्री ज्ञानचन्द ,ग्राम रामपुर ,पोस्ट ओफिस धौलाकुंआ,जिला सिरमौर)

मद बारे सम्बन्धित विभाग से सूचना प्राप्त नही हुई है।

सम्बन्धित माननीय गैर सरकारी सदस्य बैठक में उपस्थित नही हुए, इसलिए बैठक में मद पर चर्चा नही की गई तथा मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

35. गिरीपावर हाउस उच्च विद्याालय गिरी नगर विद्युत बोर्ड द्वारा संचालित है जिसमें छात्रों को मुफत पुस्तकें वर्दी, मुद्रण एवं एस0सी0/एस0टी0/ ओ0बी0सी0 छात्रों को छात्रवृति के लाभ से वन्चित रहना पड़ता है। इस मुद्दे को 7–1–2015 की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विद्यालय को शिक्षा विभाग को सौंपने हेतु निर्देश दिए थे जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नही हुई ।

(श्री ज्ञानचन्द ,ग्राम रामपुर ,पोस्ट ओफिस धौलाकुंआ,जिला सिरमौर)

बैठक में शिक्षा विभाग ने सूचित किया कि इस सन्दर्भ में सरकार को दिनांक 13–11–2014 द्वारा प्रस्तावना सूचना आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई है। अतः मामला सरकार के विचाराधीन है।

सम्बन्धित माननीय गैर सरकारी सदस्य बैठक में उपस्थित नही हुए, इसलिए बैठक में मद पर चर्चा नही की गई तथा मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

36. प्राथमिक पाठशाला ग्राम धार में कोई सरकारी कमरे नही है केवल एक कमरे में स्कूल चल रहा है स्कूल भवन बनाने के आदेश देने की कृपा करे।

(श्री प्रेम दास महंत,गांव धार,डा0 शकराह,उप तहसील धामी, जिला शिमला)

बैठक में शिक्षा विभाग ने सूचित किया कि प्राथमिक पाठशाला ग्राम धार 2013 में खोली गई है। स्कूल के कमरे हेतु भूमि स्थानान्तरण करने हेतु मामला उपायुक्त शिमला को भेजा गया है। धन की उपलब्धता होने पर कार्य को कर दिया जाएगा।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।

37. नालागढ़ उपमण्डल की ग्राम पंचायत बारियां के सलैहडां गांव में प्राईमरी स्कूल होने के कारण इस गांव के बच्चे मिडल स्कूल स्तर की पढ़ाई करने के लिए दूरदराज के स्कूलों में चार–पांच किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं। अतः सरकार से प्रार्थना है कि सलैहडां गांव के राजकीय प्राइमरी स्कूल का दर्जा बढाकर इसे राजकीय मिडल स्कूल बनाया जाये।

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ़)

बैठक में शिक्षा विभाग ने सूचित किया है कि स्कूल को स्तरोन्नत करने हेतू प्रस्ताव सरकार को 6 अक्तूबर 2015 को भेजा जा चुका है जो सरकार के विचाराधीन है।

मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को मिडल स्कूल करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। **अतः मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

38. नालागढ़ उपमण्डल की ग्राम पचांयत ढांग निहली में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढांग के छात्र–छात्राओ के लिए कमरों की काफी कमी है। यहां पर बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठते हैं। यहां पर कमरों की आवश्यता है। अतः सरकार से अनुरोध है कि स्कूल में आ रही भवन की दिक्कत को दूर किया जाये।

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ़)

बैठक में शिक्षा विभाग ने सूचित किया कि उप–शिक्षा निदेशक जिला सोलन की रिर्पोट अनुसार वर्तमान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढांग में 10 कमरे, 1 रसोई तथा 10 शौचालय उपलब्ध हैं तथा 2 कमरों का कार्य राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माणाधीन है।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

39. नालागढ़ उपमण्डल की पंजाब सीमा से सटी ग्राम पंचायत माजरा के राजकीय मिडल स्कूल रामपुर पसवालां से 7–8 किलोमीटर की दूरी तक में कोई उच्च विद्यालय नही है गांव में ज्यादातर आबादी ओबीसी जाति वर्ग की है। सीमावर्ती गांव होने के कारण आठवी कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद 7–8 किलोमीटर की दूरी पर या दभोटा में जाना पड़ता है या फिर ढांग स्कूल में जाना पड़ता है। इसलिए यहां के किसान परिवार जो अधिकतर खेती बाड़ी व पशुपालन से जुड़े हुए है कि रामपुर पसवालां के मिडल स्कूल को राजकीय उच्च विद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाये।

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ़)

बैठक में शिक्षा विभाग ने सूचित किया कि राजकीय मिडल स्कूल रामपुर पसवालां को स्तरोन्नत करने बारे प्रस्तावना सूचना दिनांक 02–02–2016 द्वारा सरकार को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गई है।

मद पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को मामले में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। **तत्पश्चात मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

40 नालागढ़ उपमण्डल के राजकीय उच्च विद्यालय राजपुरा के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिकरण होने के कारण स्थानीय छात्रों के साथ–2 प्रवासी छात्रों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। इस क्षेत्र मे आबादी बढ़ जाने के कारण स्कूली छात्र–छात्राओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ है लिहाजा स्थानीय लोगों की मांग है कि राजकीय उच्च विद्यालय राजपुरा बढ़ाकर इसे जमा दो स्कूल बनाया जाये।

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ)

बैठक में शिक्षा विभाग ने सूचित किया कि राजकीय उच्च पाठशाला राजपुरा को स्तरोन्नत करने बारे प्रस्तावना रिर्पोट परीक्षणोपरान्त दिनांक 01–03–2014 द्वारा सरकार को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गई थी। अतः सूचना पुनः दिनांक 02–02–2016 को भी सरकार को प्रेषित कर दी गई है। विभाग ने बैठक में यह भी सूचित किया कि 4 कि0मी0 के दायरे में दो स्कूल है जिसमें 50 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे है यदि सम्भव होगा तो मामले में इस वर्ष कार्यवाही कर दी जाऐगी।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

41. राजकीय माध्यामिक पाठशाला खद्दर में पिछले 3 सालों से मात्र 3 रेगुलर टीचर है। जिससे कि बच्चों की शिक्षा पर काफी बुरा असर पड रहा है ।

(श्री कुन्दन शर्मा गांव खद्दर तह0 चौपाल जिला शिमला)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान शिक्षा विभाग ने सूचित किया है कि स्कूल प्रबन्धन समिति के आधार पर स्कूल में नियुक्त किए गए अध्यापकों की सेवाएं ली जा रही है इसलिए रेगुलर टिचर नियुक्त करने पर विभाग को कठिनाई आ रही है।

मद पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को निर्देश दिए कि मामले में परीक्षण करके इसमें ठोस निती बनाई जाये और तदानुसार ही मामले में आवश्यक कार्यवाही करे। **तत्पश्चात मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

42. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खद्दर के भवन निर्माण के लिए 70.00 लाख रूपये की राशि स्वीकृत कि जाए, क्योंकि तहसील चौपाल के गांव खद्दर में स्कूल का भवन 1967 में बना है उसके बाद भवन निर्माण के लिए कोई नया बजट नही आया है ।

(श्री कुन्दन शर्मा गांव खद्दर तह0 चौपाल जिला शिमला)

सम्बन्धित विभाग से मद बारे सूचना प्राप्त नही हुई है।

मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने शिक्षा विभाग व माननीय गैर सरकारी सदस्य को निर्देश दिए कि भवन निर्माण के लिए जमीन तैयार करे, बजट का प्रावधान कर दिया जाएगा। **अतः मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

युवा सेवा एंव खेल विभाग से सम्बन्धित मदें

43. राजकीय माध्यमिक पाठशाला जमथल में खेल का मैदान बनाया जाये।
(श्री कृष्ण दास चौधरी,गांव व डा0जमथल ,तह0सदर,जिला बिलासपुर)

सम्बन्धित विभाग ने बैठक में सूचित किया कि जिला युवा सेवा एंव खेल अधिकारी बिलासपुर द्वारा राजकीय माध्यमिक पाठशाला जमथल में खेल मैदान निर्माण हेतु चयनित भूमि का निरीक्षण करने उपरान्त सूचित किया गया है कि राजकीय माध्यमिक पाठशाला, जमथल के नाम 6 बीघा भूमि है जहां खेल मैदान का निर्माण किया जा सकता है। यह भूमि पहाड़ीनुमा है तथा इसको समतल करने के पश्चात यहां कब्बडी व वालीबाल खेल मैदान का निर्माण किया जा सकता है। जिला युवा सेवा एंव खेल अधिकारी, बिलासपुर से खेल मैदान निर्माण हेतु आक्कलन व प्राक्कलन आपेक्षित है जैसे ही आक्कलन व प्राक्कलन विभाग को प्राप्त होगें तदोउपरान्त आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने मामले में शिक्षा विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अतः मद को समाप्त कर दिया गया।

राजस्व विभाग से सम्बन्धित मदें

44. ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र की अवधि सरकार ने दो वर्ष निर्धारित की है, परन्तु धरातल स्तर पर इसे आज भी एक वर्ष के लिए बनाया जा रहा है। अतः इस बारे में सम्बन्धित विभाग को लिखित निर्देश जारी किए जायें।
(श्री विजय कुमार,गांव कुठेडा, उप तह0—भराडी ,घुमारवी, बिलासपुर

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व द्वारा सूचित किया कि सरकार की अधिसूचना के आधार पर ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र की वैधता एक वर्ष रखी गई है, जिसमें निर्धारित आय सीमा भी रखी गई है।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया।

45. जिन पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के नाम जमीन राजस्व रिकार्ड में न हो तो अपने परिवार से अलग रहते हो तथा बेरोजगार हो उसको बिना शर्त मकान बनवाने के लिए जमीन दी जाये।
(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भेंारज,जिला हमीरपुर)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व द्वारा बताया गया कि स्कीम को शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाऐगा तदानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाऐगी।

चर्चा उपरान्त मद को समाप्त कर दिया गया।

46. **पटवार खाना शकराह से ग्राम घंड़ल को बदलने बारेः— पटवार खाना शकराह में राजाओं के समय से होता था। शिमला मण्डी रोड़ बनने के बाद सड़क सुविधा देखते हुए घंड़ल को बदला गया था। मैंने पंचायत प्रधान होने के नाते जनता की सुविधा को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय शिमला में याचिका दायर कर ग्राम शकराह को बदलने के आदेश करवाए थे तथा विभाग द्वारा पटवार खाना हेतु भवन भी बनाया गया था पटवार भवन बनाने हेतु जमीन भी उपलब्ध करवाई थी । परन्तु लगभग**

एक वर्ष पहले पटवार खाना को शकराह से पटवार भवन में सीलन आती है, का बहाना बनाकर ग्राम घंड़ल को बदल दिया जबकी अभी तक पिछले सारे पटवारी इसी पटवार घर में रहते थे। पटवार खाना बदलने पर जनता में भारी रोष है जबकी ग्राम शकराह में सरकारी सारी संस्थाऐ–पंचायत घर, एस0एस0स्कूल,पशु औषधालय,स्वास्थ्य उप केन्द्र, डाकघर, प्राईवेट स्कूल, लोहे के कामगरों के घर, दुकाने, पटवार खाना,ग्राम शकराह में स्थित है जो क्षेत्र का मध्य स्थान है। यदि पटवार खाना की मुरम्मत होती है या कमरा बनना है तो इसके ऊपर दूसरी मंजिल बहुत अच्छी बन सकती है कृप्या पटवार खाना घंड़ल से शकराह को बदलने की कृपा करें।

(श्री प्रेम दास महंत,गांव धार,डा0 शकराह,उप तहसील धामी, जिला शिमला)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान उपायुक्त शिमला ने सूचित किया है कि मुरम्मत के लिए राशि स्वीकृत कर दी गई है और पटवार खाना घंड़ल से शकराह को बदलने हेतू आदेश कर दिए गए हैं।

चर्चा उपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित मदें

47. विकास खण्ड घुमारवीं की ग्राम पंचायत मरहाणा के अंतर्गत गांव कुठेड़ा में एस0सी0, ओ0बी0सी0 की बस्ती में पानी के टैंक निर्माण हेतु एक वर्ष पहले भूमि उपलब्ध करावा दी गई है। परन्तु विभाग की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

(श्री विजय कुमार ,गांव कुठेडा,उप तह0भराड़ी ,घुमारवी,बिलासपुर)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग ने सूचित किया जाता है कि वर्तमान में ग्राम पंचायत मरहाना के गांव कुठेड़ा को उठाऊ पेयजल योजना मलोट पपलाह भजवानी से पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति की जा रही है। इस गांव में एस0 सी0 व ओ0बी0सी0 बस्ती में पानी का टैंक बनाने हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। प्राक्कलन की स्वीकृति व धन का प्रावधान होने पर टैंक का निर्माण कर दिया जाएगा।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।

48. I.P.H. विभाग ने पूर्व में बताया है कि OBC सदस्य प्रकाश के घर के पास हैंड पम्प लगा दिया है, लेकिन तीन प्वांइट बताऐ गये थे उन तीनों पर ही कोई हैंड पम्प नही लगाया गया है।

(श्री प्रकाश चन्द कपिल,गांव ठप्पर,तह0 झण्डूता ,जिला बिलासपुर)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग ने सूचित किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग ग्राम पंचायत बलघाड़ प्राथमिक पाठशाला अमरोआ सेलगभग 50 मीटर की दूरी पर एक हैण्डपम्प दिनांक 26–12–2014 को गांव अमरोआ में श्री राजेन्द्र सिंह व अन्य के घर के पास श्री प्रकाश चन्द कपिल की सहमति से ही स्थापित किया गया है। वर्तमान में गांव अमरोआ को उठाऊ पंयजल योजनस झण्डूता बैहरन से पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति की जा रही है।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।

49. **JICKA जो प्रोजेक्ट टीका सेर में चल रहा है यह स्कीम विभाग कि तरफ से मुकमल हो गई है तथा सभी किसानों को नही बताया गया है कि उन्होंने 26,000 लाख रूपये खर्चा बोर्ड पर दर्शाया है तथा 3000 लाख रूपये बकाया में रहता है । कुल राशी 29,000 लाख बोर्ड में बताई गई है। सरकार से निवेदन करते है कि उन्होंने जो कनेक्शन पानी के दिये है उसकी जांच होनी चाहिए।**

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भोरंज,जिला हमीरपुर)

सम्बन्धित विभाग से मद बारे सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने कृषि विभाग को आदेश दिए कि इसकी जांच करने उपरान्त इसकी Status रिर्पोट प्रस्तुत करें।

(सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य/कृषि विभाग)

50 **ओ0बी0सी0 लबाणा बस्ती भलवाणी ग्राम पंचायत गलमा में पीने के पानी की समस्या रहती है, कृप्या जो ट्यूबवैल स्कीम इस बस्ती हेतु बनाई गई है उसे शीघ्रता से चलाया जाए ताकि पानी की समस्या का समाधान हो सके ।**

(श्री गोबिन्द राम नायक ,ग्राम व डा0ट्रोह,तह0 बल्ह,जिला मण्डी)

बैठक में सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग ने सूचित किया कि ओ0 बी0 सी0 लबाणा बस्ती भलवाणी ग्राम पंचायत गलमा को वर्तमान में उठाऊ पेयजल योजना गलमा भरेल योजना से पेयजल उपलब्ध करवा जा रहा है। टयूब –वैल की योजना जो कि बताल मुन्दडू ट्रोह के नाम से निर्माणाधीन है, उससे भलवाणी बस्ती को पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस योजना का 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष कार्य प्रगति पर है और आगामी वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।

51 **ग्राम पंचायत गलमा जिला मण्डी की सिंचाई कुहल जो गलमा खडड् से रोपा (कोटलू–I-II) तक लगभग 200 बीघा भूमि की सिंचाई करती थी आजकल बदहाली के आंसू बहा रही है क्योंकि इसकी मुरम्मत हेतु मु0 राशि 60,00,000/– साठ लाख रू0 का आंकलन तैयार करवाया गया था, मगर विभाग द्वारा बजट का प्रावधान नही किया गया है। कृप्या इस सिंचाई कुहल की मुरम्मत हेतु उपयुक्त बजट का प्रावधान किया जाए ताकि स्थानीय किसानों को इसका लाभ मिल सके।**

(श्री गोबिन्द राम नायक ,ग्राम व डा0ट्रोह, तह0बल्ह, जिला मण्डी)

बैठक में सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग ने सूचित किया कि ग्राम पंचायत गलमा की सिंचाई कूहल, जो गलमा रोपा व कोटलू Phase-1&11 के लिये बनाई गई है, यह कूहल आजकल नहीं चल रही है । इसकी मुरम्मत करने के लिये बहाव सिंचाई योजना गलमा , कोटलू व नलवाड़ी ग्राम पंचायत गलमा , अनुसुचित जाति विशेष घटक योजना (SCSP) के तहत रूपये 59.85 लाख का प्राक्कलन उप सचिव , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता , हिमाचल प्रदेश शिमला से दिनांक 22/02/2014 द्वारा स्वीकृत हुआ है तथा चालू वित्तिीय वर्ष 2015–16 में बहुत कम बजट केवल रूपये 1,00,000/– का बजट प्रावधान होने के कारण यह कार्य आरम्भ नहीं हो सका। बैठक में यह भी सूचित किया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट प्रावधान में इस कार्य को पूर्ण कर दिया जाऐगा।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को कार्य पूर्ण करने व कूहल में पानी पहुंचानें के निर्देश दिए और मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

52. **<u>गांव डोहगी बस्ती में पेयजल हेतु प्राथमिकता के आधार पर हैंडपम्प विभाग से लगाया जाये।</u>**

(डा0 शेर सिंह ,गांव डा0 डोहगी ,तह0 बगांणा,जिला ऊना)

सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार गांव डोहगी में हैण्डपम्प लगाने हेतु स्थान का चयन करने के लिये भु–जल विज्ञानी को लिख दिया गया है। स्थान का चयन और बजट का प्रावधान होने पर हैण्डपम्प लगा दिया जाएगा।

सम्बन्धित माननीय गैर सरकारी सदस्य बैठक में उपस्थित नही हुए, इसलिए बैठक में मद पर चर्चा नही की गई तथा मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

53. **अनुसूचित जाति व ओ0बी0सी0 जाति के गांवों में हैंडपम्प द्वारा प्राथमिकता के आधार पर पेयजल <u>का प्रबन्ध किया जाये।</u>**

(डा0 शेर सिंह ,गांव डा0 डोहगी ,तह0 बगांणा,जिला ऊना)

सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार अनुसूचित जाति व ओ0बी0सी0 जाति के गांवों में हैण्डपम्प लगाने हेतु स्थान के चयन के लिये भू –जल विज्ञानी को लिख दिया गया है । स्थान का चयन और बजट का प्रावधान होने पर हैण्डपम्प लगा दिया जाएगा।

सम्बन्धित माननीय गैर सरकारी सदस्य बैठक में उपस्थित नही हुए, इसलिए बैठक में मद पर चर्चा नही की गई तथा मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

54 **उपरली डोहगी तह0 बगाणा जिला ऊना में अनुसूचित जाति, ओ0बी0सी0 बस्ती में हैंडपम्प का <u>प्राथमिकता के आधार पर प्रबन्ध करवाया जाये।</u>**

(डा0 शेर सिंह ,गांव डा0 डोहगी ,तह0 बगांणा,जिला ऊना)

सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार भू–जल विज्ञानी द्वारा स्थान का निरीक्षण उपरान्त स्थान हैण्डपम्प लगवाने के लिए उपयुक्त नही पाया गया तथा हैण्डपम्प नही लगाया जा सकता।

सम्बन्धित माननीय गैर सरकारी सदस्य बैठक में उपस्थित नही हुए, इसलिए बैठक में मद पर चर्चा नही की गई तथा मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

55 **जिला बिलासपुर में आई0पी0एच0 सब डिविजन घुमारवीं के अन्तर्गत गांव लेठवी में जहां ऊंचाई वाली जगह में पानी भण्डारण टैन्क बना है इसके आस–पास 8–9 परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग के रहते है । पानी भण्डारण टैन्क और इस बस्ती का लेवल बराबर है । जिस कारण इस बस्ती को बहुत कम पानी चढ़ता है । इन परिवारों को आधा इन्च पाईप डाल कर पानी दिया गया है। इस पाईप को एक इन्च से अधिक से बदल कर बाकि गांव को पानी छोड़ने से एक या डेढ घन्टा पहले पानी सप्लाई देना सुविधाजनक होगा क्योंकि पूरे गांव को इकठ्ठा पानी छोड़ने से एक दम पानी गांव के निचले हिस्सों में चला जाता है। यह पानी स्कीम चकराना गांव में नाले का पानी इकठ्ठा करके एक टैन्क में डालकर गांव चकराना,गतवाड,लेठवी को दिया जाता है। गर्मियों में अप्रैल महीने से इस नाले का पानी सूख कर कम हो जाता है । फिर दूसरी स्कीमों से पानी ला कर 6–7 दिनों में सप्लाई किया जाता है और पानी की भारी समस्या हो जाती है। अतः निवेदन है कि गांव की इस बस्ती में हंस राज के मकान के आस पास जो गांव का केन्द्र है एक हैण्ड पम्प लगा देने से गर्मियों में भी पानी की सुविधा हो जाएगी । वर्तमान में गांव में जो हैण्डपम्प लगे है उनमें से एक का पानी <u>सूख गया है तथा दूसरे में दूषित/बदबुदार पानी आता है।</u>**

(श्री कर्मदास शान्डिल ,गांव मरहोल तह0 घुमारवीं ,जिला बिलासपुर)

बैठक में सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग ने सूचित किया कि गांव लेठली को उठाऊ पेयजल योजना सुमाडी मरहाणा से पानी की आपूर्ति कर जा रही है इस गांव की इस बस्ती में श्री हंस राज के मकान के पास हैण्डपम्प स्थापित करने हेतु भू–विज्ञानी से स्थल का सर्वेक्षण करवा दिया गया है जो कि सम्भव (Feasible) है । अतः धन का प्रावधान उपलब्ध होने पर हैण्डपम्प लगा दिया जाएगा।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को शिघ्र हैण्डपम्प लगाने आदेश दिए और मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

56 **जिला बिलासपुर में आई0पी0एच0 सब डिविजन घुमारवीं के अर्न्तगत घुमारवीं पम्प हाउस से घुमारवीं पानी भण्डारण टैन्क ''सोई,सिल्ह,मतवाना'' स्कीम पर 5 इंच की नई पाईप लाईन बिछाने का आजकल काम चला है जो सोई गांव के पानी भण्डारण टैन्क के नजदीक से होकर जा रही है। इस सप्लाई लाईन से सोई टैन्क को भी कनेक्शन दे कर पानी भरना चाहिए । वर्तमान में रटेहल स्कीम द्वारा सोई,मरहोल टैन्कों में पानी भरा जाता है। जो इस गांव की जरूरत को पूरा करने में अक्षम है। अतः इस नई पाईप लाईन से सोई टैन्क में पानी भरने के बाद रटैहल स्कीम की सप्लाई मरहोल गांव में अन्य पिछडा वर्ग के लिए बने टैन्क को प्रतिदिन पानी मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे भी कुछ दिनों बाद घुमारवी,मैहरन, नैन, हरलोग के गांव कोल डैम स्कीम से जुडने वाले है।**

(श्री कर्मदास शान्डिल ,गांव मरहोल तह0 घुमारवीं ,जिला बिलासपुर)

बैठक में सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग ने सूचित किया कि गांव सोई व मरहोल इत्यादि गांवों को उठाऊ पेयजल योजना सोई सिल्ह मतवाणा से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है इन गांवों में पानी की समस्या रहती थी लेकिन वर्तमान में उक्त योजना का सम्बर्धन कार्य प्रगति पर है इन गांवों में जहां –2 पानी की कमी है वहां पर पाईप लाईन को बड़े ब्यास की पाईप में बदला जा रहा है। जिस टैंक में पानी की कमी रहती है, उस टैंक में पानी की कमी को दूर किया जा रहा है। इस योजना का सम्बर्धन कार्य पूर्ण होने पर इन गांवों की पेयजल समस्या पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी ।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

57 **जिला बिलासपुर में आई0पी0एच0 सब डिविजन घुमारवी के अर्न्तगत रटैहल पम्प हाउस से गांव सोई टैन्क में पानी डाला जाता है जो गांव सोई व लोअर मरहोल को सप्लाई होता है। गांव लोअर मरहोल में 7–8 परिवार अनुसूचित जाति के रहते हैं। उनकों आधा इन्च पाईप से उनके घरों के लेवल से तकरीबन 10 फुट नीचे बिछाई लाईन से पानी दिया जाता है। अतः इनको जरूरत मुताबिक पानी नही मिलता है। इसलिए सुझाव है कि इनकों घरों के पीछे से ही इनकी बस्ती के सामान्तर लेवल में उचित डाया वाली पाईप लाईन बिछा कर इनकी पानी समस्या हल हो जाएगी।**

(श्री कर्मदास शान्डिल ,गांव मरहोल तह0 घुमारवीं ,जिला बिलासपुर)

बैठक में सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग ने सूचित किया कि गांव सोई व लोअर मरहोल को उठाऊ पेयजल योजना सोई सिल्ह मतवाणा से पानी की सप्लाई दी जा रही है । इस योजना का सम्बर्धन कार्य भी प्रगति पर है । इस गांव में अनुसूचित जाति परिवारों को भी पाईप लाईन जहां से तकनीकी रूप व्यवहारिक होगी उस स्थान से डाल दी जाएगी व इनकी पानी सम्बन्धी समस्या का स्थाई समाधान कर दिया जाएगा।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया।

58 जिला बिलासपुर में आई0पी0एच0 सब डिविजन घुमारवी के अर्न्तगत गांव रटैहल के पानी भण्डारण टैन्क से गांव पट्टा के 9–10 अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार व 5–6 अनुसूचित जाति के परिवारों को उस समय आधा इन्च पाईप लाईन बिछा कर पानी दिया है। अब इन परिवारों की संख्या बढ़ गई है। इसलिए अब इन को एक इन्च पाईप बिछा कर पानी देने से इनकी समस्या हल हो जाएगी।

(श्री कर्मदास शान्डिल ,गांव मरहोल तह0 घुमारवीं ,जिला बिलासपुर)

बैठक में सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग ने सूचित किया कि यह सत्य है कि गांव लोअर पट्टा को पेयजल भण्डारण टैंक स्टैहला के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है लेकिन वर्तमान में इस गांव की आबादी को विभागीय मापदण्डों व तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप डाली गई वितरण पाईप लाईन से पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति की जा रही है ।अतः मापदण्डों के अनुसार उक्त बस्ती के लिये पाईप लाईन का ब्यास बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

59 सरकारी प्राईमरी स्कूल ढांग ऊपरली के खेल के मैदान को डन्गा लगवाने हेतु निवेदन है कि ग्रांम ढांग निहाली में उपस्थित गांव ढांग उपरली के सरकारी प्राईमरी स्कूल का जो खेल का मैदान है के साथ सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा कुछ वर्ष पहले डंगे का निर्माण किया गया था। लेकिन अब डंगा पूर्ण रूप से गिर चुका है तथा खेल के मैदान को बहुत क्षति पंहुची है तथा उपरोक्त डंगे के निर्माण पर लगभग आठ–नौ लाख रूपये कुल खर्च आयेगा। निवेदन है कि उपरोक्त डंगे हेतु राशि स्वीकृत कर डंगे का निर्माण किया जाये।

(श्री हरपाल सिंह ,गांव ढांग ऊपरली, तह0 नालागढ ,जिला सोलन)

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान प्रारम्भिक शिक्षा विभाग ने सूचित किया कि प्राक्कलन तैयार करके स्कूल प्रबन्धन कमेटी के तहत कार्य को शिघ्र कर दिया जाऐगा। **अतः मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

60 ग्राम ढांग– उपरली में पीने के पानी की टंकी का निर्माण व पीने के पानी की बड़ी लाईन बिछाने बारे निवेदन है की उपरोक्त गांव में पीने के पानी की काफी समय से किल्लत चल रही है तथा गत नौवी बैठक में भी उपरोक्त विषय हेतु सरकार को लिखा गया था। लेकिन गत बैठक के दौरान उपरोक्त विषय पर चर्चा की गई थी की उक्त कार्य हेतु राशि स्वीकृत कर कार्य का निर्माण किया जायेगा। लेकिन आज दिनांक तक उपरोक्त कार्य हेतु न तो कोई राशी स्वीकृत की गई न ही कार्य का निर्माण किया गया है। जब सम्बन्धित क्षेत्र के सम्बंधित विभाग के उच्च अधिकारीयों से उक्त कार्य हेतु पूछताछ की जाती है तो उनका जवाब होता है कि पहले बोर–वैल लगाया जायेगा उसके उपरान्त टंकी का निर्माण किया जायेगा ।अतः सरकार से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त कार्य को शीघ्र करवाया जाये। ताकि लोगों की आम समस्या का समाधान हो सके ।

(श्री हरपाल सिंह ,गांव ढांग ऊपरली, तह0 नालागढ ,जिला सोलन)

बैठक में सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग ने सूचित किया कि गांव ढांग उपरली की पेयजल योजना के लिये मु0 59.54 लाख रू0 का प्रर्फोमा प्राक्कलन स्वीकृत हो चुका है तथा प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति हेतु

प्राक्कलन बनाने का कार्य प्रगति पर है। बजट का उचित प्रावधान होने उपरान्त पानी की टंकी व बड़ी लाईन बिछाने का कार्य किया जाएगा।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

61 **हैन्ड पम्प लगवाने बारे निवेदन है की शिव मन्दिर '' शिव द्वाला '' राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढांग–निहली ग्राम पंचायत ढांग–निहली में उपरोक्त स्थानों पर पीने के पानी की गंभीर समस्या है तथा लोगों की भारी मांग है कि उक्त स्थानों पर हैंड पम्प लगवाये जाये ताकि समस्या का समाधान हो सके । अतः सरकार से निवेदन है कि लोगों की उक्त समस्या को ध्यान में रखते हुए अति शीघ्र उपरोक्त स्थानों पर दो हैंड पम्प लगवाये जायें।**

(श्री हरपाल सिंह ,गांव ढांग ऊपरली, तह0 नालागढ ,जिला सोलन)

बैठक में सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग ने सूचित किया कि शिव मन्दिर शिव दवाला के 50 मी0 की दूरी पर राजकीय माध्यमिक पाठशाला ढांग निहली के आगे हैण्डपम्प वर्ष 2012–13 से लगा हुआ है, अतः 50 मी0 व्यास के भीतर दूसरा हैण्डपम्प लगाना तकनीकी रूप से विभाग के नियमों व मापदण्डों के अनुसार सम्भव नहीं है ।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने विभाग को शिव मन्दिर के पास हैण्डपम्प लगाने के आदेश दिए तथा मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

62 **सहारा टेक्सटाईल भाटिया (प्रा0लि0) के गंदे पानी व केमीकल को रोकने बारे निवेदन है कि उपरोक्त फर्म जो की ग्राम पंचायत भाटिया में चल रही है, के गन्दे पानी व केमीकल का कोई स्थायी निकास नही किया गया है तथा फर्म का पानी खुलेआम चिकनी नदी में छोड़ा जाता है तथा उपरोक्त नदी का पानी बहते हुए गांव सनेड ,कंगनवाल ,मंगुवाल, राजपुरा ढांग,उपरली,ढांग–निहली व जगातखाना से होते हुए सरसा नदी में मिल जाता है। जिसमें फर्म द्वारा जहरीले केमीकल छोड़े जाते है। जिससे आम जनता में भारी बीमारियों पनपने का खतरा है इसके अतिरिक्त उपरोक्त चिकनी नदी के साथ–साथ पीने के पानी की स्कीम भाटिया ,व अन्य सिचाई की स्कीमें जो की उपरोक्त नदी से पानी उठाया गया है, पानी भी प्रभावित हो रहा है तथा जब स्थानीय लोग अपनी भूमि में उपरोक्त योजना के अन्तर्गत सिंचाई स्कीम का पानी अपनी कृषि योग्य भूमि में लगाते हैं तो सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं तथा इसके अतिरिक्त स्थानीय किसानों को चर्म रोग की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है । स्थानीय प्रदूषण विभाग को उक्त समस्या से कई बार स्थानीय लोगों द्वारा अवगत करवाया गया किन्तु विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही अमल में नही लाई गई। उपरोक्त फर्म में पानी के शुद्विकरण नही किया जाता तथा पानी खुले रूप से नदी में छोड़ दिया गया है । अतः सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त फर्म के खिलाफ कार्यवाही अति शीघ्र अमल में लाई जाये ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके।**

(श्री हरपाल सिंह,गांव ढांग ऊपरली,तह0 नालागढ,जिला सोलन)

बैठक में प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड ने सूचित किया कि उठाऊ सिंचाई योजना सैनी माजरा को चालू करने के लिये सिरसा खडड से पानी का नमूना जहां पर चिकनी खडड से पानी भी मिला हुआ है, का परीक्षण Eco Laboratories and consultants Pvt. Ltd. Mohali में करवाया गया है तथा टैस्ट रिपोर्ट दिनांक 28.09.2015 में कुछ भी विपरीत नही पाया गया है ।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया।

63 **सिंचाई स्कीम ढांग प्लासी व ढांग–ऊपरली हेतु आपरेटर व अधूरी स्कीम को पूर्ण करने बारे निवेदन है कि उपरोक्त सिंचाई की स्कीम ढांग प्लासी (S.I.L) को चलाने हेतु दो वर्ष से कोई भी आपरेटर सरकार द्वारा नियुक्त नही है। जिसके कारण उपरोक्त स्कीम से सम्बन्धित किसानों की**

भूमि को पानी नही मिल रहा है तथा सम्बधित विभाग को उपरोक्त स्कीम हेतु आपरेटर नियुक्त करने हेतु मांग की गई लेकिन उच्च– अधिकारियों का कहना है कि हमारे पास कोई आपरेटर नही है तथा विभाग द्वारा जो आपरेटर रखे गये है वो विभिन्न स्कीमों पर तैनात है तथा विभाग में आपरेटर की कमी है तथा सरकार द्वारा नये पद भी नही भरे जा रहे है। अतः सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त सिंचाई स्कीम हेतु आपरेटर नियुक्त किया जाए ताकि स्कीम को सही तरीके से चलाया जा सके ।

इसके अतिरिक्त सरकार से निवेदन है की ढांग–उपरली में स्थित जो सिंचाई स्कीम है अभी तक अधूरी है जो की वर्ष 2007–2008 से सरकार द्वारा स्वीकृत है जबकि आज दिनांक तक उपरोक्त स्कीम पूर्ण रूप से तैयार नही है । स्कीम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की जो पाईप की लाईने बिछाई गयी है अभी तक ब्रांच लोकल टैकों का निर्माण नही हुआ है । जबकि स्थानीय किसान लगभग तीन–चार वर्ष से सम्बन्धित क्षेत्र में स्थित विभाग के उपरोक्त समस्या को लेकर चक्कर काट रहे हैं तथा विभाग का कहना है कि उपरोक्त स्कीम का ठैकेदार उक्त कार्य करने के लिए नही आ रहा है। जिसकी वजह से स्कीम आज तक अधूरी है। अतः सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त स्कीम के पूर्ण न होने सम्बन्धी क्षेत्रीय विभाग के उच्च अधिकारियों के माध्यम से जांच–पड़ताल करवाई जाये तथा स्कीम को अति शीघ्र पूर्ण करवाया जाये ताकि स्थानीय किसानों की समस्या का समाधान हो सके।

(श्री हरपाल सिंह ,गांव ढांग ऊपरली,तह0 नालागढ ,जिला सोलन)

बैठक में सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग ने सूचित किया है कि विभाग के पास कर्मचारियों की कमी होने के कारण योजनाओं को कृषि विकास संघ द्वारा चलाया जा रहा है । इसके अतिरिक्त ढांग उपरली में स्थित सिंचाई योजना को विभाग द्वारा चालू कर दिया गया है तथा लोगों को फसलों के लिये सिंचाई की सुविधा दी जा रही है तथा लोगों का आपसी झगड़ा होने के कारण 2 हौदियां नहीं बन पाई जिन्हें लोगों की सहमति होने पर बना दिया जाएगा।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने विभाग को आदेश दिए है कि पूरे प्रदेश में पम्प ओपरेटर के रिक्त पड़े पद का ब्यौरा प्रस्तुत करे, और अधूरे पड़े कार्य को शीघ्र पूरा करें तथा जिन ठेकेदारों ने कार्य पूरे नहीं किए हैं उनके विरूद्व कार्यवाही की जाए। अतः मद को समाप्त कर दिया गया।

64 **धार धंगड लून्सु पेयजल योजना हेतु नाबार्ड में पैसा जमा हो चुका है। उसकी डी0पी0आर0 भी बन चुकी है परन्तु सरकार के आदेश नहीं होने के कारण धार धंगड़ लून्सु पेयजल योजना अधर में लटकी हुई है। सरकार से अनुरोध है कि इस योजना का काम अति शीघ्र किया जाये।**

(श्री त्रिलोक चन्द,गांव व डाकघर धार धंगड़ ,तह0 देहरा ,जिला कांगडा)

बैठक में सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग ने सूचित किया कि पेयजल योजना धार लून्सू नाबार्ड में डल चुकी है व पेयजल योजना की ड0पी0 आर0 Approve हो चुकी हैं तथा अब इसकी तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को कार्य शिघ्र पूरा करने के आदेश दिए तथा मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

65 **धंगड़ पंचायत में गांव ढियु में चेकडैम बनना अति आवश्यक है क्योंकि गर्मियों में नाले का पानी सूख जाता है जिसके कारण पशु–पक्षियों तथा जंगली जानवरों को पानी के लिए तरसना पड़ता है। इस चैकडेम बनने से किसानों की भूमि की भी सिंचाई की जा सकती है। यह चेकडेम लगभग 15–20 लाख में बन सकता है।**

(श्री त्रिलोक चन्द ,गांव व डाकघर धार धंगड़ ,तह0 देहरा,जिला कांगड़ा)

बैठक में सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग ने सूचित किया कि इस कार्य को करने के लिए बजट का प्रावधान होने पर कार्य कर दिया जाएगा ।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।

66 **डब्लयू एस0 एस0 स्वाणा सब डिवीजन डाडा–सीबा के अधीन है, यह 1980 के लगभग स्कीम बनी थी उस समय लगभग पूरे स्वाणा ग्राम में लगभग 40–50 नल थे । एक बार इस स्कीम का नवीनकरण किया गया था, लगभग 700–800 मीटर डाया बदला गया परन्तु पिछली सरकार ने आदेश दिया कि घर–2 नल लगवाऐ जाऐ जो इस स्कीम पर इस समय 500 से ज्यादा नल लग चुके है लेकिन पाईप का डाया जैसे का तैसा रहा है। विभाग से पूछा जाऐ, आई0पी0एच0 नियम के अधीन डाया बदले बिना नल केसे दिये गये, क्योंकि लोग परेशान है ,नलों में पानी नही आता है, कर्मचारी परेशान रहते है माननीय आई0पी0एच0 मन्त्री जी के ध्यान में लाया जाऐ ताकि डाया चेंज होने का बजट प्रावधान हो सके, व सबको सुचारू रूप से पानी मिल सके।**

(श्री शिवपाल सिंह महंत ,ग्राम स्वाना, तह0 जसवा ,जिला कांगड़ा)

सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार पेयजल योजना स्वाणा त्यामल पहले पेयजल योजना बाथु टिपरी का हिस्सा थी लेकिन बाद में गांव स्वाणा औा त्यामल के लिये अलग से उठाऊ पेयजल योजना बनाई गई थी जो सुचारू रूप से कार्य कर रही है। पिछली सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश नहीं मिला कि पेयजल योजना स्वाणा तयामल में घर –घर नल लगाये जायें । जो निजी नल विभाग द्वारा लगाये गये है वे लोगों द्वारा निजी नल स्वीकृति करवाये गये हैं व यह नल विभागीय नियमानुसार ही लगाये गये हैं यह भी सूचित किया गया है कि Improvement of distribution system of various water supply schemes under Jaswan Pragpur constituency की डी0 पी0 आर0 को Adviser Planning के पत्र संख्या नं0 PLG FC(F) /-1-36/2014 R.IDF-XX/2014 -15 dated 30.04.2015 द्वारा C.G.M.Nabard को स्वीकृति के लिये भेज दी गई है जिसमें इस योजना के वितरण प्रणाली के सुधार को भी शामिल किया गया है जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होगी वितरण प्रणाली का सुधार कर दिया जाएगा।

सम्बन्धित माननीय गैर सरकारी सदस्य बैठक में उपस्थित नही हुए, इसलिए बैठक में मद पर चर्चा नही की गई तथा मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

67 **दो वर्ष पहले आई0पी0एच0 विभाग द्वारा डब्लयू0 एस0एस0 स्वाणा के लिए नाबार्ड स्कीम के अधीन चार टैंक बनवाने का एसटीमेट बनाया गया।**

1. **टैंक गुंलागड़ा एस0सी0 व सामान्य वर्ग के चालीस घर है।**

2. **पक्का परोह आबादी नजदीक (पीरवड़) आबादी ओबी0सी0 30 घर व एस0 सी0 25 घर है। जिनकों पानी महीने में मुश्किल से दस दिन मिलता है।**

3. **टैंक लोहर स्वाणा नजदीक पंचायत घर (बस्ती सामान्य वर्ग) लगभग 30 घर ओ0बी0सी0 लगभग 12–14 घर व राजपूत बस्ती पन्द्रह घर। लोगों ने पशु रखे है पानी की तंगी की वजह से कईयों ने बेच दिये है, राजपूत बस्ती को पानी बहुत कम जाता है कृप्या डाया चौड़ा करवाया जाऐ तथा नाबार्ड स्कीम के अधीन बजट का प्रावधान किया जाये।**

(श्री शिवपाल सिंह महंत,ग्राम स्वाना, तह0 जसवां,जिला कांगड़ा)

सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार Improvement of distribution system of various water supply schemes under Jaswan Pragpur constituency की डी0 पी0 आर0 को Adviser Planning के पत्र संख्या नं0 PLG – FC(F)/-1 36/2014 R.IDF-XX/2014-15 dated 30-04-2015 द्वारा C.G.M. Nabard को स्वीकृति के लिये भेज दी गई है जिसमें नए टैंको का भी प्रावधान किया गया है जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होगी इस योजना का सुधार कर दिया जाएगा ।

सम्बन्धित माननीय गैर सरकारी सदस्य बैठक में उपस्थित नही हुए, इसलिए बैठक में मद पर चर्चा नही की गई तथा मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

68 पंचायत नियाड ट्टीका जलेरा, मस्तिआल डब्लयू एस0 एस0 टीपरी उप–मण्डल डाडा–सीबा में दो–तीन वर्ष पहले टैंक बनवाऐ गये डाया चैंज किया गया, जलेरा में ओ0बी0सी0 आबादी के लगभग पच्चास घर (घुम्यार–सोलह घर, नाई छः घर, तरखान अठाईस घर टीका मस्लाल) (आबादी राजपूत लगभग चालीस घर, ब्रहामण लगभग तीस घर) ना यहां टैंक बनवाऐ गये न डाया चेंज किया गया, इन सभी लोगों को पानी की कमी है। विभाग को आदेश दिये जाऐ कि जो मुनासिब हो वह करके पानी की समस्या को दूर किया जाये।

(श्री शिवपाल सिंह महंत,ग्राम स्वाना, तह0 जसवां,जिला कांगड़ा)

सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार गांव जलेरा पेयजल योजना बथु टिपरी के अन्तर्गत आता है पहले इन आबादियों को पानी की सप्लाई खान बड़ टैंक से दी जाती थी जब इस योजना का विस्तार किया गया तो गांव जलेरा व अन्य गांवों के लिये अलग से 100 एम0 एम0 ब्यास की राइजिंग मेन मुख्य कार्य स्थल से बठरा टैंक तक डाली गई है जहां से इन गांवों को पेयजल की आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है ।

सम्बन्धित माननीय गैर सरकारी सदस्य बैठक में उपस्थित नही हुए, इसलिए बैठक में मद पर चर्चा नही की गई तथा मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

69 नालागढ़ उपमण्डल की नदी नालों में अंधाधुंध खनन के कारण उठाऊ सिंचाई योजनाएं ठप होने के कगार पर हैं और नदियों में भारी खनन होने के कारण नदियों का जलस्तर काफी नीचे गिर गया है जिसके चलते उठाऊ सिचांई योजनाओं का पानी सग्रंह करने के लिए बांध बनाने की काफी मुश्किल हो गई है। नदियों में अवैध खनन रोका जाए और भूमि कटाव रोकने के लिए नदियों के तटबन्ध बनाये जायें और नदियों का चैनलाइजेशन किया जाए ताकि उठाऊ सिंचाई योजनाए बचाई जा सके।

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ़)

बैठक में सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग ने सूचित किया कि नालागढ़ उप–मण्डल के अन्तर्गत सिरसा नदी तथा इसकी सहयोगी नदियों का चैनेलाईजेश्न करने के लिये Out Sourcing के माध्यम से DPR तैयार करवाने हेतु कार्य ठेकेदार को मण्डल कार्यालय ने दिनांक 18.01.2016 द्वारा आबंटित कर दिया गया है ।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।

70 **उपमण्डल नालागढ़ की ग्राम पंचायत ढांग निहली के गांव ढांग निहली में करीब 2500 बीघा जमीन है और इस जमीन की पहले लिफ्ट इरीगेशन स्कीम से सिंचाई की जाती थी, लेकिन अंधाधुंध खनन के कारण नदी का जलस्तर काफी नीचे चला गया है और यहां पानी लिफ्ट करने के लिए बांध बनाने का संकट पैदा हो गया है और इसके अलावा स्कीम 35–40 वर्ष पुरानी होने के कारण वैसे भी जर्जर हालत में पंहुच गई है। अतः यहां किसानों को सिचांई सुविधा मुहैया करवाने के लिए नए ट्यूबवेल स्थापित किए जाये।**

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ)

बैठक में सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग ने सूचित किया कि इस क्षेत्र में भू–जल की उपलब्धता जानने के लिये resisitivity survey करवाया गया था तथा resisitivity survey की रिपोर्ट के अनुसार यहां सिंचाई के लिये टयूबवैल लगाना feasible नहीं है।

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त कर दिया गया है।

71 **जिला सिरमौर के धौलाकुआं में 11 जुलाई 2015 को प्रवास के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ग्राम पंचायत रामपुर भातपुर के ग्राम रामपुर वार्ड न0 9 में पेयजल हेतु एक बोरवेल With over Head Tank के निर्माण की घोषणा की थी जिसका एस्टीमेट विभाग ने लगभग 66,00,000 रू. बनाकर स्वीकृति के लिए सरकार को डी0सी0 सिरमौर को भेजा हुआ है कृप्या राशि स्वीकृत कर ग्राम वासियों को पेयजल संकट से छुटकारा दिलाया जाये।**

(श्री ज्ञान चन्द ,ग्राम रामपुर, धोलाकुंआ,जिला सिरमौर)

सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग ने बैठक में सूचित किया कि ग्राम पंचायत रामपुर–भारापुर के ग्राम रामपुर वार्ड नं0 9 में पेयजल हेतु एक बोरबेल with over Head Tank के निर्माण की माननीय मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी जिसका प्राक्कलन विभाग ने लगभग 66,00,000/– रू0 का बनाकर स्वीकृति के लिये डी0 सी0 सिरमौर के माध्यम से सरकार को भेजा गया था जो कि अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) से पत्र संख्या IPH-B (A) 9-3/2013 दिनांक 10.12.2015 के द्वारा आपत्तियों सहित वापिस आया है इस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

सम्बन्धित माननीय गैर सरकारी सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हुए, इसलिए बैठक में मद पर चर्चा नही की गई तथा मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

72 **उठाऊ पेयजल योजना खद्दर खड्ड से काडेवड़ी धार तक बनाई जाए जिससे कि पूरी पंचायत खद्दर के सभी 5000 हजार लोगों को और सुखे मौसम से खद्दर पंचायत को नही बल्की गुन्सा, लालपानी व नेरवा वासियों को सुविधा मिलेगी।**

(श्री कुन्दन शर्मा गांव खद्दर तह0 चौपाल जिला शिमला)

बैठक में सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग ने सूचित किया है कि खद्दर खड्ड से कांडेवड़ी धार के लिए उठाऊ पेयजल योजना से सम्बन्धित मांग लोगों द्वारा अभी–अभी उठाई गई है। जबकि इसके सर्वेक्षण तथा तकनिकी छानबीन के लिए लगभग 15 दिनों की आवश्यकता है उसके बाद ही इस योजना से सम्बन्धित रिर्पोट समिति को भेजी जा सकती है। वर्तमान में ग्राम पंचायत खद्दर के गांवों को पेयजल योजनाओं खद्दर, हनल–अन्तरावली, एच0बी0 खद्दर भनाल–नकोरपुल, जिउ–सेरटी, धनवारी, खद्दर–मनचोली तथा कराई–खद्दर से पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण सर्वेक्षण तथा तकनीकि छानबीन के उपरान्त ही दी जा सकती है।

मद पर चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभाग को आदेश दिए कि मामले का परीक्षण करे तथा मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

नोटः–निम्नानुसार दर्शाई गई मद संख्याः 73 से 160 पर बैठक में समय के अभाव के कारण कोई भी चर्चा नही हो पाई। अतः यह निर्णय लिया गया कि जिन विभागों से सूचना प्राप्त नही हुई है, वे विभाग को सूचना उपलब्ध करवाऐगें ताकि आगामी बैठक की कार्यसूची में उत्तरों को चर्चा हेतु सम्मिलित किया जा सके। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि माननीय गैर सरकारी सदस्य भविष्य में दो से अधिक मद नही भेजेगें तथा मदें व्यक्तिगत न हो कर समुदायों के सर्वागीण विकास से सम्बन्धित होनी चाहिए।

स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित मदें

73 **सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भराड़ी खण्ड घुमारवीं की एक्स–रे मशीन पिछले 6 महीने से खराब पड़ी है। इस बारे में कई बार उच्च्व अधिकारियों को भी सूचित किया जा चुका है। इसके लिए विभाग बजट का प्रावधान करने की कृपा करे।**

(श्री विजय कुमार ,गांव कुठेडा , तह0–भराडी ,घुमारवी,बिलासपुर)

(स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग)

74 **सी0एच0सी0 भराड़ी के नए औ0पी0डी0 भवन का निर्माण पिछले 1 वर्ष से ठप्प पड़ा है । इसे तुरन्त करवाने के लिए पी0डब्लयू0डी0 विभाग को निर्देश जारी किए जाए। क्योंकि यह मामला जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है।**

(श्री विजय कुमार ,गांव कुठेडा ,उप तह0–भराडी ,घुमारवी,बिलासपुर)

(स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग)

75 **सी0एच0सी0 भराड़ी में नेत्र सहायक का पद स्वीकृत किया जाऐ क्योकि यहां पर नेत्र जांच के लिए 15 कि0मी0 घुमारवीं जाना पड़ता है। विभाग के द्वारा पिछले वर्ष एक नेत्र सहायक को प्रतिनियुक्ति पर सी0एच0सी0 भराड़ी में लगाया गया था, परन्तु उसे दोबारा वापिस बुला लिया गया है। कृप्या यहां पर नेत्र सहायक का पद स्वीकृत करने की कृपा करे।**

(श्री विजय कुमार,गांव कुठेडा, उप तह0 भराडी ,घुमारवी,बिलासपुर)

(स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग)

76 **पी0एच0सी0 सुसनाल के लिए चिकित्सा स्टॉफ की नियुक्ति की जाये सरकार के आशीर्वाद से इसे 6 महीने पहले खोलने की घोषणा की जा चुकी है। परन्तु स्टॉफ न होने के कारण इसे खोला नही जा रहा है। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी किए जाये।**

(श्री विजय कुमार ,गांव कुठेडा , उप तह0 भराडी ,घुमारवी,बिलासपुर)

(स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग)

77. **सी0एच0सी0 रती जिला मण्डी में जब–2 भी आवश्यकता पड़ी तब माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने छः से ज्यादा अनुभवी डाक्टर कार्यरत रखे। सी0एच0सी0 रती की प्रतिदिन की औ0पी0डी0 लगभग 300 से ज्यादा होती है। आजकल सी0एच0सी0 रती में दो नए डाक्टर लगे है तब से सी0एच0सी0 रती की ओ0पी0डी0 में भारी गिरावट आई है जिस कारण लोगों को प्राईवेट अस्पताल में मंहगा ईलाज करवाना पड़ता है। जिन अस्पतालों की ओ0पी0डी0 15 से 20 तक है वहां पर 4–5 डाक्टर तैनात है इसके अलावा पी0एच0सी0 लेदा ,रिवालसर, बग्गी छम्यार में डाक्टरों के पद खाली पड़े हैं।**

(श्री गोबिन्द राम नायक,ग्राम व डा0ट्रोह,तह0बल्ह ,जिला मण्डी)

(स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग)

78. **बी0एम0ओ0 रती जो पहले कार्यरत थे स्पेशलिस्ट होने के नाते मरीजों को भी देख लेते थें। लेकिन विभाग को यह अच्छा नही लगा और बी0एम0ओ0 को एक साल से कम समय में ही बदल दिया जो बी0एम0ओ0 रती आज लगाया गया है वह नाम मात्र का ही है वह सप्ताह में दो दिन ही अस्पताल आती है। उसे अस्पताल की कोई परवाह नही है उसे जोनल अस्पताल में तैनात कर रखा है। कृप्या मामले की छानबीन की जाए।**

(श्री गोबिन्द राम नायक ,ग्राम व डा0 ट्रोह,तह0 बल्ह ,जिला मण्डी)

(स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग)

79. **सी0एच0सी0 रती में आँख के देखने के लिए दो Albirism है। जहां की कमरे में एक ही कुर्सी है और एक समय में एक ही Albirism काम कर पाता हैं दूसरी Albirism जो सिर्फ चश्में बेचने का ही काम करती है और अस्पताल कभी–कभार ही आती है। जब स्थानीय जनता ने बी0एम0ओ0 रती से इस सम्बन्ध में पूछा तो बताया कि वह स्वास्थ्य मंत्री जी के निजी सचिव की बहन है , और उसे सतर्कता विभाग ने रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा ओर फिर भी उसे सरपल्स रखा हुआ है। इसमें बी0एम0ओ0 ने कुछ करने के लिए अपनी असमर्थता दिखाई है। इसके अलावा जिन–2 डाक्टरों ने इसके विरूद्व कुछ कार्यवाही की उन्हें तो उल्टी सजा ही मिली है। मामला की गम्भीरता से छानबीन की जाये।**

(श्री गोबिन्द राम नायक ,ग्राम व डा0 ट्रोह,तह0 बल्ह ,जिला मण्डी)

(स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग)

80 **सी0एच0सी0 रती में भवनों की मुरम्मत लगभग पिछले सालों से नही हो रही है, जिस कारण ये भवन रहने योग्य नही है। डाक्टरों व नर्सो के भवन मुरम्मत करने योग्य हो गए है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के भवनों में तो बरसात व वर्षा का पानी कमरों में भर जाता है। पैसे के अभाव में इनकी मुरम्मत नही हो पा रही हैं। अस्पताल में जब भी R.H.S का पैसा आता है, तो उसे अन्य कार्यो जैसे मुरम्मत,फर्नीचर इत्यादी पर खर्च किया जाता है। अतः अनुरोध है की इस सी0एच0सी0 को रैफरल**

अस्पताल में बदलकर स्पेशलिस्ट डाक्टर व नर्सो को लगाया जाए ताकि स्थानीय जनता को इसका लाभ मिल सकें व गरीबों को प्राईवेट अस्पताल के खर्च से राहत मिल सके

(श्री गोबिन्द राम नायक ,ग्राम व डा0ट्रोह,तह0बल्ह ,जिला मण्डी)

(स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग)

81 हि0प्र0 अन्य पिछडा वर्ग कल्याण बौर्ड की नोवी बैठक जो 7.1.2015 को सम्पन हुई थी, में मद संख्या 37 के अर्न्तगत , जिला बिलासपुर ,तह0. घुमारवीं की ग्राम पंचायत बरोटा के अंतर्गत, लोगों की स्वास्थ्य सुविधा को ध्यान में रखतें हुए, इस क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की प्रार्थना की गई थी। माननीय मुख्यमन्त्री महोदय हिमाचल प्रदेश सरकार ने 25.01.2015 को बिलासपुर में आयोजित पूर्ण राज्यत्व दिवस पर इसे खोलने की घोषणा कर दी है। हाल ही में इसे खोलने की स्वीकृति मन्त्रिमण्डल ने भी प्रदान कर दी है। मैं अपने क्षेत्र की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, इस स्वास्थ्य केन्द्र को सुसनाल में खोलने पर धन्यवाद करता हूं। आग्रह करता हूॅ कि इसे शीघ्र आरम्भ किया जाए।

(श्री ज्योति कश्यप ,गांव बरोटा ,तह0 घुमारवी ,जिला बिलासपुर)

(स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग)

82 जुलाई 2015 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सिरमौर में जनता को सम्बोधित करते हुए रामपुर भातपुर पी0एच0सी0 जो ई0एस0आई0 में तबदील हो चुकी है लोगों की मांग को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रामपुर भातपुर ई0एस0आई0 को **Denotification** करके इसे पुनः पी0एच0सी0 बहाल करने की घोषणा की थी। कृपया **Denotification** करके प्रतिलिपि दी जाए ताकि लोगों को कार्यवाही से अवगत कराया जा सके।

(श्री ज्ञानचन्द ,ग्राम रामपुर , धोलाकुंआ,जिला सिरमौर)

(स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग)

83 ग्राम पंचायत खद्दर की डिसपैन्सरी में कोई भी सरकारी कर्मचारी नही है जिस की वजह से 5000 लोग को ईलाज करवाने के लिए बहुत दूर नेरूवा या चौपाल जाना पड़ता है। अतः निवेदन है कि उचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

(श्री कुन्दन शर्मा गांव खद्दर तह0 चौपाल जिला शिमला)

(स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग)

पशुपालन विभाग से सम्बन्धित मदें

84 ग्राम पंचायत मरहाणा के अन्तर्गत गांव कुठेडा में एक पशु औषधालय खोला जाए । यहां पर 3–4 कि0मी0 तक कोई भी औाषधालय नहीं है। इसके खुलने से करीब दस गांवों को बहुत सुविधा होगी। औाषधालय को भूमि दान के लिए श्री रत्न लाल चौधरी ,गांव कुठेडा अपनी भूमि सड़क के किनारे दान देने को तैयार है।

(श्री विजय कुमार ,गांव कुठेडा ,घुमारवी,बिलासपुर)

(पशु पालन विभाग)

85 **ग्राम पंचायत गलमा में पशुपालन विभाग की डिस्पैंसरी हेतु बजट का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा चुका है, किन्तु इस भवन का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है।**

(श्री गोबिन्द राम नायक ,ग्राम व डा0ट्रोह,तह0बल्ह ,जिला मण्डी)

(पशुपालन विभाग)

86 **ग्राम पंचायत खद्दर में वैटनरी नौकड़ापुल से उठाकर ग्राम पंचायत खद्दर में स्थानान्तरण कि जाए क्योकि सभी पशु ग्राम पंचायत खद्दर में है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से आग्रह है कि नौकड़ा से खद्दर में वैटनरी स्थानान्तरण कि जाये।**

(श्री कुन्दन शर्मा गांव खद्दर तह0 चौपाल जिला शिमला)

(पशुपालन विभाग)

विद्युत परिषद् से सम्बन्धित मदें

87 **झण्डूता Elect. 33 K.V. Sub Station से 11 K.V. लाईन झण्डूता से तलाई तक गई है जो काफी लम्बी है इसके उपर तहसील झण्डूता के पास एक G.O. Switch लगाने की कृपा करें ताकि सुचारू रूप से कार्य चलता रहें।**

(श्री प्रकाश चन्द कपिल,गांव ठप्पर ,तह0 झण्डूता,जिला बिलासपुर)

(विद्युत परिषद्)

88 **टीका भटनाला में लगभग 40–50 घर है और इसकी बिजली की वोल्टेज बहुत कम है। जब कि हमने विभाग से अनुरोध किया था तो विभाग ने 15 K.V.Transformer N.H-20 से 20 मीटर की दूरी पर लगा दिया था परन्तु इस का फायदा सिर्फ 5, 6 घरों को ही मिल रहा है, जो के N.H-20 के किनारे है मेरा अनुरोध है कि इस ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाये ताकि हमें भी सही बिजली की पूर्ती मिल सकें । यहाँ तक कि इसका हमने जे0ई0 खोली सब डिवीजन कांगड़ा न0 2 से सर्वे करवाया था। इस ट्रांसफार्मर से भाटनाला की दूरी लगभग 500 मीटर है और वहाँ से लगभग 12 पोल लगेंगे तब बिजली की स्पलाई बड़ी आसानी से टीका भाटनाला तक लिंक रोड़ से होते हुए पहुंच सकती है।**

(एक्स–सूबेदार रोशन लाल , गांव खोली (टीका भाटनाला) तह0जिला, कांगडा)

(विद्युत परिषद्)

89. **ग्राम पंचायत माजरा के ग्राम रामपुर पासवाला हेतु बिजली की वोल्टेज कम होने के कारण नया ट्रांसफार्मर लगवाने बारे निवेदन है की उपरोक्त ग्राम पंचायत माजरा के ग्राम पासवाला में बिजली की वोल्टेज कम होने के कारण स्थानीय लोगों द्वारा सिंचाई के लिए अपने ट्यूबवेल लगा रखे है तथा बिजली की खपत अधिक होने के कारण ट्रांसफार्मर को बदल कर बडा ट्रांसफार्मर लगवाया जाये ताकि बिजली की कमी को पूरा किया जा सके। अतः सरकार से निवेदन है की उपरोक्त विषय पर अति शीघ्र कार्यवाही अमल में लाई जाये।**

(श्री हरपाल सिंह ,गांव ढांग उपरली, तह0 नालागढ,जिला सोलन)

(विद्युत परिषद्)

90 **हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड के माध्यम से मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूं कि हिमाचल बिजली बोर्ड द्वारा किसानों को 4–4 महीने का बिल दिया जाता है जिससे कि रीडिंग ज्यादा होने के कारण यूनिट रेट बढ़ जाते है और किसान वर्ग बहुत ज्यादा दिक्कत में है। अतः बोर्ड को हिदायत दी जाये कि गांव वर्ग को देखते हुए, इसे दुरूस्त किया जाये।**

(श्रीमति त्रिशला चौधरी, गांव मुगलांवाला, डा0 राजवन तह0 पांवटा साहिब)

(विद्युत परिषद)

परिवहन निगम से सम्बन्धित मदें

91 **आनन्द घाट से मण्डी या सुन्दर नगर तक बस सेवा चलाई जाऐ जो 5 बजे चलाई जानी चाहिए जिससे तहसील,कोषागार,विधुत व शिक्षा कर्मचारी भी जा सके व अन्य को भी सुविधा मिल सके।**

(श्री प्रकाश चन्द कपिल,गांव ठप्पर ,तह0झण्डूता,जिला बिलासपुर)

(परिवहन निगम)

92 **दिल्ली वाहन को बन्द हुए तीन साल हो गया है इसको पुनः चलाया जाए इसमें निम्नलिखित पंचायते आती हैं करहा, साहनवी, ताता, अमण, मैहल इसे पुनः चालू करके लोगों को खुशी कि लहर आयेगी तथा सरकार के आभारी समाज होगा।**

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भेांरज,जिला हमीरपुर)

(परिवहन निगम)

93 **मण्डी से छतरी एच0आर0टी0सी0 बस लगाई जाए जिसका रात्री ठहराव छतरी में होना चाहिए जिससे 6 पंचायतों के लोगों को तहसील मुख्यालय तक जाने की सुविधा मिल सके।**

(श्री वेद प्रकाश वर्मा गांव चौरा डाक घर छतरी तह0 थुनाग जिला मण्डी)

(परिवहन निगम)

94 **यदि कोई भी सामान बडी गाड़ी में राजा साहिब के महल की तरफ ले जाना होता आज की डेट में एक और गाड़ी साथ करनी पड़ती है। इस इमारत के हटने से यह समस्या भी दूर हो जाएगी और इसी सरकार की कृपा से यह रोड़ ढली से कन्डाघाट को सीधा व कम ट्रैफिक वाला रोड़ होगा जिस से शिमला की भारी ट्रैफिक की भी कमी आएगी। जुन्गा से कोई भी सरकारी बस सोलन को नही है यदि नया रूट सम्भव न हो तो ढली के उपर से आने वाली बस जो चण्डीगढ़ जाती हो उसे वाया जुन्गा किया जाए इस बस के आने जाने से कई पंचायतों को लाभ होगा जैसे भठ्ठाकुफर, मल्याणा, महैली, ढमेची, जुन्गा, साधुपुल, क्यारट, कन्डाघाट अगर ये कार्य पूरा हो पाये तो कृपा होगी।**

(श्री शमशेर सिंह ,गांव व डा0 जुन्गा ,तह0 जुन्गा ,जिला शिमला)

(परिवहन निगम)

95 **जिला बिलासपुर में घुमारवी के मोरसिन्धी वाया दाडी–दाबला सड़क किनारे घनी आबादी वाला ग्रामीण क्षेत्र है। इस सड़क पर समय–समय में निजी व एच0आर0टी0सी0 बसों का आना–जाना ग्रामीण जनसंख्या अनुसार कम है । अतः नीचे लिखें समय पर जैसे पहले बस सर्विस चलती थी**

उसी प्रकार सभी बस रूट चलाए व बहाल किए जाएं इसके अलावा भौर, जाहु, सरकाघाट, लदलोर, बिलासपुर, शिमला की तरफ आने –जाने वाली कुछ बस सर्विस भी इस सड़क पर चलाई जानी चाहिए ।

1. घुमारवी से मोरसिंधी वाया दाडी –दाबला =10.15 बजे सुबह
2. घुमारवी से मोरसिंधी वाया दाडी –दाबला =12.15 बजे दोपहर
3. घुमारवी से मोरसिंधी वाया दाडी –दाबला =14.00 बजे दोपहर
4. घुमारवी से मोरसिंधी वाया दाडी –दाबला =19.00 बजे दोपहर
5. मोरसिंधी से घुमारवी वाया दाडी–दाबला =07.00 बजे दोपहर
6. मोरसिंधी से घुमारवी वाया दाडी–दाबला =10.45 बजे दोपहर
7. मोरसिंधी से घुमारवी वाया दाडी–दाबला = 12.45 बजे दोपहर
8. मोरसिंधी से घुमारवी वाया दाडी–दाबला =14.45 बजे दोपहर

यदि उपर लिखे समय अनुसार एच0आर0टी0सी0 निजी बसों के रूट आबंटित हो तो उनसे बसें चलवाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए । सुबह घुमारवीं से मोरसिंधी वाया दाडी–दाबला एक निजी बस 08:30/08:35 बजे चलती है उसके बाद 08:45 बजे एच0आर0टी0सी0 की बस चलती है इन दोनों बसों का आपस में कम्पीटिशन लगता है । एक ही समय 5–10 मिनट के अन्तराल में दो बसों का इकठ्ठा चलना दुर्घटना का खतरा व दोनो बसों का अलग–अलग समय पर जनता को लाभ भी नही है। इनमें से एक बस का घुमारवीं से चलने का समय 08:10 व 08:15 जनता को सुविधाजनक और सुरक्षित रहेगा।

(श्री कर्मदास शान्डिल ,गांव मरहोल तह0 घुमारवीं ,जिला बिलासपुर)

(परिवहन निगम)

96. मद संख्या 84 जो शिमला से सेधन तक सीधी बस लगाने बारे थी जो शाम को 6:30 बजे शिमला से चलकर सेंधन से प्रातः 8:30 बजे चलकर सीधी शिमला चली जाये। माननीय मुख्यमंत्री तथा परिवहन मंत्री जी के आदेशों के बाद भी विभाग द्वारा कार्यवाही नही की गई।

(श्री प्रेम दास महंत,गांव धार,डा0 शकराह,उप तहसील धामी, जिला शिमला)

(परिवहन निगम)

97. पांवटा साहिब से सतौन रूट पर शाम 6 बजे के बाद कोई भी बस नही है जिससे 6 बजे के बाद गांव वासियों को घर पंहुचने में दिक्कत आती है। निवेदन है कि इस रूट पर सरकारी या प्राईवेट बस चलाई जाये।

(श्री मति त्रिशला चौधरी, गांव मुगलांवाला, डा0 राजवन तह0 पांवटा साहिब)

(परिवहन निगग)

98 शिमला से खद्दर गांव के लिए बस लगाई जाये। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नौकड़ापुल से खद्दर के लिए बस का उद्घाटन किया गया परन्तु अभी तक शिमला से खद्दर बस सेवा शुरू नही हुई है ।

(श्री कुन्दन शर्मा गांव खद्दर तह0 चौपाल जिला शिमला)

(परिवहन निगम)

ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित मदें

99 **बलधाड़ पंचायत में सबसे ज्यादा OBC परिवार है तथा यह इलाका कठिन है इसमें 7 वार्ड है 2 अन्य वार्ड का होना जरूरी है ठप्पर वार्ड से आनन्द घाट व प्राहु से कबरेटा बना दिये जायें।**

(श्री प्रकाश चन्द कपिल,गांव ठप्पर,तह0 झण्डूता,जिला बिलासपुर)

(ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग)

100 **जहां बी0जे0पी0 के प्रधान है व मतभेद से कार्य करते हैं उनके ऊपर जांच कमेटी गठित होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मनरेगा जल संग्राहलय टैंक कार्य जिसकी लम्बाई व चौड़ाई 12 बाई 12 फुट तथा साढ़े 10 फुट गहरा है मुझे 60 बोरी सिमेन्ट दिया गया उन्होंने जिन गाड़ी वालों को टैंडर दिए है उन के व्यक्तियों से नगद पैंसे लेते है। इसकी उचित कार्यवाही होनी चाहिए।**

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भेांरज,जिला हमीरपुर)

(ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग)

101 **इन पंचायत की उच्च स्तरीय जांच हो उन्होंने पार्टी के लोग आई0आर0डी0पी0 में डाले है उदाहरण के तौर पर पवन कुमार गांव मयाद संजय कुमार पुत्र प्रकाश मैहल इस प्रकार बहुत से लोग है वह कार्यवाही पर पता चल सकेगा।**

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भेांरज,जिला हमीरपुर)

(ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग)

102 **इन पंचायत द्वारा दुकानदार जिनके पास सरिया है उनकों परमीशन दे रखी है हमारे से नकद रूपये लिये तथा उनके अकाउन्ट में सीधा रूपये जायेगा तथा इससे रूपये लेने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके बारे इन्हीं कि जिम्मेवारी होनी चाहिए इस पर कानून बनना चाहिए।**

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भेांरज,जिला हमीरपुर)

(ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग)

103 **इन पंचायत में जो गरीब परिवार के सदस्य है उनका नाम आई0 आर0 डी0 पी0 से काट दिया था जिनकी आय–व्यय ठीक है वह लेाग डाल दिये तथा सस्ते राशन में भी जिनके नाम काटे हैं (1) केसरी देवी पत्नी मस्त राम गाव–मैहल, (2) पवन कुमार गांव म्याड (3) संजय कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द गांव मैहल ओर भी अधिक है जिसकी सार्वजनिक जांच हो ताकि समाज को पता चल सके।**

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भेांरज,जिला हमीरपुर)

(ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग)

104 जिन लोगों के बच्चे प्राईवेट स्कूलों में पढतें हैं तथा सस्ता राशन लेते है उनका नाम आई0आर0डी0पी0 में न लिया जाये इस पर कानून बनाया जाये।

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भेांरज,जिला हमीरपुर)

(ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग)

105 जिन व्यक्तियों को आई0आर0डी0पी0 में दस साल या इसकें अधिक हो गये हो तो इनका नाम काट दिया जाना चाहिए ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके ।

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भेांरज,जिला हमीरपुर)

(ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग)

106. जुन्गा पंचायत के खड़की गांव की 70 प्रतिशत आबादी ओ0बी0सी0 व अनुसूचित जाति की है जो कि सैगण नाले के साथ लगती है। बरसात में इस नाले के पानी का बहाव बढ़ जाता है इस कारण फसले भी खराब होती है और घरों को भी खतरा बड़ जाता है। 2015 की बरसात को एक घर में तीन फुट नाले का मलवा भर गया था। इस लिए प्रार्थना है कि इन घरों की हिफाज़त के लिए करेट वायर लगाई जाये।

(श्री शमशेर सिंह ,गांव व डा0 जुन्गा ,तह0 जुन्गा ,जिला शिमला)

(ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग)

107 अन्य पिछडा वर्ग बस्ती रेडली व बरारा एंव राईचा ग्राम पंचायत रेडली में पक्की गलियां एवं नालियां बनाई जाए ताकि उक्त बस्तियों को गंन्दगी से निजात दिलवाई जाऐ विकास खण्ड संगड़ाह को इस बारे लिखा जाये।

(श्री राम लाल शर्मा ,ग्राम व डा0 बोरली,रेडली,उप–मण्डल संगडाह,सिरमौर)

(ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग)

108 मरनेगा के अन्तर्गत पक्के रास्तों की मुरम्मत करने बारे जैसेः– ग्राम धार–भुटुआ–शकराह सरमाणा के ग्रामों को मनरेगा के अन्तर्गत पक्के रास्ते बनाए गए है व टूट फूट चुके है मुरम्मत हेतु एक–दो लाख रूपऐ देने की कृपा करें।

(श्री प्रेम दास महंत,गांव धार,डा0 शकराह,उप तहसील धामी, जिला शिमला)

(ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग)

109. गांवो में पक्के रास्तों का बनानाः– जैसे ग्राम भरवाहग,फेरेट,कटियोग, टूल,जुण्डला, 16 मील से फरैट व भलोगड़ी इत्यादी ग्रामों में कच्चे रास्ते हैं और नाले खड्डो में तबदील हो चुके है, पक्के बनाने हेतु एक–दो लाख रूपऐ स्वीकृत करने की कृपा करे ।

(श्री प्रेम दास महंत,गांव धार,डा0 शकराह,उप तहसील धामी, जिला शिमला)

(ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग)

110 खड्डों पर पुल बनाना जैसेः– ग्राम चलहोग से ग्राम शैंच के बीच कनतीरा खड्ड पर ग्राम शैंच से शकराह नाले पर एक लाख तथा ग्राम सरमाणा नाले पर 2 लाख 50 हजार रूपऐ पुल बनाने हेतु स्वीकृत कर बच्चों को बरसात में स्कूल आने जाने में कठिनाई होती है।

(श्री प्रेम दास महंत,गांव धार,डा0 शकराह,उप तहसील धामी, जिला शिमला)

(ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग)

111 **शिव मन्दिर चौंरी धार के पैसों को दूसरी जगह खर्च करने बारे। पूर्व विधायक सोहन लाल द्वारा श्री शिव मन्दिर चौंरी धार हेतु मु0 49,000 रू. की राशि दी गई थी शकराह पंचायत द्वारा दूसरी जगह पर खर्च की गई है। जिस पर लोगों ने शिकायत की है। शिकायत पत्र विकास खण्ड अधिकारी मशोबरा को भेजा है जिसकी कापी जिला पंचायत अधिकारी शिमला को भी दी गई है। 6 माह तक कोई कार्यवाही न होने पर दोबारा जिला पंचायत अधिकारी शिमला को स्मरण पत्र देने को कहा गया फिर भी आज तक कोई कार्यवाही नही की गई है। कृप्या इस पर कार्यवाही करवाने की कृपा करे।**

(श्री प्रेम दास महंत,गांव धार,डा0 शकराह,उप तहसील धामी, जिला शिमला)

(ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग)

112 **उपमण्डल की माजरा पंचायत के माजरा गांव की नसराली बस्ती में हरिजन आबादी को आने जाने के रास्ते में एक चोआ पड़ता है और बरसात के दिनो में स्कूली बच्चों व आम लोगों को बरसाती चोआ पार करना खतरे से खाली नही रहता। यहां के लोग लम्बे अरसे से यहां पर पुलिया निर्माण की मांग करते आ रहे हैं। अतः सरकार से अनुरोध है कि हरिजन बस्ती को नसराली खड्ड पर पुलिया बनाकर दी जाये।**

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ़)

(ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग)

113 **उपमण्डल नालागढ़ की ग्राम पंचायत प्लासी कला के बीच से बहती सरसा नदी पर गांव प्लासी कला व सैणी माजरा के बीच झुला पुल बनाए जाने की मांग लम्बे अरसे से चली आ रही है। बरसात के दिनो मे सरसा नदी में बाढ़ आने के कारण 15–15 दिनो तक दोनों तरफ के लोगों का आपस मे संपर्क कटा रहता है। इसलिये यहां सरसा नदी पर झुला पुल शीघ्र अति शीघ्र निर्मित किया जाये।**

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ़)

(ग्रामीण विकास एवं पचायती राज)

114 **नालागढ़ उपमण्डल की ग्राम पंचायत माजरा के बूटा प्लासी गांव के मुख्य रास्ते पर गुरूद्वारे के नजदीक एक पुलिया का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है ताकि गांव को ढांग–प्लासी लिंक रोड़ से सीधा जोड़ा जा सके। इसके लिये पी0डब्लयू0डी0 विभाग को आदेश दिये जायें। इसके अलावा गुरूद्वारे से लेकर बूटा प्लासी में दीदार सिहं के घर तक के खस्ता हालत संपर्क रास्ते को भी पक्का किया जाए। इस रास्ते की हालत बहुत खस्ता है और पूरे गांव में 100 फीसदी ओ0बी0सी0 जाति वर्ग की है।**

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ)

(ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग)

115 **पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति,महिलाओं व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्ड आरक्षित करने का प्रावधान है। जबकि स्थानियों निकायो में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी**

प्रावधान नही है। अतः पंचायत राज संस्थाओं की तर्ज पर स्थानीय निकायो में वार्ड आरक्षित करने का प्रावधान किया जाये।

(श्री ओम प्रकाश चौधरी (AAR) सुलतानपुर, कुल्लू)

(ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज/शहरी विकास विभाग)

कार्मिक विभाग से सम्बन्धित मदें

116 **पिछड़ा वर्ग का कोटा वार्ड पंच से लेकर M.L.A.स्तर तक निर्धारित होना चाहिए।**

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भोंरज,जिला हमीरपुर)

(कार्मिक विभाग)

117 **सभी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची में एस0सी0,एस0टी0,तथा ओ0बी0सी0 को दर्शाया जाये ।**

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भेांरज,जिला हमीरपुर)

(कार्मिक विभाग)

118 **ओ0बी0सी0 श्रेणी के कर्मचारी जो द्वितीय व तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति का प्रावधान किया जाए । क्या एस0सी0,एस0टी0के कर्मचारीयों के लिए पदोन्नति हेतु कोटा रखा गया है।**

(श्री गोबिन्द राम नायक ,ग्राम व डा0ट्रोह,तह0बल्ह ,जिला मण्डी)

(कार्मिक विभाग)

119 **ओ00बी0सी0 के आरक्षण का कोटा 27 प्रतिशत किया जाए, क्योंकि जब ओ0बी0सी0 का कोटा 18 प्रतिशत था तब इसमें बहुत कम जातियां थी, अब इस श्रेणी में जाट सैनी इत्यादी जातियां शामिल की गई है लेकिन इसकी प्रतिशतता में कोई भी वृद्वि नही की गई है। कृप्या इसका कोटा 18 प्रतिशत से 27 प्रतिशत किया जाए ।**

(श्री गोबिन्द राम नायक ,ग्राम व डा0ट्रोह,तह0बल्ह ,जिला मण्डी)

(कार्मिक विभाग)

120 **अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय में अन्य जातियों के सम्मिलित होने के कारण इस समुदाय की जनसंख्या में वृद्वि हुई है जबकि इस समुदाय के लोगों को अभी भी 18 प्रतिशत व 12 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। अतः इसे बढाने बारे सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा करें।**

(श्री के0सी0 सैनी ग्राम रामपुर तहसील व जिला ऊना)

(कार्मिक विभाग)

महा प्रबन्धक सैन्ट्रल कांगड़ा बैंक से सम्बन्धित मदें

121 **सरकार के माध्यम द्वारा कांगडा बैंक खोलने बारे हमने प्रयास किया है। उसका सर्वे हो गया है। सरकार से निवेदन है कि शाखा खोलने बारे कार्यवाही की जाये।**

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भेांरज,जिला हमीरपुर)

(महा प्रबन्धक सैन्ट्रल कांगड़ा कोअपरेटिव बैंक)

उपायुक्त हमीरपुर से सम्बन्धित मदें

122 गांव मैहल में सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है इसके बारे कार्यवाही हो उदाहरण के तौर पर नारायण सिहं के घर से हरिजन बस्ती को रास्ता जाता है।

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भेांरज,जिला हमीरपुर)

(उपायुक्त हमीरपुर)

123 मेरी मलकियती भूमि अधिक बरसात होने के कारण कुनहाखड्ड से नुकसान हुआ है मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार द्वारा डंगा लगवाया जाये।

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भेांरज,जिला हमीरपुर)

(उपायुक्त हमीरपुर)

124 विकास खण्ड बिझड़ी की ग्राम पंचायत धंनोटा गांव खारल में 95 प्रतिशत एस0सी0 व ओ0बी0सी0 की जनसंख्या है, उसमें कोई भी सड़क,स्कूल, आंगनबाडी केन्द्र व शमशानघाट नही हैं। अतः शमशानघाट के लिये 2,00,000/ रू. की आवश्यकता है। इस गांव में 40–45 घर है।

(श्री सुरजीत सिंह ,गांव खारल,डा0 धंनोटा,तह0बड़सर, जिला हमीरपुर)

(उपायुक्त हमीरपुर)

125 बड़सर क्षेत्र में शुक खडड् में 5–6 केशर लगें है, जिससे अत्यधिक खनन हो रहा है व आस–पास के गांव की सिंचाई भूमि व पर्यावरण प्रभावित हो रहा है।

(श्री सुरजीत सिंह,गांव खारल,डा0 धंनोटा,तह0बड़सर, जिला हमीरपुर)

(उपायुक्त हमीरपुर)

126 जिला हमीरपुर में अवारा पशुओं और बन्दरों से किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है । इसका कोई उपाय किया जाये।

(श्री सुरजीत सिंह,गांव खारल,डा0 धंनोटा,तह0 बडसर, जिला हमीरपुर)

(उपायुक्त हमीरपुर)

वित्त विभाग से सम्बन्धित मदें

127 निवेदन है कि पैन्शनर्ज प्रकोष्ठ का सदस्य नियुक्त होना चाहिए क्योंकि विकास खण्ड भोंरज का प्रधान होने नाते यही मेरे सुझाव हैं।

(श्री जगदीश चन्द ,गांव व डा0 महल, तह0 भेांरज,जिला हमीरपुर)

(वित्त विभाग)

कृषि विभाग से सम्बन्धित मदें

128 कृषि विभाग में एस0सी0, एस0टी0 के किसानों के लिए अनुदान हेतु बजट का प्रावधान होता है। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले किसानों के लिए सबसिडी का कोई भी प्रावधान

नहीं है। ओ0बी0सी0 के किसानों के लिए भी औजार दवाईयों, बीज पर सबसिडी अनुसूचित जाति व जनजाति श्रेणी के किसानों की तरह ही किया जाये।

(श्री गोबिन्द राम नायक,ग्राम व डा0 ट्रोह,तह0 बल्ह ,जिला मण्डी)

(कृषि विभाग)

उपायुक्त बिलासपुर से सम्बन्धित मदें

129. जिला बिलासपुर तहसील घुमारवीं, गांव व डा0 बरोटा में नरेश कुमार उर्फ छोटू नाम का एक व्यक्ति है यह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उसके एक लड़का तथा एक लड़की है। उसका लड़का थेलेसिमिया नाम का अनुवांशिक बीमारी से पीड़ित है। यह पी0जी0आई0 चण्डीगढ़ में उपचाराधीन है। नरेश कुमार के पास आय का कोई साधन नही है। अपने पुत्र दीपक कुमार के उपचार के लिये उसकी माँ को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः सरकार से अनुरोध कि दीपक कुमार के इलाज के लिये आर्थिक सहायता दी जाये।

(श्री ज्योति कश्यप ,गांव बरोटा ,तह0 घुमारवी ,जिला बिलासपुर)

(उपायुक्त बिलासपुर)

130 बिलासपुर जिला की पंचायत बरोटा के अन्तर्गत वार्ड न0 4, में एक शमशान घाट निर्मित है। इस घाट तक का रास्ता ऊबड–खाबड़ है। सरकार से अनुरोध है कि इस रास्ते को पक्का करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए।

(श्री ज्योति कश्यप ,गांव बरोटा ,तह0 घुमारवी ,जिला बिलासपुर)

(उपायुक्त बिलासपुर)

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित मदें

131 देखने में आया है कि सामाजिक सुरक्षा पैन्शन पात्र व्यक्ति को जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय से समय पर भेज दी जाती है परन्तु अमुक व्यक्ति को पैन्शन 4–5 महीने के बाद मिलती है। उस व्यक्ति को कार्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते है। कल्याण अधिकारी के कार्यालय से पैन्शन जारी किये जाने के बाद पैन्शन धारक को अवश्य सूचित किया जाए ताकि वो समय पर अपनी पैन्शन का पता कर सके तथा उसे प्राप्त कर सके।

(श्री ज्योति कश्यप ,गांव बरोटा ,तह0 घुमारवी ,जिला बिलासपुर)

(सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग)

132 अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के बच्चों को ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र की वैधता एक वर्ष तक सीमित है, सरकार से अनुरोध है कि इसे कम से कम दो वर्ष किया जाए।

(श्री ज्योति कश्यप ,गांव बरोटा ,तह0 घुमारवी ,जिला बिलासपुर)

133 सरकार से अनुरोध है कि ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र की वैधता पांच वर्ष किया जाये।

(श्री अक्षय कुमार गांव व डा0 दरीणी कांगड़ा)

(सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग)

उपायुक्त ऊना से सम्बन्धित मदें

134 गांव में एक सार्वजनिक शौचालय के लिये भी धन उपलब्ध करवाया जाये। सभी ग्रामीण इन सभी सार्वजनिक कार्य के लिए भूमि अनुदान देने को भी तैयार हैं।

(डा0 शेर सिंह ,गांव व डा0 डोहगी ,तह0 बगाणा,जिला ऊना)

(उपायुक्त ऊना)

135. प्रदेश में ओ0बी0सी0 बस्तियों में बसे ग्रामीण लोगों को शौचालय बनाने के लिये शत प्रतिशत अनुदान दिया जाये।

(डा0 शेर सिंह ,गांव डा0 डोहगी ,तह0 बगाणा,जिला ऊना)

(उपायुक्त ऊना)

136 चिन्तपूर्णी बस स्टैण्ड पर टैक्सी स्टैण्ड के बारे अनुरोध किया था पर परन्तु कोई भी कार्यवाही एक वर्ष से नही हुई है।

(श्री शिवपाल सिंह महंत ,ग्राम स्वाना, तह0 जसवां ,जिला कांगड़ा)

(उपायुक्त ऊना)

137 ग्राम पंचायत रामपुर वार्ड न0 7 तहसील व जिला ऊना में पक्का नाला के निर्माण हेतु 3,00,000 लाख रूपये की धन राशि उपलब्ध करवाई जाये। वार्ड न0 7 में ओ0बी0सी0 समुदाय की संख्या अधिक है।

(डा के0सी0 सैनी ग्राम रामपुर तहसील व जिला ऊना)

(उपायुक्त ऊना)

हिम ऊर्जा से सम्बन्धित मदें

138 प्रदेश में अनुसूचित जाति की बस्तियों के साथ–साथ प्रदेश की ओ0बी0सी0 आबादी वाले गांवो में भी सौर लाईटों का प्रबन्ध किया जाये।

(डा0 शेर सिंह ,गांव डा0 डोहगी ,तह0 बगाणा,जिला ऊना)

(हिम ऊर्जा)

139 दरीणी गांव की ओ0बी0सी0 बस्ती के लिए 5 सोलर लाईट लगवाने की कृपा करे।

(अक्षय कुमार गांव व डा0 दरीणी, कांगड़ा)

(हिम ऊर्जा)

पिछड़ा वर्ग वित्त एंव विकास निगम कांगड़ा से सम्बन्धित मदें

140 छोटे रूटो पर वाहन चलाने के लिये ओ0बी0सी0 वर्ग के लोगों को विशेष वरियता देकर अनुदान दिया जाये ।

(डा0 शेर सिंह ,गांव डा0 डोहगी ,तह0 बगाणा,जिला ऊना)

(पिछड़ा वर्ग वित्त एंव विकास निगम कांगड़ा)

वन विभाग से सम्बन्धित मदें

141 **ओ0बी0सी0 व एस0 सी0 बस्ती के नजदीक एक खाली मैदान है जिसमें जंगलात महकमें का एक विश्राम गृह बनाया जाए ताकि पर्यटकों को ठहरने की सुविधा मिल सके ।**

(श्री वेद प्रकाश वर्मा गांव चौरा डाक घर छतरी तह0 थुनाग जिला मण्डी)

(वन विभाग)

142 **डन्गा निर्माण निसराली गांव–माजरा नजदीक मियां के घर, राजपूत बस्ती, ग्राम पंचायत माजरा में निवेदन है कि ग्राम पंचायत माजरा के गांव माजरा में निसराली नदी पड़ती है तथा वर्षा के दिनों में नदी में पानी की अधिक मात्र बढ़ जाती है तथा उपरोक्त बस्ती के लोगों की गत कई वर्षो से मांग है की नदी के साथ–साथ डंगें का निर्माण किया जाये ताकि भविष्य में आने वाली समस्या न हो सके ।अतः सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त कार्य हेतु राशि स्वीकृत करके आने वाली समस्या का समाधान हो सके ।**

(श्री हरपाल सिंह,गांव ढांग उपरली,डा0 प्लासी कलां,तह0 नालागढ,जिला सोलन)

(वन विभाग)

उपायुक्त मण्डी से सम्बन्धित मदें

143 **ग्राम पंचायत गोडा गागल, मण्डी मे गांव सिंहन मे एस0 सी0, ओ0बी0सी0 के लोगों की 95 प्रतिशत आबादी है इस गांव में सिवरेज सिस्टम का प्रावधान किया जाये।**

(श्री कन्हैया लाल ,ग्राम सिंहन पी0ओ0 गागल, तह0 बल्ह ,जिला मण्डी)

(उपायुक्त मण्डी)

144 **ग्राम पंचायत दोघी व ग्राम पंचायत गोडा गागल देानो ही पंचायतों में एस0सी0 ओर ओ0बी0सी0 की आबादी 90 प्रतिशत है यहां सरकार ने 2008 में सुकेर खड्ड पर दोनों पंचायतों को पुल द्वारा जोड़ने का प्रावधान एस0सी0 कम्पोनेन्ट प्लान से किया था। आज तक कार्य पर कोई प्रगति नहीं हुई है।**

(श्री कन्हैया लाल ,ग्राम सिंहन पी0ओ0 गागल, तह0 बल्ह ,जिला मण्डी)

(उपायुक्त मण्डी)

उपायुक्त शिमला से सम्बन्धित मदें

145 **जुन्गा बाजार में एक बहुत पुरानी इमारत है जिस की हिमाचल सरकार मालिक है जिसे पी0डब्लयू0डी0 विभाग ने अनसेफ करार दिया है और इस में रहता भी कोई नही हैं। इस के गिरने से जानी नुकसान भी हो सकता है इस इमारत का मसला जुन्गा पंचायत के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष भी लाया गया हैं यदि इमारत को तोड़ा जाता है तो इससे लोगों को कई फाइदे है। 1. जुन्गाा में बस स्टेन्ड की सुविधा 2. टैक्सी स्टेण्ड की सुविधा जिस से पंचायत की आय भी बनेगी ।**

(श्री शमशेर सिंह ,गांव व डा0 जुन्गा ,तह0 जुन्गा ,जिला शिमला)

(उपायुक्त शिमला)

146 **गत वर्ष की मद संख्या 6 पर सतसंग भवन ग्राम पचांयत काली हट्टी तक शेष बचे 200 मीटर सड़क का कार्य पूर्ण करने हेतु धन राशि उपलब्ध करवाने बारे लिखा था परन्तु उस पर कोई कार्य नहीं की गई**

(श्री प्रेम दास महंत,गांव धार,डा0 शकराह,उप तहसील धामी, जिला शिमला)

(उपायुक्त शिमला)

147 **शिमला मण्डी रोड़ पर ''डम्प के पास'' प्राईवेट जगह में पीने के पानी के चश्मे के ऊपर प्राईवैट जगह में मलवा फैंकने पर ग्राम शकराह जो दलित वर्ग का ग्राम है जिनके पीने के पानी को नुकसान पहुंच रहा है पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई ।**

(श्री प्रेम दास महंत,गांव धार,डा0 शकराह,उप तहसील धामी, जिला शिमला)

(उपायुक्त शिमला)

उपायुक्त कांगड़ा से सम्बन्धित मदें

148 **शीतला मन्दिर से चनौर रोड़ का टीका काहरू में सड़क का एक डंगा 10 वर्षो से गिरा हुआ है टर्निग पॉइंट है, इस रोड़ पर बहुत यातायात की आवाजाही है और कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती हैं कृप्या स्पैशल बजट देकर इसका निर्माण किया जाये तथा इस रोड़ पर पैच लगवाने के आदेश दिया जाये ।**

(श्री शिवपाल सिंह महंत ,ग्राम स्वाना, तह0 जसवा ,जिला कांगड़ा)

(उपायुक्त कांगड़ा)

149 **ओ0बी0सी0 भवन के निर्माण हेतु कथोली व नगरोटा सूरियां पंचाम में जगह उपलब्ध है। कृप्या हमें इस भवन के लिए लगभग 10 लाख रूपये अनुदान दिया जाऐ ताकि इस भवन के बनने से चार या पांच पंचायतों को लाभ मिल सके। पिछली बार इस जगह का पर्चा ततीमा व अनुमानित राशि का बिल भी सभी दस्तावेज संलग्न किए थे।**

(श्री राजकुमार शहरिया,ग्राम पंचायत कथोली, नगरोटा, जिला कांगड़ा)

(उपायुक्त कांगड़ा)

150. **दो वर्ष पहले दरीणी के लिए एक ओ0बी0सी0 भवन स्वीकृत किया गया था जिसके लिए भूमि की रजिस्ट्री भी हो चुकी है परन्तु अभी तक राशि जारी नही हुई है।**

(अक्षय कुमार गांव व डा0 दरीणी, कांगड़ा)

(उपायुक्त कांगड़ा)

151. **राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दरीणी के नाम साथ लगती भूमि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए स्थानान्तरित करने के लिए अभी तक कोई भी कार्रवाई नही की गई है।**

(अक्षय कुमार गांव व डा0 दरीणी कांगड़ा)

(उपायुक्त कांगड़ा)

उपायुक्त कुल्लू से सम्बन्धित मदें

152 अप्पर सुल्तानपुर (कुल्लू) वार्ड न0 4 में उच्च माध्यमिक विधालय की ओर जाने वाले रास्ते के उत्थान हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण योजना के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत की जाए।

(श्री ओम प्रकाश चौधरी ,सुल्तानपुर ,कुल्लू)

(उपायुक्त कुल्लू)

153 अप्पर सुल्तानपुर (कुल्लू) वार्ड न0 4 मे कोई भी सुलभ शौचालय नही है जिससे यहां के स्थानीय दुकानदारों व निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस वार्ड की आबादी बहुत अधिक है । अतः सुलभ शौचालय बनाने की कृपा करे।

(श्री ओम प्रकाश चौधरी ,सुल्तानपुर ,कुल्लू)

(उपायुक्त कुल्लू)

154 कब्रिस्तान से जो रास्ता सुल्तानपुर बाजार की ओर जाता है उसका ग्रेड ठीक किया जाए। ग्रेड ठीक न होने की वजह से काफी लोग दुर्घटना का शिकार हो चुके है। बरसात के दिनों में स्कूल जाने वाले बच्चे भी इस रास्ते पर गिरते है।

(श्री ओम प्रकाश चौधरी ,सुल्तानपुर ,कुल्लू)

(उपायुक्त कुल्लू)

नगर नियोजन विभाग से सम्बन्धित मदें

155 पांवटा साहिब कमेटी का ऐरिया (TCP) पांवटा साहिब से 12 किलोमीटर दूर तक बढ़ा दिया गया है जिसमें पांवटा साहिब कमेटी का ऐरिया लगभग 10 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल है बाकि सब गांव का ऐरिया है जिससे किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अतः पांवटा साहिब (TCP) का ऐरिया निहालगढ़ पंचायत तक किया जाए। जिससे किसान गांव के लिहाज से कन्सट्रक्शन कर सके।

(श्रीमति त्रिशला चौधरी, गांव मुगलांवाला, डा0 राजवन तह0 पांवटा साहिब)

(नगर नियोजन)

उपायुक्त सोलन से सम्बन्धित मदें

156 गांव ढांग–उपरली में श्री प्रेम सिहं के घर से पीपल के पेड़ तक नाले का निर्माण करवाने बारे निवेदन है कि गत बैठक के दौरान उपरोक्त कार्य हेतु मद स0 24 पर बैठक में चर्चा की गई थी तथा जिला उपायुक्त महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उपरोक्त कार्य हेतु राशि स्वीकृत

कर कार्य का निर्माण अति शीघ्र करवाया जायेगा लेकिन उक्त कार्य का निर्माण आज दिनांक तक नही हो सका। अतः सरकार से निवेदन है की उक्त कार्य हेतु राशि स्वीकृत कर कार्य का निर्माण शीघ्र किया जाये।

(श्री हरपाल सिंह ,गांव ढांग ऊपरली,तह0 नालागढ,जिला सोलन)

(उपायुक्त सोलन)

157 नालागढ़ की ग्रांम पचांयत ढांग निहली के ढाणा गांव में पूर्व प्रधान हेम सिहं के घर से लेकर केन्ढूवाला ढाणा में गुरदेव सिहं मास्टर के घर तक का एक किलोमीटर लम्बा सम्पर्क मार्ग बिल्कुल कच्चा है और गंदे पानी की निकासी नही हो रही है। गांव में 100 फ़िसदी आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग की है। अतः इस सम्पर्क मार्ग को सरकार BBNDA से पक्का करवांने की कृपा करें।

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ)

(उपायुक्त सोलन)

158 नालागढ़ उपमण्डल की ग्राम पंचायत मंझौली के झीड़ा गांव मे गंदे पानी की सही निकासी न होने के कारण फतिया खान के घर से लेकर बूटा खान के घर तक की गली व नाली की बहुत खस्ता हालत है। गली में जगह–2 पर पानी खड़ा रहता है। गांव में साफ सफाई का वातावरण पैदा करने के लिए 150 मीटर लंबी गली व नाली को BBNDA से राशि मुहैया करवाकर पक्का किया जाये।

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ)

(उपायुक्त सोलन)

159 नालागढ़ उपमण्डल की ग्राम पंचायत ढांग निहली के मुख्यालय पर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढांग में स्कूल की भूमि पर अतिक्रमण की भरमार है। शिक्षा विभाग के नाम स्कूल की करीब 18 बीघा 02 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो मौके पर 10 बीघा भी नजर नही आ रही है। मैने पंचायत प्रधान रहते हुए टीवीएस मोटर कम्पनी से स्कूल की चारदीवारी करवाई थी, लेकिन अभी तक स्कूल की काफी भूमि पर अवैध कब्जा है। राजस्व विभाग के रिकार्ड में छेड़छाड़ के चलते स्कूल की भूमि की पैमाइश हो पाना मुश्किल है। इसलिए सरकार से प्रार्थना है कि स्कूल की 18 बीघा दो बिस्वा जमीन का पता लगाकर इसकी या तो नये सिरे से चार दिवारी करवाई जाये या फिर कंटीली तार लगाकर फैन्सिंग की जाये।

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ)

(उपायुक्त सोलन)

160 **नालागढ़ उपमण्डल की ढांग निहली पंचायत के टपरिया बास में मुख्य गली की खस्ता हालत है और ककंरीट से बनी यह गली पूरी तरह उखड़ गई है। टपरिया बास की 200 मीटर लंबी गलियों का इन्टरलाक टायल लगाकर पक्का किया जाए, जिस पर करीब चार लाख रूपये खर्च होने की सम्भावना है टंपरिया बास में 100 फीसदी आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग की है।**

(श्री जगदीश सिंह सैणी गांव ढांग निहली तह0 नालागढ)

(उपायुक्त सोलन)

****

अनुबन्ध–क

दिनांक 09 फरवरी 2016 को प्रातः 10:00 बजे माननीय मुख्यमन्त्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा कल्याण बोर्ड की 10वीं बैठक में सरकारी /गैर सरकारी सदस्यों की उपस्थिति सूचीः–

क0 सं0	सरकारी सदस्य	क0 सं0	गैर सरकारी सदस्य
1.	श्री पी0 मित्रा, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार	1.	श्री चन्द्र कुमार माननीय भूतपूर्व सांसद सदस्य
2.	श्री अजय मितल अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन)	2.	श्री नीरज भारती माननीय मुख्य संसदीय सचिव, शिक्षा
3.	श्री विनीत चौधरी अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य)	3.	श्री सुरेन्द्र चौधरी माननीय भूतपूर्व विधायक जिला कांगड़ा
4.	श्री मति उपमा चौधरी अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि)	4.	श्री गोविन्द राम नायक जिला मण्डी
5.	श्री वी0सी0 फारका अतिरिक्त मुख्य सचिव (युवा सेवाऐं एवं खेल, पर्यटन) अति0 मुख्य सचिव (माननीय मुख्य मंत्री) हिमाचल प्रदेश	5.	श्री मेहर सिंह भूतपूर्व जिला परिषद सदस्य समूरकला
6.	श्री पी0 सी0 धीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा व सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)	6.	श्री विनोद कुमार (बिटू) जिला कांगड़ा
7.	श्री ओंकार शर्मा सचिव (ग्रामीण विकास एंव पचायती राज)	7.	श्री विजय कुमार जिला बिलासपुर
8.	श्री दिनेश मल्होत्रा उपायुक्त शिमला	8.	श्री ज्योति कश्यप जिला बिलासपुर
9.	कैप्टन जे0एम0 पठानिया निदेशक, शहरी विकास	9.	श्री राम लाल शर्मा जिला सिरमौर
10.	श्री सन्दीप कदम उपायुक्त मण्डी	10.	श्री प्रेम दास महंत जिला शिमला
11.	एम0 सुधा देवी उपायुक्त चम्बा	11.	श्री कौशल राम महंत जिला शिमला
12.	श्री रीतेश चौहान उपायुक्त कांगड़ा	12.	श्री जगदीश चंद जिला हमीरपुर
13.	श्री मदन चौहान उपायुक्त सोलन	13.	श्री किशोरी लाल वर्मा
14.	श्री बी0सी0 बडालिया उपायुक्त सिरमौर	14.	श्री जितेन्द्र ब्राक्टा जिला शिमला
15.	इ0 पी0सी0 नेगी प्रबन्ध निदेशक हि0प्र0 विद्युत परिषद	15.	श्री बलवंत सिंह जिला हमीरपुर
16.	डा0 सुनील चौधरी निदेशक (एल0ए0सी0/विशेष सचिव	16.	श्री देस राज सियाल जिला हमीरपुर
17.	डा0 डी0एस0 गुरंग, निदेशक स्वास्थ्य	17.	श्री निक्कू राम सैनी जिला मण्डी
18.	श्री विकास लाबरू प्रबन्ध निदेशक हि0 पिछड़ा वर्ग वित एंव विकास निगम कांगड़ा	18.	श्री कन्हैया लाल जिला मण्डी
19.	डा0 आर0के0 प्रूथी निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा	19.	श्री कन्हैया लाल जिला मण्डी
20.	इ0 विजय डोगरा इ0(पी0एण्डएम0) हि0प्र0 विद्युत परिषद	20.	श्री नीरज कुमार चौधरी जिला कांगड़ा
21.	इ0 चमन लाल वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ता हि0प्र0 विद्युत बोर्ड	21.	श्री ज्ञान चंद चौधरी जिला कागड़ा
22.	इ0 सुरेश कुमार ठाकुर मुख्य अभियन्ता हि0प्र0 विद्युत परिषद नार्थ धर्मशाला	22.	श्री वेद प्रकाश वर्मा जिला मण्डी
23.	इ0 राजेश कुमार एस0इ0(ओ0पी0) हि0प्र0 विद्युत बोर्ड कांगड़ा	23.	श्री पवन कुमार जिला शिमला
24.	श्री के0के0 इन्दौरियां डीआईजी पुलिस मुख्यालय	24.	श्री श्याम लाल भैंस जिला बिलासपुर
25.	दिनकर बुराथोकी निदेशक उच्च शिक्षा	25.	श्री प्रकाश चंद कपिल जिला बिलासपुर
26.	कंवर भानू प्रताप सिंह मुख्यकार्यकारी अधिकारी हिम उर्जा	26.	श्री कर्म दास शान्डिल जिला बिलासपुर
27.	श्री नरेश शर्मा आर0ओ0 हिम उर्जा	27.	श्री सुरजन सिंह सैनी जिला सोलन

28.	श्री महेश कुमार उप सचिव (गृह)	28.	श्री जगदीश सिंह सैनी जिला सोलन
29.	श्री संजय शर्मा अतिरिक्त आयुक्त परिवहन	29.	श्री राम आसरा जिला सोलन
30.	श्रीमति शशी ठाकुर सहायक भू–व्यवस्था अधिकारी	30.	श्री हरपाल सिंह जिला सोलन
31.	श्री सोम राज कालिया निदेशक कृषि	31.	श्री रतन चंद भोरंज हमीरपुर
32.	डा0 राजेन्द्र शर्मा उप निदेशक आयुर्वेदा	32.	श्री प्रकाश चन्द भोरंज हमीरपुर
33.	श्री रमेश गंगोत्रा उप निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम	33.	श्री निहाल सिंह अतरी जिला चम्बा
34.	श्री कृष्ण कुमार उप निदेशक रोजगार	34.	श्री दूनी चन्द जिला चम्बा
35.	श्री एस0पी मैहता उप निदेशक मत्स्य	35.	श्री राजीव शर्मा जिला सिरमौर
36.	डा0 शेखर मैसी निदेशक पशुपालन	36.	श्री ओम प्रकाश चौधरी जिला ऊना
37.	श्री जितेन्द्र सांजटा अतिरिक्त निदेशक	37.	श्री ओम प्रकाश जिला सिरमौर
38.	सुश्री रूपाली ठाकुर अतिरिक्त उपायुक्त हमीरपुर	38.	श्री सिकन्दर सिन्ह जिला कांगडा
39.	श्री लोकिन्द्र कंवर लेखा अधिकारी	39.	श्री विनोद मेहरा मण्डी
40.	श्री अशोक तिवारी प्रबन्ध निदेशक परिवहन	40.	श्री शमशेर सिह जिला शिमला
41.	श्री प्रताप नेगी प्रतिनिधि उपायुक्त कुल्लू	41.	श्री हुक्म चन्द रामपुर शिमला
42.	श्री लक्ष्मी नन्द कश्यप अवर सचिव तकनिकी शिक्षा	42.	श्री रघू दत जिला ऊना
43.	श्री ओम प्रकाश शर्मा उप निदेशक वित	43.	श्री नरेश बरोटिया जिला ऊना
44.	श्री डी0सी0 राणा अतिरिक्त सचिव वन व उद्योग	44.	श्री तारा चंद जिला ऊना
45.	श्री राजेश कुमार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ऊना	45.	श्री चरित चौधरी जिला कांगड़ा
46.	श्री गोपाल चन्द भू–व्यवस्था अधिकारी शिमला	46.	श्री करनैल चौधरी जिला कांगड़ा
47.	श्री एस0पी0वासुदेवा प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन)	47.	श्री कमल कुमार कामी हमीरपुर
48.	श्री रमेश सी0 कन्ग अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन)	48.	श्री जग्गी राम शर्मा सिरमौर
49.	श्री आर0एस0 गुलेरिया उप निदेशक महिला एंव बाल विकास	49.	डा0 के0सी0 सेनी जिला ऊना
50.	श्री आर0 के0 कंवर प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य	50.	श्री योग राज जिला ऊना
51.	सुश्री प्रियका बसु विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग	51.	श्री अशवनी चौधरी जिला कांगड़ा
52.	श्री राकेश गुप्ता प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग	52.	सुश्री सरिता सैनी जिला कांगड़ा
53.	श्री ए0के0 चौहान मुख्य अभियन्ता (सोउथ जोन) लोक निर्माण विभाग शिमला	53.	श्री राजेश कुमार
54.	श्री सतीश ठाकुर प्रबन्धक (प्रोजेक्ट) हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित एंव विकास निगम कांगड़ा	54.	श्री अक्षय कुमार जिला कांगड़ा
		55.	श्रीमति सुनीता चौधरी जिला कांगड़ा
		56.	श्रीमति त्रिषला चौधरी जिला सिरमौर
		57.	श्रीमति पवना चौधरी ऊना

	58.	श्री सुरजीत सिंह जिला हमीरपुर
	59.	श्री देस राज बड़सर जिला हमीरपुर
	60.	श्री सुरजीत कूमार जिला हमीरपुर
	61.	श्री कुलदीप शर्मा जिला शिमला
	62.	श्री किशोरी लाल जिला सिरमौर
	63.	श्री राम नाथ जिला सिरमौर
	64.	जोगिन्दरा चौधरी भूतपूर्व जिला परिषद सदस्य जिला कांगड़ा
	65.	श्री विजय भारद्वाज जिला चम्बा
	66.	श्री विजय कुमार हरिपुर जिला कांगड़ा
	67.	श्री त्रिलोक चन्द जिला कांगड़ा
	68.	श्री पंकज कुमार जिला कांगड़ा
	69.	श्री गणेश दत भरवाल जिला ऊना
	70.	सुश्री मनभरी देवी जिला कांगड़ा
	71.	श्री सुरेन्द्र कुमार जिला कांगड़ा
	72.	श्री पवन कुमार जिला शिमला
	73.	श्री बाबू राम जिला कांगड़ा
	74.	श्री मदन लाल भाटिया जिला कांगड़ा
	75.	श्री राजेश चौधरी जिला हमीरपुर
	76.	श्री उमेश कुमार जिला चम्बा
	77.	श्री उतम चंद जिला कांगड़ा
	78.	भूतपूर्व सुबेदार श्री रोशन लाल
	79.	श्री पवन चौधरी जिला हमीरपुर
	80.	श्री एम0आर0 प्राशर जिला सिरमौर
	81.	श्री ओम प्रकाश जिला सिरमौर
	82.	श्री नरेश कुमार जिला मण्डी
	83.	श्री राजिन्द्र पाल तेगटा जिला शिमला
	84.	श्री अजमेर सिंह जिला सोलन
	85.	एडवोकेट श्री के0डी0 चौधरी जिला बिलासपुर
	86.	श्री कुन्दन शर्मा जिला शिमला
	87.	श्री बीधी चंद जिला कांगड़ा
	88.	श्री दलीप कुमार

	89.	श्री शिव कुमार जिला सोलन
	90.	श्री मेहर सिंह जिला ऊना
	91.	श्री विनोद कुमार जिला ऊना
	92.	श्री धर्म सिंह

****